बृहस्पतिवार,
३ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ३ सितम्बर, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चक्षुरोग विज्ञान

*९६८. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) चक्षुरोग विज्ञान में विशिष्ट प्रशिक्षा दिलाने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना अथवा वर्तमान वर्ष के आयव्ययक में इस प्रयोजन के लिये कई धनराशियां अलग कर दी गई हैं;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर हां में है, तो कितनी धनराशियां हैं और किन किन कामों के लिये रखी गई हैं;

(घ) किन किन राज्यों में चक्षुरोगों का उपचार किया जाता है, और क्या उन्हें केन्द्र से कुछ सहायता मिलती है;

(ङ) क्या राज्यों द्वारा किये गये प्रयत्नों को केन्द्रीय सरकार से कोई आश्रय मिलता है; और

(च) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन के पास अद्यावत् उपकरण मौजूद है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) एक विवरण जिस में बताया गया है कि चक्षुरोग विज्ञान सम्बन्धी विशिष्ट प्रशिक्षा दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८**]

(ख) तथा (ग). प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिये कोई भी धन अलग से नहीं रखा गया है। गांधी चक्षु औषधालय प्रन्यास, (गांधी आई हास्पिटल ट्रस्ट), अलीगढ़ को दिये जाने के लिये १,५०,००० रुपये की एक मद रखी गई है, जिस से इस चक्षुरोग विज्ञान-संस्था के लिये मकान बनाया जाएगा, और इस अस्पताल में काम करने वाले विद्यार्थियों को सुविधायें पहुंचाई जा सकेंगी।

(घ) तथा (ङ). हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर तथा कच्छ राज्य को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों में चक्षुरोगों का उपचार होता है। केन्द्रीय सरकार उन्हें कोई भी आर्थिक सहायता नहीं देती है।

(च) एक विवरण जिस में उन संस्थाओं के नाम दिये गये हैं जिन के पास अद्यावत्

उपकरण मौजूद है सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९]

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि गांधी आई हास्पिटल, अलीगढ़ की चक्षुरोग विज्ञान संस्था के लिये मकान बनाये जाने का काम आरम्भ हुआ है, और यदि हां तो इस समय उस की स्थिति क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : इस काम को कई वर्ष पहले आरम्भ किया गया था ।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे पास विस्तृत सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर दे सकूंगी ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या दिल्ली राजधानी में चक्षुरोगों का कोई सरकारी चिकित्सालय है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : पटल पर रखे गये विवरण से माननीय सदस्य को इस बात का पता चलेगा कि दिल्ली में तीन अस्पताल हैं जिन के नाम इस प्रकार हैं :—

अर्विन अस्पताल (नई दिल्ली); लेडी हार्डिंग मैडिकल कालिज और अस्पताल (नई दिल्ली); और डा० श्राफ़ का धर्मार्थ नेत्र-चिकित्सालय (दिल्ली) ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि डा० श्राफ़ के अस्पताल को छोड़ कर अन्य अस्पतालों में कम्पाऊंडरों द्वारा आंखें देखी जाती हैं ? मैं अनुभव के आधार पर बोल रही हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम चक्षुरोग विज्ञान की प्रशिक्षा के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं, आंखों के इलाज के सम्बन्ध में नहीं । माननीया सदस्या एक विषय को छोड़ कर दूसरे विषय पर जा रही हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रयोजन के लिये अलीगढ़ विश्वविद्यालय को कोई आवर्तक अनुदान दिया जायगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : नहीं, श्रीमान् ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सरकार के समक्ष प्रशिक्षा-पाठ्यक्रमों का स्तर ऊंचा करने की कोई प्रस्थापना है, और यदि हां तो क्या चक्षुरोग विज्ञान भी उन में से एक है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां, श्रीमान् ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : कहां पर इस का स्तर ऊंचा उठाया जा रहा है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : चक्षुरोग विज्ञान में रुचि रखने वाली राज्य सरकारें अथवा संस्थायें यदि केन्द्रीय सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजें तो इसका स्तर ऊंचा उठाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

उर्वरक ख़रीदने के लिये ऋण

*९६९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सिन्दरी कारखाने से उर्वरक की खरीद के लिये दस राज्य सरकारों को दिया गया २.९० करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण किस प्रकार चुकाया जायेगा ;

(ख) क्या ये अल्पकालीन ऋण ब्याज-मुक्त हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो जिन राज्यों को ये ऋण मिले हैं, उन से कितनी दर पर ब्याज लिया जायगा ;

(घ) क्या सरकार एक ऐसा विवरण सदन पटल पर रखेगी जिस में आज तक दी गई ऋण राशियां राज्य वार दी गई हों; और

(ङ) इस बात का निश्चय कैसे किया जाता है कि यह ऋण उसी काम में लाया गया जिस के लिये इसे दिया जा चुका था ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) उर्वरकों की खरीद तथा वितरण के लिये स्वीकृत ऋण ३० जून, १९५४ को या इस से पहले लौटाये जा सकते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ३.१२५ प्रतिशत प्रति वर्ष ।

(घ) एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०]**

(ङ) इस बात का निश्चय इस तथ्य से हो जाता है कि वास्तव में भेजे जाने के अनुदेशों के आधार पर ऋण स्वीकार किये जाते हैं; और तुरन्त ही राज्य सरकारों को इन ऋणों के बदले में उर्वरक के व्यय पर जमा की गई मदों को स्वीकार करना पड़ता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इन राज्यों को दिये गये ऋण प्रति वर्ष लौटाये जायेंगे या बहुत वर्षों बाद ?

डा० पी० एस० देशमुख : वर्ष के दौरान में ही इन्हें लौटाया जा सकता है, किन्तु अभी अगले वर्ष की ३० जून तक की अवधि है, जो बहुत है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सारा ऋण उर्वरकों की खरीद पर ही लगाया जा चुका है, और क्या इन खरीदे गये उर्वरकों को सभी राज्यों में काम में लाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : पहले ही इस बात का उत्तर दिया जा चुका है कि यह ऋण नगद रुपये में नहीं दिया जाता, बल्कि उस मूल्य के उर्वरक मुहैया किये जाते हैं । और उन्हें उन उर्वरकों को कर्जे के रूप में कृषकों को देना पड़ता है । प्रति वर्ष हमें बदले में उस का पैसा मिल जाता है । इस वर्ष ऋण की राशि बढ़ा दी गई है । चुनांचि यह राशि २.९० करोड़ रुपये नहीं जैसा कि प्रश्न में बतलाया जा चुका है, बल्कि लगभग ८ करोड़ रुपये है जिस में से लगभग ४.८ करोड़ रुपये पहले ही काम में लाये जा चुके हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार जानती है कि अधिक अन्न उपजाओं पूछताछ समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि जिन ऋतु सम्बन्धी कारणों से कृषक धन लौटा सकते हैं उन को दृष्टि में रखते हुए तथा फसलों के तैयार होने के बाद ही इस प्रकार के सभी अल्पकालीन ऋणों को ३० जून तक उन से वापिस लिया जाना चाहिये ? सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्री किदवई : पहले ही इस बात का उत्तर दिया गया कि आगामी वर्ष की ३० जून तक ये ऋण लौटाये जा सकते हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारों के पास उर्वरकों की बहुत बड़ी राशियां बेकार पड़ी हैं, और यदि हां, तो इन उर्वरकों का उपयोग करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री किदवई : मेरा विचार है कि राज्य सरकारों ने ऋण स्वीकार किये हैं, और आगामी वर्ष की ३० जून तक ये ऋण लौटाये जाने वाले हैं; अतः यह उन का कर्तव्य है कि इन उर्वरकों को काम में लायें तथा समय पर ऋण लौटा सकें ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या भारत सरकार द्वारा निबन्धनों तथा शर्तों के सम्बन्ध में कई ऐसे सिद्धान्त बनाये गये हैं जिन के अनुसार निर्धन कृषक राज्य सरकारों से ये उर्वरक ले सकते हों ?

श्री किदवई : निबन्धन तथा शर्तें इस प्रकार हैं कि इन उर्वरकों को ऋण के रूप में

दिया जाये, और फसलों के काटे जाने के बाद उस के बराबर का पैसा इकट्ठा किया जाय ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या कोई ऐसा भूमिहीन कृषक जो फसलों का एक भागीदार हो उन उर्वरकों को ऋण पर ले सकता है ?

श्री किदवई : प्रत्येक कृषक उर्वरकों को ऋण पर ले सकता है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि अल्वाये कारखाने को कितने उर्वरक ऋण पर दिये गये हैं, और क्या उन्हों ने उस के बदले में धन चुकाना शुरू किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से वह बात पैदा नहीं होती । यह प्रश्न तो कृषकों के लिये दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में है । अल्वाये कारखाना कृषि का काम नहीं करता। हो सकता है कि यह एक रुचिकर विषय हो किन्तु यहां ऐसी बात पैदा नहीं होती ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी राज्य में इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज़ या कोई अन्य कम्पनी इन उर्वरकों को बेचने का काम करते हैं, और यदि हां, तो वे किस प्रकार इन उर्वरकों को ऋण पर दिया करते हैं ?

श्री किदवई : इस समय, इस के वितरण का काम राज्य सरकारों के हाथ में ही है । उक्त उर्वरक फैक्टरी मार्केटिंग बोर्ड की व्यवस्था करना चाहती है । इस तरह की व्यवस्था की जायेगी जिस से कि ऋण दिये जाने की ये सुविधायें आगे के लिये भी चलती रहेंगी । किन्तु मार्केटिंग बोर्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में अभी निश्चिय होने वाला है ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार के पास इस बात की कोई सूचना है कि उड़ीसा में उर्वरकों के बेचे जाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री किदवई : मेरे विचार में उड़ीसा में भी वही होगा जो अन्य राज्यों में होगा ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्य मैं इस का स्पष्टीकरण करूं ? सार्थों को ये ऋण नहीं दिये जाते । भारत सरकार किन्हीं भी सार्थों को कोई ऋण नहीं देती ।

श्री पुन्नूस : राज्यों को अल्पकालीन ऋण दिलाने की व्यवस्था की जाती है ताकि वे सिन्दरी फैक्टरी से उर्वरक खरीदें । मैं जान सकता हूं कि क्या अन्य फैक्टरियों को भी ऋण दिलाने की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री किदवई : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य उन प्रश्नों को नहीं समझ सके हैं जो यहां समय समय पर पूछे गये हैं। सभी उर्वरक जो इस देश में उत्पादित किये जाते हैं, अथवा बाहर से मंगाये जाते हैं, एक साथ संचित किये जाते हैं, और उन के इस संचय के बाद केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय उन का वितरण करता है । चूंकि ये उर्वरक विविध राज्य सरकारों में वितरित किये जाते हैं, अतः एव अन्य कारखानों के लिये ऋण देने की अलग व्यवस्था करने का कोई भी प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जिन्हों ने अल्प-कालीन ऋण से कोई भी लाभ नहीं उठाया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जिस ने इस से लाभ नहीं उठाया हो । इस समय स्थिति इस प्रकार है—मेरे विचार में मान-नीय सदस्य मद्रास के लिये चिन्तित हो रहे हैं—कि मद्रास सरकार के पास उर्वरकों का बहुत बड़ा स्कन्ध है, और शायद यही

कारण है कि उन्होंने आज तक कोई भी ऋण नहीं लिया है । हो सकता है कि इस स्कन्ध के काम में लाये जाने के बाद उन्हें ऋण देने की ज़रूरत पड़े ।

श्री बी० के० दास : फसल के भागीदारों सहित कृषकों को कब तक इन उर्वरकों का दाम चुकाना पड़ता है, और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह दाम फसल अथवा नगद रुपये में चुकाया जा सकता है ?

श्री किदवई : कई राज्य फसल लेते हैं और कई नगद दाम । किन्तु हम ने यह शर्त रखी है कि ३० जून, १९५४ तक ऋण लौटाये जाने चाहियें ।

श्री सारंगधर दास : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता था कि उर्वरकों को किस प्रकार बाज़ार में पहुंचाया जाता है और बेचा जाता है; कृषकों को किस प्रकार ऋण दिये जाते हैं क्या उन्हें सरकार अथवा और किसी कम्पनी द्वारा ऋण दिये जाते हैं ?

श्री किदवई : अभी अभी उस की व्याख्या की जा चुकी है । सरकार द्वारा ही यह काम होता है । किन्तु इस समय यह योजना विचाराधीन है कि स्वयं उर्वरक फैक्टरी एक मार्केटिंग बोर्ड बनायेगी, और इस के बाद हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार ऋण दिया जाना है । ऋण देने का काम तो शायद मार्केटिंग बोर्ड द्वारा हुआ करेगा ।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन जैसे राज्यों को अल्पकालीन ऋण क्यों नहीं दिये जाते ? क्या इस का यह कारण है कि इन राज्यों ने ऋण नहीं मांगे थे ?

श्री किदवई : हम ने ८ करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था की थी । इस म से केवल ४.८ करोड़ रुपये के ऋण काम में लाये जा चुके हैं । जब भी त्रावनकोर-कोचीन को किसी भी प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता हो वह हमारे पास प्रतिनिधित्व कर सकता है और हम उसे उर्वरक मुहैया करेंगे ।

ठाकुर युगल किशोर सिन्हा : क्या सरकार ने इस बात का इन्तज़ाम किया है कि किस तरह की ज़मीन में किस तरह का फर्टिलाइज़र डालने से फायदा होगा इस की जानकारी किसानों को कराई जाय ?

श्री किदवई : ख्याल यह ह कि किसान खुद उस ज़मीन के लिय फर्टिलाइज़र न लेंगे जिस का कोई इस्तेमाल न हो । लेकिन हर स्टेट में ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेंट इस का इन्तज़ाम करता है और बतलाता है कि फर्टिलाइज़र को कैसे यूज़ किया जाय, कहां यूज़ किया जाय और किस वक्त यूज़ किया जाय ।

ठाकुर युगल किशोर सिन्हा : क्या सरकार को मालूम है .....

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं मालूम है ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन उर्वरकों का प्रचार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उस का क्या परिणाम हुआ है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि १९५२-५३ में उर्वरकों की कितनी मात्रा काम में लाई जा चुकी है ?

श्री किदवई : इस समय हम ऋणों के काम में लाये जाने की बात कर रहे हैं । ४.८ करोड़ रुपये के ऋण दिये जा चुके हैं ।

राष्ट्रीय राज मार्ग

*९७०. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब, पैप्सू और हिमाचल प्रदेश राज्यों में वर्ष १९५२-५३ में राष्ट्रीय राज-मार्गों के विकास पर कुल कितना धन व्यय किया गया;

(ख) वर्ष १९५३-५४ के लिये इन राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) क्या और कोई नया राजमार्ग बनाने का विचार किया जा रहा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ग) जी हां ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, सदन पटल पर रखे गये इस विवरण की प्रति मेरे पास नहीं है । अतः मैं कैसे प्रश्न पूछ सकता हूं ? श्रीमान्, मेरे विचार में ऐसे विवरण उस व्यक्ति को दिये जाने चाहियें जिस ने प्रश्न पूछा हो, ताकि वह उनका अध्ययन कर सके । और अब माननीय मंत्री का कहना है कि इस विवरण को उन्हों ने सदन पटल पर रखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये, क्रियाविधि इस प्रकार है । जिन माननीय सदस्यों ने सदन पटल पर प्रश्न रखे हों, वे सूचना कार्यालय जाने का कष्ट करें । सभी विवरण वहां पहले ही दिये जाते हैं; चुनांचि इन विवरणों को सूचना-फलक पर भी रखा जाता है; और इन में यह भी बताया गया होता है कि ये ही वे प्रश्न हैं जिन के उत्तर सूचना कार्यालय में रखे जा चुके हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान्, मुझे यह कहने की आज्ञा दी जाय कि समाकक्ष के पूर्व की दिशा में लगे हुए सूचना फलक (नोटिस बोर्ड) पर अब इन विवरणों को नहीं टांगा जाता है ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, और भी कुछ बात है । सूचना कार्यालय में तो केवल एक प्रति रखी जाती है, और दिक्कत यह है कि अनेक सदस्य जो उसे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते । हमें तो बड़ी कठिनाई से १५ मिनट पढ़ने के लिये मिलते हैं, और कभी कभी ये विवरण कई पृष्ठों पर छपे रहते हैं । ऐसी स्थिति में इन विवरणों को पढ़ा नहीं जा सकता ।

श्री पी० एन० राजभोज : दूसरी बात यह है कि बहुत से क्वेश्चन्स का जवाब टेबल पर रख दिया जाता है । उस से हम एक दम से कैसे पता लगा सकते हैं कि वहां क्या क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप नहीं देखते हैं । बोर्ड पर सब कुछ है ।

श्री पी० एन० राजभोज : यहां टेबल आफ़ दि हाउस पर देखने से क्या होता है ? हमें घर पर जवाब मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : नोटिस बोर्ड पर देखने से पता चल सकता है । आप को यहां आ कर पुकार नहीं करनी चाहिये । मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि महत्वपूर्ण विवरणों की लगभग ६ प्रतियां सूचना कार्यालय को मुहैया की जायें । मैं नोटिस (सूचना) को वहां से उठवा कर इसी नोटिस बोर्ड पर लगवा दूंगा । मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा ।

श्री गिडवानी : श्रीमान्, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रश्न के उत्तर की एक प्रति पहले ही कार्य सूची के साथ भेजी जाय ।

सरदार ए० एस० सहगल : श्री मान्, अनुपूरक प्रश्नों के पूछे जाने का समय इस प्रकार बर्बाद नहीं किया जाय । हम इस विषय पर बाद में भी चर्चा कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

श्री गिडवानी : मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि जिस सदस्य ने प्रश्न भेजा था उस के पास कार्य सूची के साथ विवरण भेज दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आम तौर पर नहीं होता । मुझे सोचने दीजिये ।

श्री अलगेशन : यदि आप स्वीकृति दें तो मैं इस विवरण को यहां पढ़ सकता हूं । यह अधिक लम्बा नहीं है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने वक्तव्य नहीं देखा है तो वह किस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछ रहा हूं । जहां तक इन नये राज्यों का सम्बन्ध है उन के लिए नया निर्माण ढांचा कौन सा है ? यह बहुत छोटा सा प्रश्न है जिस का बहुत छोटा सा उत्तर है ।

श्री अलगेशन : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर भाग (ग) में है ।

श्री अलगेशन : मैं ने कहा था 'हां' ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि नया निर्माण कार्यक्रम क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । माननीय सदस्य ने विवरण नहीं देखा है । मैं ऐसे प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दे सकता । सदन का समय इस प्रकार नहीं बिगाड़ा जा सकता । माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में काफ़ी सचेत हों ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : किन्तु वह उत्तर देने के लिये तत्पर हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । हालांकि माननीय मंत्री उत्तर देने के लिये तत्पर हैं किन्तु फिर भी मैं इस की आज्ञा नहीं दूंगा । सदन का समय केवल मंत्रियों के ही हाथ में नहीं है ।

श्री हेडा : विभिन्न राज्यों को धन निर्धारित करते समय किस सिद्धान्त का पालन किया जाता है, क्या मैं उस के बारे म जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन : विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं पर निर्भर है । वे प्रतिवेदन भेजते हैं और उस के अनुसार निश्चित कर दिया जाता है ।

श्री नानादास : पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश में १९५२-५३ में कुल कितनी मील लम्बी सड़कें तारकूल की तथा सीमेंट की बनाई गईं ?

श्री अलगेशन : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि इन सड़कों पर खर्च की जाने वाली धनराशि का स्तर पंचवर्षीय योजना में निर्देशित अनुसूची के अनुसार है ?

श्री अलगेशन : जी हां ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या मध्य प्रदेश भी इसी श्रेणी में आता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मध्य प्रदेश का तो कोई प्रश्न नहीं है ?

श्री एम० डी० जोशी : क्या मैं जान सकता हूं १९५३-५४ में कुल कितने मील के राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण होगा ?

श्री अलगेशन : मुझे इस के लिये भी पूर्व सूचना चाहिये ।

पंजाब में पुल

*९७१. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों में पंजाब में कुछ नये पुलों का निर्माण किया जायगा ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) यह तो मान लिया जाता है कि माननीय सदस्य का प्रश्न पंजाब में राष्ट्रीय राजपथों के बारे में है जिन के लिए अस्थायी रूप से भारत सरकार ने आर्थिक दायित्व स्वीकार कर लिया है । इन राजपथों पर आगामी तीन वर्षों में बहुत से पुल बनाने का प्रस्ताव है ।

(ख) नहीं ।

प्रो० टी० सी० शर्मा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि पंजाब सरकार ने मंत्रालय को कोई अभिवेदन किया है जिस में कहा है कि कुछ कारणों की वजह से उना के निकट सोन नदी पर एक पुल बनाया जाय ?

श्री अलगेशन : जी हां, वह पुल राज्य के राजपथ पर है, अतएव उस के निर्माण का कोई भी उत्तरदायित्व हम नहीं ले सकते ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब सरकार की ओर से भारत सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन मिला है जिस में कहा है कि कांगड़ा जिले में गुलेर के निकट पुल बनाने की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि उस का सैनिक दृष्टि से बड़ा महत्व है ?

श्री अलगेशन : जी हां । किन्तु यह राज्य के राजपथ पर है न कि राष्ट्रीय राजपथ पर ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पंजाब सरकार की ओर से भारत सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन मिला है कि व्यापार तथा सैनिक दृष्टि से डेरा गोपीपुर के निकट पुल निर्माण आवश्यक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस प्रकार आशा कर सकते हैं कि माननीय सदस्य इन सभी स्थानों के नाम तथा पुलों के बारे में याद रखेंगे ?

प्रो० डी० सी० शर्मा : माननीय मंत्री समस्त देश के यातायात के अध्यक्ष हैं उन्हें ये सब बातें जाननी चाहियें ।

श्री अलगेशन : यह राज्य के राजपथ पर है, श्रीमान् ।

पशुरक्त से खाद

*९७३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बूचड़खाने के पशु रक्त को खाद बनाने के काम में लाने के लिए कोई प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) क्या उस पशुरक्त में खाद सम्बन्धी अवयव हैं इस को जानने के लिये क्या कोई प्रयोग किये गये हैं ;

(ग) भारतवर्ष में इस कार्य के लिये कितनी मात्रा पशुरक्त को अनुमानित रूप में मिल सकती है ;

(घ) भारतवर्ष में आजकल किन किन स्थानों पर यह पशुरक्त खाद बनाने के लिये प्रयोग में आता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां। पशुरक्त से खाद बनाने के ढंग का ब्योरा राज्यों को भेज दिया गया है और उन से प्रार्थना की गई है कि वे इस का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्साहित करने के लिय पग उठायें। प्राप्य सूचना के आधार पर कानपुर, काकीनारा, विजयवाड़ा, गुन्तूर, तथा विजगापट्टम में यह बनाया जाता है।

(ख) जी हां। जांच से पता चला है कि इस में १२ से १५ प्रतिशत तक नाइट्रोजन होता है।

(ग) देश में वध किये जाने वाली पशुओं की संख्या के आधार पर पता चला है कि कुल रक्त जो निकलता है वह लगभग २०/२४,००० टन प्रतिवर्ष होता है।

(घ) यह विशेष रूप से चाय तथा काफी के पौदों की फसल लगाने के लिये उत्तर पूर्व तथा दक्षिण भारत में काम में लाया जाता है। हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में आलू की फसल एवं फलों के बगीचों में खाद देने में भी काम आता है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि एमोनियम सलफेट की अपेक्षा नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत में है; क्या यह एमोनियम सलफेट का स्थान ले सकती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरी समझ में यह नहीं आया कि स्थान लेने का प्रश्न क्यों उठा। हमें दोनों ही की अर्थात पशुरक्त एवं एमोनियम सलफेट की आवश्यकता है, दोनों के प्रयोग के लिये काफी गुंजाइश है।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं यह जानना चाहता था कि क्या यह किसी भी रूप में एमोनियम सलफेट के स्थान पर प्रयोग में आ सकती है।

डा० पी० एस० देशमुख: विशेषज्ञों को यह मामला देना होगा। मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या खाद कार्य के लिये प्रयोग में लाने से पूर्व पशुरक्त के सड़ जाने का भय है, क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् इस पर प्रयोग कर रही है और मैं समझता हूं कि उन्हों ने कुछ न कुछ तरीका निकाल लिया होगा और इसे बताने में समर्थ होंगे कि कब और किस प्रकार इस पशुरक्त का प्रयोग करना चाहिये।

सेठ गोविन्द दास: इन कामों के लिये किन पशुओं का वध किया जाता है और क्या इस काम के लिये कुछ खास तौर से पशु मारे जाते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : बिल्कुल नहीं। जो मारे जाते हैं उन का खून एकत्रित किया जाता है।

सेठ गोविन्द दास: और जो मैं ने अभी एक बात पूछी कि किन पशुओं का इस के लिए वध किया जाता है, गायों का, भैंसों का या बकरियों का ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह जो पशु मरते हैं या मारे जाते हैं उन्हीं का खून एकत्रित किया जाता है।

श्री हेडा: खून से मेन्योर बनाने के वास्ते जिस मशीन की जरूरत होती हैं उस की कीमत ज्यादा होने की वजह से क्या कुछ म्युनिसिपैलिटियां आम तौर पर उस को खरीदना दरगुजर करती हैं, और क्या इस के लिये म्युनिसिपैलिटियों को किसी प्रकार की मदद देने के लिये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सोच रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने तो स्टेट गवर्नमेंट्स से बिनती की है और इस में से मद्रास गवर्नमेंट ने चार म्युनिसिपैलिटियों में यह तरीका जारी किया है और वहां पर ब्लड मील हो रहा है ।

अर्द्धवार्षिक बक़ाया प्रतिवेदन

***९७४. सरदार ए० एस० सहगल:** क्या **रेल** मंत्री रेलवे मंडल द्वारा सन् १९५१-५२ में सार्वजनिक लेखा समिति को दिये गये ज्ञापन के पैरा संख्या ४ का जिस में रेलों के भीतरी रोक तथा लेखा की असंतोषजनक स्थिति का वर्णन है हवाला देते हुए बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य प्रबन्धकों की अर्द्ध-वार्षिक बकाया प्रतिवेदन की बकाया रेल मंडल को भेज दी गई है ?

(ख) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या विवरण की स्थिति साधारण है, अथवा रेलवे मंडल ने काफी संख्या में बकाया पाई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) काम की स्थिति साधारण नहीं है । हालांकि कुछ महत्वपूर्ण बकायाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुधार कर दिये गये हैं । इस सम्बन्ध में होने वाली प्रगति पर रेलवे मंडल निरन्तर निगाह रखेगा ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री यह बतलायेंगे कि रेलवे बोर्ड के हिसाब किताब का जो पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के चौथे पैरे में था अब कितना बकाया है तथा भीतरी छानबीन शुरू हुई है या नहीं ?

श्री अलगेशन : मैं प्रश्न को पूरी तरह नहीं समझ सका ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं प्रश्न को दुहरा सकता हूं ?

क्या मंत्री यह बतलायेंगे कि रेलवे बोर्ड के हिसाब किताब का जो पबलिक एकाउंट्स कमेटी के चौथे पैरे में था अब कितना बकाया है तथा भीतरी छानबीन शुरू हुई है या नहीं ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : क्या माननीय सदस्य अपने प्रश्न को फिर दुहरायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आगे से मेरी सलाह है कि यदि कोई माननीय मंत्री किसी प्रश्न को नहीं समझ पाते तो वे या तो कोई मंत्री अथवा सभा सचिव रख लें जो उन की सहायता कर सके । मैं किसी माननीय सदस्य से अंग्रेज़ी में प्रश्न दुहराने की बात नहीं कह सकता ।

श्री एल० बी० शास्त्री): मैं प्रश्न ही नहीं समझ पाया इसी कारण दुहराने के लिये कहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हों ने एक बार दुहरा दिया है ।

बिहार-नैपाल सड़क

***९७५. सरदार ए० एस० सहगल:** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार-नैपाल सड़क को समाप्त करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

(ख) क्या सड़क को पक्की कर दिया गया है ?

(ग) सरकार ने अपनी सीमा में इस सड़क पर कितना व्यय किया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) संभवतः माननीय सदस्य मुजफ्फरपुर-रक्सोल सड़क का हवाला दे रहे

हैं। आजकल अच्छे मौसम में इस सड़क पर मोटरें चलाई जा सकती हैं। इस सड़क का सुधार हो जाने पर सभी मौसमों में इस पर यातायात हो सकेगा। यह सुधार कार्य मार्च १९५७ के अन्त तक होगा।

(ख) पूरी सड़क पर तारकोल करने का विचार है। ७८ मील लम्बी सड़क में से २९ मील लम्बी सड़क पर तारकोल कर दिया है।

(ग) कुल अनुमानित खर्चे में से लगभग २९ लाख रुपया खर्च करना होगा।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या नैपाल सरकार से इस के बारे में नैपाल की राजधानी तक ले जाने के लिए कोई पत्रव्यवहार हो रहा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): जी नहीं, अभी हमारा काम तो अपने मुल्क तक ही सीमित है। अगर नैपाल सरकार उसे आगे बनाना चाहती हो तो वह खुद बनायेगी।

श्री भक्त दर्शन: क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश से नैपाल जाने वाली मुख्य सड़कों के बारे में भी विचार कर रही है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: सिर्फ़ एक यह खास सड़क है उस पर विचार हो रहा है, और विचार ही नहीं हो रहा है काम भी हो रहा है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह तथ्य है कि आजकल श्रमिकों की कमी के कारण सड़क की प्रगति का काम रुक गया है। और श्रमिकों की कमी का क्या कारण है ?

श्री एल० बी० शास्त्री: मैं समझता हूं कि प्रगति कार्य ठीक चल रहा है, और श्रमिकों की कोई कमी नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि उस क्षेत्र में श्रमिकों के झगड़े थे ?

श्री अलगेशन: हमें कोई जानकारी नहीं है।

डाक तथा तार विभाग के लिये फर्नीचर

*९७६. **श्री एस० सी० सामन्त:** (क) क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि डाक तथा तार विभाग में काम आने वाले फर्नीचर का नमूना एवं उस का प्रकार एक सा नहीं है ?

(ख) यदि यह ठीक है तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई पग उठाने का विचार रखती है ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि नये खुलने वाले डाकघरों के लिये कम से कम आवश्यक फर्नीचर भी बहुत सी जगह अभी तक नहीं दिया गया है ?

(घ) कब तक सरकार सभी डाकघरों को आवश्यक फर्नीचर देगी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां।

(ख) सभी कार्यालयों में साधारण रूप से प्रयोग होने वाले साधारण फर्नीचर का एक रूपक तैयार कर लिया गया है और डाकघरों में एक रूपता यह नया फर्नीचर भेजा जायगा। प्रारम्भ में यह कार्य धीरे धीरे बड़े डाकघरों से प्रारम्भ होगा।

(ग) पिछले वित्त वर्ष के अन्त में खोले गये अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में कम से कम आवश्यक फर्नीचर नहीं दिया गया है।

(घ) भाग (ग) में जिन डाकघरों का निर्देश है उन को जहां तक हो सकेगा आगामी तीन महीनों में फर्नीचर भेज दिया जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : डाक तथा तार घरों की इमारतों के नमूने मंत्रालय द्वारा तैयार कर लिये हैं, क्या मैं जान सकता हूं इन कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले फर्नीचर के नमूनों में भी कोई परिवर्तन किया गया है ?

श्री राज बहादुर: डाकघरों के लिये नई इमारत के नमूने के साथ साथ फ़र्नीचर में भी एकरूपता रखनी होगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह तथ्य है कि नये खुलने वाले डाकघर, और विशेष रूप से अतिरिक्त विभागीय डाकघरों से कहा गया है कि वे वहां की जनता से फर्नीचर लें ?

श्री राज बहादुर: ऐसा तो अभी तक प्रचलन है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि कितने नये डाकघर बिना फर्नीचर के काम कर रहे हैं ?

श्री राज बहादुर: मैं समझता हूं कि प्रश्न दूसरे प्रकार से होगा । अर्थात् यदि माननीय सदस्य को ऐसी सूचना दी गई है कि अमुक डाकघर बिना फर्नीचर के काम कर रहा है तो मैं उस जानकारी के लिये उनका आभारी हूंगा और तब मैं आवश्यकतानुसार उसके लिए कार्य भी करूंगा ।

कुमारी एनी मस्करीन: जी हां, मेरे राज्य में ही ।

श्री राज बहादुर : मैं इसका ध्यान रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्यक माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि वह इस प्रकार की बातें माननीय मंत्री की जानकारी में लावें नाकि ऐसी बातों को सदन में रखें, हां उस समय रख सकते हैं जब कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । (अन्तर्बाधा)

माननीय सदस्य स्वयं ही शास्ता नहीं बन सकते । यदि उनकी बातों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो वे उन्हें यहां ला सकते हैं ।

श्री पी० एन० राजभोज : जवाब जल्दी नहीं मिलता है मिनिस्टर महोदय की तरफ से, दो दो तीन तीन और चार चार महीने लग जाते हैं और जवाब ठीक तरह से नहीं मिलता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सदैव यहां नहीं आ सकते ।

श्री राज बहादुर: मैं अर्ज़ करूंगा कि मेरी याद में माननीय सदस्य ने आज तक कोई पत्र मुझ को नहीं लिखा है ।

श्री पी० एन० राजभोज: कभी पत्र डिप्टी मिनिस्टर के पास जाता है कभी मिनिस्टर के पास जाता है और ठीक तरह से जवाब नहीं मिलता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । क्या माननीय सदस्य १५ मिनट चाहते हैं । मैं सदन का कार्य स्थगित कर सकता हूं ?

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान डाकघरों में जब कभी अतिरिक्त कर्मचारी भेजे गये तो क्या वहां अतिरिक्त फर्नीचर भी भेजा जाता है ?

श्री राज बहादुर : हम ऐसा प्रयत्न करते हैं, किंतु स्थानाभाव के कारण हमारे प्रयत्न भी सीमित रहते हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : अभी माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि पुराना फर्नीचर बदला जायगा । तो उसके बदलने में सरकार को कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा ?

श्री राज बहादुर : जैसा मैं ने अभी निवेदन किया कि जो हमारे बड़े बड़े दफ्तर हैं उन में हम नया फर्नीचर दे रहे हैं और

जो पुराना फर्नीचर होगा उसको हम उन दफ्तरों को देंगे जोकि नये खोले जा रहे हैं। इसलिये इसमें ज्यादा खर्चा करने की बात नहीं आती है।

रेल कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

*९७७. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पर कार्य करने वाले रेल कर्मचारियों के स्कूल में जाने वाले बच्चों की शिक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

(ख) विभिन्न उचित शिक्षा केन्द्रों में क्या सहायता दिये जाने वाले छात्रावास बनाने का कोई प्रस्ताव था ?

(ग) यदि हां, तो कितने और कहां कहां पर इस प्रकार के छात्रावास बनाये गये हैं ?

(घ) उन छात्रावासों में कितने विद्यार्थी रह रहे हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को जो छोटे छोटे स्टेशनों पर कार्य करते हैं उन्हें शिक्षा के लिये सहायता दी जाती है ताकि वे अपने बच्चों को शिक्षा के लिये निकटवर्ती शहरों में भेज सकें।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ). ये विचाराधीन हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि विद्यार्थियों के लिये क्या कोई छात्रावास का प्रबन्ध है ? क्या बच्चों की सहायता के लिये कोई सहायता दी गई है ?

श्री अलगेशन : जी हां। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सहायता दी जाती है जो कि उनकी फ़ीस और छात्रावास की फीस में आंशिक भुगतान के रूप में होती है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का भार राज्य सरकारें लें, यह प्रस्ताव अन्तिम रूप से तय हो गया है, अथवा सरकार नये स्कूल खोलने जा रही है ?

श्री अलगेशन : सरकार बहुत से स्कूल चला रही है। रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के हितार्थ भी बहुत कुछ किया गया है। यह हवाला छात्रावासों के लिये है जो कि हम बनाने जा रहे हैं।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को भी ये शिक्षा सुविधायें दी जायेंगीं ?

श्री अलगेशन : जी हां।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार स्थानीय मंडल के स्कूल जिसमें रेलवे कर्मचारियों के बहुत से बच्चे पढ़ते हों, उसे कोई आर्थिक सहायता देती है ?

श्री अलगेशन : मैं तो नहीं समझता कि सभी मामलों में सरकार सहायता देती हो।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या रेलवे कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त में पास दिये जाते हैं ?

श्री अलगेशन : जी हां।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं उन बनाये जाने वाले छात्रावासों में से कितने छात्रावासों के संबंध में सरकार विचार कर रही है और वे किस प्रदेश में हैं ?

श्री अलगेशन : प्रयोग के तौर पर हम दो छात्रावास मध्य तथा पूर्वी रेलों पर बनाने का विचार कर रहे हैं।

श्री वीरस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गोल्डन राक के रेलवे हाई स्कूल में कोई छात्रावास है ?

श्री अलगेशन: जैसा कि मैंने कहा है कि मध्य तथा पूर्वी रेलों पर छात्रावास बनाये जायेंगे ।

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता हूं कि कितने विद्यार्थियों को सुविधाएं दी जायेंगी?

श्री अलगेशन: यह विचाराधीन है ।

कच्ची जट सम्बन्धी समिति

*९७८. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्ची जूट समस्या के संबंध में जांच करने के लिये जो समिति बनाई गई थी उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

(ख) यदि हां, तो उसने क्या जांच की हैं और उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई में खाद्यान्नों के लिये भाण्डार प्रबन्ध

*९७९. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि बम्बई के केन्द्रीय गोदामों में केन्द्रीय खाद्य स्कन्ध को संचित करने के लिये प्रबन्ध अपर्याप्त हैं ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि वर्ष १९५३ में गोदामों में आयातित खाद्यान्न बहुत अधिक एकत्र हो गया था ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि गत वर्ष भाण्डार प्रबंधों की अपर्याप्तता के कारण बरसात में खाद्यान्नों के स्कन्ध काफी खराब हो गये थे ?

(घ) आवश्यकता से अधिक एकत्रीकरण को बचाने के लिये फालतू स्कन्ध को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) बम्बई के बंदरगाह पर आने वाले आयातित खाद्यान्नों को गोदामों में संचित करने के प्रबन्ध केवल बम्बई ही में नहीं अपितु बम्बई के बाहर भी किये गये थे, और सरकार के पास इस प्रयोजन के लिये संचित करने का स्थान अपर्याप्त नहीं था ।

(ख) बम्बई के गोदामों में कोई अत्यधिक एकत्रीकरण नहीं था, यद्यपि यदाकदा माल के पहुंचने और उसके रेलों द्वारा भेजे जाने के बीच अधिक समय हो जाने के कारण बम्बई में योजना से अधिक स्कन्ध अस्थायी रूप से रोकना पड़ा था ।

(ग) १३-६-१९५२ को बम्बई में एक घन्टे में ४½ इंच वर्षा हुई थी और इस तिथि को कुछ गोदामों की छतों से पानी छन कर अन्दर चला गया था जिसके फल-स्वरुप ९० टन (९०० बोरे) अन्न खराब हो गया था ।

(घ) जैसा कि ऊपर भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, संचय का स्थान भीतरी स्थानों में कई डिपों में भी ले लिया गया है ताकि बम्बई के गोदामों में अधिक एकत्रीकरण को रोका जा सके ।

श्री गिडवानी: श्रीमान्, यह बताया गया था कि वर्षा के कारण ९०० बोरे अन्न खराब हो गया था। श्रीमान्, क्या म जान सकता हूं कि उस अन्न का क्या हुआ । क्या वह लोगों में बांट दिया गया था या नष्ट कर दिया गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: जब अन्न में खाद्य तत्व समाप्त हो जाता है तब वह या तो पशुओं के चारे अथवा कलफ निर्माण के लिये काम में लाया जाता है ?

श्री गिडवानी: श्रीमान्, उत्तर स्पष्ट नहीं है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा क्या माननीय सदस्य कृपा करके अपना प्रश्न दुहरायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न सीधा है : "इन ९०० बोरों का क्या किया गया है ? "

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह बेच दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मानव उपभोग के लिये ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नहीं श्रीमान् । जब वह खाद्य तत्व खो देता है तो हम उसे बेच देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन इस मामले में क्या हुआ है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह नीलाम कर दिया गया है ।

श्री एन० एम० लिंगम : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकारी कीटवित् ने यह प्रमाणित कर दिया है कि यह स्टाक मानवी उपभोग के योग्य नहीं है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नहीं, श्रीमान् । यदि हमारे प्राविधिक सहायक यह प्रमाणित कर देते हैं कि यह मानवी उपभोग के योग्य नहीं है तो वह बेच दिया जाता है ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या ये ९०० बोरे चावल के हैं या गेहूं के ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं विस्तृत विवरण नहीं दे सकता ।

श्री सारंगधर दास : यदि वह ढेर नीलाम कर दिया गया है तो सरकार के पास यह जानने के लिये क्या रास्ता है कि वह मानवी उपभोग के लिये नीलाम किया जा रहा है अथवा पशुओं के लिये ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न दुहरायेंगे ?

श्री सारंगधर दास : यदि यह तथ्य है कि खराब हुए खाद्यान्नों का यह ढेर नीलाम कर दिया गया है, तो इस बात की क्या प्रत्याभूति है कि वह मिलावट के प्रयोजनों के लिये अथवा अपने वर्तमान रूप में मानवी उपभोग के काम में नहीं लाया जायेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जब भी कभी खाद्य मंत्रालय से संलग्न कोई कीटवित् इस बात का प्रमाणीकरण करता है कि अन्न का कुछ प्रतिशत भाग वर्षा अथवा पानी से खराब हो गया है और यह कि वह मानवी उपभोग के योग्य नहीं है, तो उसको या तो कलफ़ निर्माण अथवा पशुओं के चारे के लिये नीलाम कर दिया जाता है । चूंकि राशन वितरण का सारा काम सरकार के हाथ में है, अतः बम्बई अथवा कलकत्ता में खाद्यान्नों में मिलावट करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार सदन को इस बात का आश्वासन दे सकती है कि यह नीलाम किया हुआ खाद्यान्न राशन के क्षेत्रों में नहीं भेजा गया है और अन्य खाद्य पदार्थों के साथ, मानवी उपभोग के लिये, मिलाया नहीं गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से आश्वासनों की मांग न करने का अनुरोध करूंगा । उन्हें केवल प्रश्न पूछने चाहियें । इस बात के लिये कोई बचाव किये गये हैं कि उसका मानवी उपभोग के लिये प्रयोग नहीं किया जाये ?

श्री के० के० बसु : हां, श्रीमान्, मैं भाषा बदलना चाहूंगा ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम ऐसा अन्न केवल कलफ़ निर्माताओं को देते हैं और अन्य

लोग ऐसे अन्न को पशुओं के चारे के लिये खरीद सकते हैं ।

श्री गिडवानी : क्या नीलाम करने से पूर्व यह प्रमाणित कर दिया गया था कि वह मानवी उपभोग के योग्य नहीं है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री ए० एम० टामस : संसद के गत अधिवेशन में माननीय मंत्री ने बताया था कि जब बम्बई से इस संबंध में उनके पास शिकायतें पहुंची कि वहां पर भाण्डार प्रबन्ध अपर्याप्त थे तो वह तत्काल उस नगर में गये और उन्होंने प्रबन्ध किये । यह दुर्घटना उसके बाद हुई है अथवा उसके पहले ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्थान का अभाव नहीं है । यह अत्यधिक वर्षा के कारण है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे पता नहीं ।

श्री टी० एन० सिंह : यदि इन ६०० बोरों को मानवी उपभोग के अयोग्य प्रमाणित कर दिया गया था तो सरकार ने स्वयं उसका उपयोग क्यों नहीं किया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि हमारे प्राविधिक सहायकों ने कहा था कि यह मानवी उपभोग के अयोग्य है और पशुओं के चारे अथवा कलफ़ निर्माण के लिये उपयोग किया जा सकता है । अतः वह नीलाम कर दिया गया था ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री सदन को यह बार बार बताते रहे थे कि कीटवित् द्वारा वह मानवी उपभोग के अयोग्य प्रमाणित कर दिया गया था और वह नीलाम कर दिया गया था । श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि एक कीटवित् से, जो कीटाणुओं का विशेषज्ञ होता है, खाद्य, खाद्य के गुण तथा उस खाद्य के उपभोग की संभावना आदि के विषय में प्रमाणित करने को क्यों कहा जाता है ?

श्री किदवई : उन्होंने यह साफ साफ कहा था कि हमारे प्राविधिक सहायकों ने हमें यह सलाह दी थी कि वह मानवी उपभोग के योग्य नहीं है ।

आल्ड्रीन

*९८०. **श्री गिडवानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि एक नये कीटाणु नाशक, आल्ड्रीन, का राजस्थान क्षेत्र में टिड्डियों की रोक थाम की कार्यवाही में उपयोग किया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो उसके परिणाम; और

(ग) क्या मनुष्यों अथवा पशुओं पर उसके कोई कुप्रभाव पड़े थे ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हां ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है ।

(ग) नहीं । लेकिन हो सकता है कि आगे चल कर उसका कोई प्रभाव पड़े, जो अभी ज्ञात नहीं है ।

विवरण

टिड्डियों को रोक थाम की कार्यवाहियों के लिये आल्ड्रीन के उपयोग के परिणाम

आल्ड्रीन का उपयोग मैदान पर आकर बैठे हुए टिड्डी के दलों और सभी अवस्था के उनके बच्चों पर क्रमशः ५·३३ और ३·३९ औंस की खुराकों में किया गया है । वह बहुत विषैली सिद्ध हुई है । वयस्कों के मामले में मृत्यु की संख्या ७५ प्रतिशत थी, जब कि उनके बच्चे शत प्रतिशत मरे थे । इस कीटाणुनाशक का प्रभाव काफ़ी देर बाद तक

रहता है। इस रसायन का यह गुण टिड्डियों की रोक थाम के लिये बहुत लाभप्रद है। जिस वनस्पति पर यह छिड़क दी जाती है, उस पर से हो कर जाने वाली टिड्डियां या तो उसके सम्पर्क में आते ही अथवा उसको खाने के परिणामस्वरूप मर जायेंगी, जब कि उन क्षेत्रों पर जहां उन्होंने अण्डे दिये हैं, बच्चों के निकलने की संभावना से फिर से आल्ड्रीन छिड़की जा सकती है।

श्री गिडवानी: श्रीमान्, यह कहा जाता है कि आल्ड्रीन अत्यधिक विषैली सिद्ध हुई है और यह कि जिस वनस्पति पर यह छिड़क दी जाती है उस पर से हो कर जाने वाली टिड्डियां या तो उसके सम्पर्क में आते ही अथवा उसके खाने के परिणामस्वरूप मर जायेंगी। भाग (ग) के सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसका कोई कुप्रभाव उन पशुओं पर पड़ा है जो इन क्षेत्रों में चरते हैं या जो आल्ड्रीन छिड़की गई वनस्पति खाते हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: पशुओं अथवा मनुष्यों पर किसी कुप्रभाव के पड़ने की सूचना नहीं मिली है, यद्यपि उसका विस्तृत क्षेत्रों में दूर दूर तक उपयोग किया गया है।

श्री रघवय्या: क्या सरकार को ज्ञात है कि कहा जाता है कि टिड्डियों विरोधी कार्य-वाही के भार साधक पदाधिकारियों ने यह कहा है कि ऐसे कीटाणुनाशक के उपयोग से इस बात की संभावना है कि जो मनुष्य उस हवा को सांस में लेंगे वे कंठ की सूजन की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: इसका उत्तर प्रश्न के भाग (ग) में दिया जा चुका है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हमको ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

सिन्द्री उर्वरक के मूल्य में कमी

*९८२. **श्री गिडवानी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'टाइम्स आफ़ इंडिया' के १८ जून १९५३ के बम्बई संस्करण में प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि अमोनियम सल्फ़ेट के मूल्य में कमी के और राज्य सरकारों की ख़रीदों पर दी जाने वाली रियायत के कारण भारत सरकार को काफ़ी हानि हो सकती है; और

(ख) यदि ऐसा है तो हानि की अनुमानित राशि क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) हां। चावल पैदा करने वालों के लिये उसके उपयोग को लाभदायक बनाने के लिये अमोनियम सल्फ़ेट के मूल्य को धीरे धीरे कम करने की सरकार की नीति है। इस वर्ष गत वर्ष के ३६५ रुपये सामूहिक (पूल) मूल्य को घटा कर २९० रुपये करने में, राज्य सरकारों को वर्ष के आरम्भ में उनके पास जो स्टॉक थे उन पर एक रियायत दी गई थी।

(ख) लगभग ५० लाख रुपये।

श्री जयपाल सिंह: माननीय मंत्री ने कहा कि अमोनियम सल्फ़ेट के मूल्य को धीरे धीरे कम करने की सरकार की नीति है। इस विशेष मामले में, क्या यह तथ्य नहीं है कि बेचे जाने के अयोग्य स्टाक के जमा हो जाने के कारण उन्हें मूल्य घटाने के लिये बाध्य होना पड़ा है ?

डा० पी० एस० देशमुख: नहीं, श्रीमान्, वह बाध्यकर्ता तथ्य नहीं था।

श्री सी० डी० पांडे: क्या सरकार को ज्ञात है कि उर्वरकों के मूल्यों को घटाने पर भी, देश में देशी उर्वरकों की अपेक्षा जापानी उर्वरक सस्ते बिक रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): मैं अनुमान करता हूं कि माननीय सदस्य यह बात जानते हैं कि जापानी अपने निर्यात पर कुछ आर्थिक सहायता देते हैं। मैं समझता हूं कि उनके मूल्य सिन्द्री कारखाने के उत्पाद के मूल्यों से कम नहीं है। उस मूल्य पर वह जापान में बिक रहा है। अभी हमारे पास जापानी आंकड़े नहीं हैं।

श्री सारंगधर दास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सिन्द्री में निर्मित उर्वरकों का मूल्य उत्पादन की लागत, सारी लागत तथा कुछ छूट को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाता है, अथवा क्या वह मनमानी तौर पर लगभग ३६० रुपये निश्चित कर दिया गया था, जिसमें अब लगभग ८० रुपये की कमी कर दी गई है?

श्री किदवई: माननीय सदस्य ने मूल्य निर्धारण का जो सिद्धान्त बताया वह ठीक है। अब चूंकि उत्पादन बढ़ रहा है, अतः मूल्य कम हो रहे हैं।

श्री आर० के० चौधरी: क्या यह तथ्य है कि आसाम राज्य को उर्वरकों का संभरण कलकत्ता के द्वारा होता है जिसके फलस्वरूप हमें आसाम में अन्य स्थानों की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्य देने पड़ते हैं?

श्री किदवई: मैं समझता हूं कि प्रत्येक दशा में आसाम सरकार को उर्वरक सीधे सिन्द्री से भेजे जाते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के मस्तिष्क में आसाम के चाय बागों को किया जाने वाला संभरण है, जिसके लिये कलकत्ता की एक फर्म के साथ एक संविदा किया गया था। अब वह चीज़ ठीक कर दी जायेगी।

श्री आर० के० चौधरी: क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कलकत्ता के द्वारा होने वाला संभरण सीधे सिन्द्री से होने वाले संभरण की अपेक्षा अधिक मंहगा है?

श्री किदवई: मैं सहमत हूं।

श्री टी० एन० सिंह: जापान से आने वाले उर्वरकों और कारखानों से निकलने पर सिन्द्री के उर्वरक के क्या मूल्य हैं? उनमें पारस्परिक तुलना क्या है?

श्री किदवई: मैं बता चुका हूं कि जापान का मूल्य हमारे सामने नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जापानी कृषकों के लिये जो मूल्य है उसमें और हमारे देश के मूल्यों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। लेकिन जापान में वे अपने निर्यात को आर्थिक सहायता देते हैं और इसीलिये वे सस्ती दरों पर निर्यात किया जाता है।

श्री टी० एन० सिंह: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या ५० लाख रुपये की राशि बिक्री के मूल्य के सम्बन्ध में थी या यह सिन्द्री कारखाने की कुल हानि है?

श्री किदवई: कोई हानि नहीं है। पिछली बिक्रियों से खाद्य मंत्रालय और उर्वरक के सम्मिलित कोष ने कुछ लाभ उठाये हैं। मैं समझता हूं कि लाभ लगभग ९० लाख रुपये था। ४० लाख रुपये इस वर्ष मूल्य निर्धारण के लिये उपलब्ध कर दिये गये हैं।

श्री के० के० बसु: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मूल्य में कमी के फलस्वरूप माल का उठाया जाना बढ़ गया है?

श्री किदवई: यह सच है।

श्री दाभी: क्या मैं जापान से आयातित उर्वरक तथा अपने उर्वरक के मूल्य के बीच अन्तर जान सकता हूं?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं पूर्व सूचना चाहूंगा। स्मरण शक्ति के आधार पर मैं

समझता हूं कि आयातित उर्वरक का मूल्य लगभग २४० रुपये आता है ।

विकास बोर्ड

*९८४. **सेठ गोविन्द दास :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या दिल्ली और नई दिल्ली के विकास के लिये केवल एक ही विकास बोर्ड बनाया जा रहा है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : यह मामला विचाराधीन है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या मैं जान सकता हूं यह मामला कितने समय से विचाराधीन है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं समझती हूं कि गत दो वर्षों से ।

राष्ट्रीय राजपथ

*९८५. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या यातायात मंत्री १९५२-५३ में बिहार में राष्ट्रीय राजपथ पर मौलिक कामों के निष्पादन में हुई प्रगति बताने की कृपा करेंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : १९५२-५३ में बिहार में राजपथों पर चालू मौलिक कामों की कुल स्वीकृत लागत लगभग १६५ लाख रुपये थी । उन कामों पर १९५२-५३ में लगभग ३७ लाख रुपये व्यय हुए थे ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि अनुमानतः इन कामों के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ?

श्री अलगेशन : कई काम समाप्त हो चुके हैं और अन्य काम चालू हैं ।

इंजन को चलाने वाले कर्मचारी

*९८६. **श्री टी० के० चौधरी :** (क) क्या रेल मंत्री क्लीनर्स, फायरमैन, शन्टर्स और ड्राइवरों जैसे इंजन को चलाने वाले कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के मार्ग बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) प्रत्येक उल्लिखित श्रेणियों में काम करने वाले व्यक्तियों को अगले उच्चतर वर्ग पर पदोन्नति के लिये अपने आप को योग्य बनाने के हेतु किन पदों पर से हो कर जाना पड़ता है ?

(ग) क्या सभी रेलवे क्षेत्रों में पदोन्नति मार्गों के लिये वर्गीकरण एक सा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ग) हां, श्रीमान् ।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान, १९५० में अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ के तत्वावधान में मद्रास में हुए अखिल भारतीय रेल इंजन चालक कर्मचारी सम्मेलन के प्रस्ताव में जो मांगें की गई थीं, उनकी ओर और विशेषकर ड्राइवरों, फ़ायरमैन, ब्रेक्समैन, क्लीनर्स और शन्टर्स के लिये निम्नतम वेतन क्रमों के उन्मूलन की तथा एक ही सा काम करने वाले मैट्रिक उत्तीर्ण, जो मैट्रिक उत्तीर्ण नहीं है और अशिक्षितों के लिए अलग अलग वेतन क्रमों को हटाने की मांग की ओर आकर्षित किया गया है ?

श्री अलगेशन : हां, श्रीमान् । लेकिन मैं ने अभी तक इस निकाय द्वारा की गई कोई सिफारिश नहीं देखी है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या सरकार को उन लोको कर्मचारियों के पास से, जो तत्कालीन विनियमों के आधीन शिक्षितों के रूप में भर्ती किये गये थे और जिन्हें 'क' वर्ग और 'ख' वर्ग में पदोन्नति के कुछ मार्ग प्राप्त थे,

इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है कि उन्हें अब भूतलक्षी प्रभाव से अर्ध-शिक्षित कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है और दक्षिण रेलवे पर उनसे उनके पदोन्नति के मार्ग छीन लिये गये हैं ?

श्री अलगेशन : और अधिक पदोन्नति के मार्गों की व्यवस्था की गई है । उस श्रेणी के लोगों के लिये, जो माननीय मित्र के दिमाग़ में हैं, आवश्यक संख्या से अधिक पद बनाये गये हैं और इस प्रकार उनकी व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या सरकार को यह तथ्य मालूम है कि फ़ीरोज़पुर डिवीज़न में, वहां के अशिक्षित लोको कर्मचारियों को शिक्षितों के साथ रख दिया गया है और उनका केवल सेवा काल के आधार पर ही अवक्रमण कर दिया गया है ?

श्री अलगेशन : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या सरकार को इंजन चलाने वाले कर्मचारियों में अपनी वरिष्ठता के नए मैट्रिक उत्तीर्ण व्यक्तियों द्वारा अवक्रमण किये जाने से फैले हुए असंतोष का पता है ?

श्री अलगेशन : ऐसे व्यक्तियों के लिये पदोन्नति के मार्गों की व्यवस्था की गई है जिन्होंने मैट्रिक कक्षा तक शिक्षा नहीं पाई है । उनके लिये भी पदोन्नति के मार्गों की व्यवस्था की गई है । 'ग' श्रेणी के शन्टर्स, 'ख' श्रेणी के शन्टर्स तथा ड्राइवरों की श्रेणी पर पदोन्नत किये जा सकते हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या सरकार ने एक ही प्रकार के कामों को करने वाले व्यक्तियों के बीच अन्तरों के कारण पैदा हुए अप्राकृतिक भेदभाव और ईर्ष्या तथा शिकायतों पर विचार किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : तथ्य प्रकट कर दिये गये हैं । हम उन पर चर्चा नहीं कर सकते ।

कानपुर के निकट मालगाड़ी का पटरी से उत्तर जाना

*१८७. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक २७ जुलाई, १९५३ को कानपुर के निकट मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के फलस्वरूप सरकार को कुल कितनी क्षति हुई ?

(ख) क्या इस में कोई हताहत हुए थे और यदि यह सही है तो कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

(ग) क्या मामले की जांच की गई थी और यदि ऐसा किया गया था तो उक्त घटना के क्या कारण थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) स्पष्ट ही उक्त निर्देश २७ जुलाई, १९५३ को रात्रि के लगभग १२ बज कर २९ मिनट पर उत्तर रेलवे के टूंडला-कानपुर मध्य विभाग के झिर्झक स्टेशन पर १२११ अप मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के सम्बन्ध में है । इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप रेल सम्पत्ति की हानि का अनुमानित मूल्य १ लाख ७४ हज़ार रुपये है ।

(ख) दो व्यक्ति मर गये और तीन घायल हुए ।

(ग) रेलवे के ज्येष्ठ डिविजनल पदाधिकारियों की समिति द्वारा जांच की गई थी । प्रकट रूप से ड्राइवर द्वारा सिगनलों के विपरीत गाड़ी ले जाना दुर्घटना का कारण प्रतीत होता है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि रेलों के पटरियों

से उत्तर जाने की घटनाएं दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक होती हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कानपुर में रेलें रोजमर्रा ही पटरी से उत्तर जाती हैं ? यह प्रश्न इतनी सामान्य प्रकृति का है कि कानपुर में हुई घटना से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार ने पटरी से उतरने और निर्बाध रूप से घटने वाली घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री अलगेशन : सभी सम्भव कार्यवाही की जा रही है ।

भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर

*९८८. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कारखानों में टेकनीकल और उच्च प्रशासनीय पदों के लिये अधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया तथा भारतीय टेलीफ़ोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर का स्थापना कार्य; और

(ख) क्या अधिकारियों के चुनाव के निर्देश और यह उक्त पदों के अभ्यर्थियों की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का निर्णय करने के लिये कोई नियम हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सदन पटल पर विवरण रखा है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ख) चुनाव सामान्यतया मनोवैज्ञानिक और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाता है । चुने हुए उम्मीदवारों की बाद में क्रियात्मक परीक्षा ली जाती है ।

श्री शिवनंजप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कारखाने में टेकनीकल और उच्च प्रशासनीय पदों पर कितने मैसूरवासी कार्य कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह के प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता । किसी राज्यविशेष की सीमा तथा जातीयता के आधार पर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस बंगलौर टैलीफ़ोन के कारखाने में सूबेवार कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सूबेवार अर्थात् प्राविंशियल वार यह प्रश्न भी लगभग वैसा ही है ।

श्री तिम्मय्या : क्या यह सच है कि महत्वपूर्ण पदों पर कारखाने के प्रबन्ध संचालक के निकटतम सम्बन्धी आसीन हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं इस आरोप को अस्वीकार करता हूं । जहां तक हमें मालूम है प्रबन्ध संचालक का कोई निकटतम सम्बन्धी नियुक्त नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मंत्री की दृष्टि में यह लाना चाहिये कि किस भांति निकट सम्बन्ध है ।

श्री टी० एन० सिंह, श्री राजभोज खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि जब अन्य व्यक्तियों से प्रश्न पूछने को कहा गया है तब भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछते चले जा रहे हैं । उन्हें अपने अवसर की प्रतीक्षा करना चाहिये और यदि उन्हें कोई प्रश्न रखना है तो मैं अवश्य ही उनका नाम पुकारूंगा ।

श्री टी० एन० सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस

आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि अधिकारयुक्त व्यक्तियों के सम्बन्धियों को सामान्यतया प्राथमिकता अथवा नियुक्ति नहीं की जानी चाहिये ?

श्री राज बहादुर : इस प्रश्न को गृह मंत्रालय के नाम सम्बोधित करना चाहिये; सरकारी कर्मचारी उक्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमनों द्वारा ही शासित होते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक माननीय मंत्री को ज्ञात है क्या उस तरह का कोई नियम है कि अधिकारयुक्त व्यक्तियों के सम्बन्धियों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे मालूम है ऐसा कोई नियम नहीं है कि सम्बन्धियों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये । समस्त नियुक्तियां प्रवीणता तथा गुणों के आधार पर की जाती हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जो पोस्ट्स—जगहें होती हैं, उनके लिये एडवरटाइज़मेंट पूरे तौर से किया जाता है या नहीं ? यदि एडवरटाइज़मेंट किया जाता है तो क्या जो प्रान्तीय सरकारें हैं उनके पास भी वह भेजा जाता है या नहीं ?

श्री राज बहादुर : ३०० रुपये से ज्यादा जिन की तनख्वाह है उनके लिये आल इंडिया बेसिस पर एडवरटाइज़मेंट होता है । जिन जगहों की तनख्वाह २०० से ३०० रुपये तक है, उनका एडवरटाइज़मेंट मद्रास, दम्बई और मध्य प्रदेश में होता है । और २०० रुपये से कम जिनकी तनख्वाह है उनका लोकल प्रेस में एडवरटाइज़मेंट होता है ।

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं आप के द्वारा कुछ क्षण पूर्व दिये गये समादेश के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? कतिपय माननीय सदस्यों ने मैसूरवासियों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी चाही तो आपने कहा कि आप जातीयता पर आधारित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह समादेश अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों पर व्यवहृत नहीं है ।

श्री जयपाल सिंह : श्रीमान्, चूंकि संविधान द्वारा हमें यह पूछने का अधिकार प्राप्त है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्ग के कितने व्यक्ति नियुक्त हैं मैं आप के द्वारा स्पष्ट समादेश चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न की आवृत्ति कर रहे हैं । मैंने पहले ही कह दिया है कि जहां तक संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की विशेष भलाई का उपबंध है मैंने सदैव ये प्रश्न पूछने की अनुमति दी है और अध्यक्ष महोदय भी उनको रखने की इजाज़त देते रहे हैं । किन्तु राज्य सीमागत साम्प्रदायिक अथवा धार्मिक आधार पर प्रश्नों की अनुमति देने की वृत्ति नहीं है । मेरे कहने का यही सार है ।

श्री पी० एन० राज भोज : मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि वहां शिड्यूल्ड कास्ट के कितने अफ़सर मुक़र्रर किये गये हैं ? ठीक से बताइये ।

श्री राज बहादुर : इस की सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नियुक्तियों का आधार जन सेवा आयोग की नाईं किसी स्वतंत्र निकाय द्वारा चुनाव है ?

श्री राज बहादुर : मैंने सदन पटल पर जो विवरण पत्र रखा है उस में यह सूचना दी गई है । माननीय सदस्य के सूचनार्थ मैं

यह दोहरा दूं कि ३०० रुपये मासिक से अधिक वेतन वाले पदों के लिये चुनाव संचालक बोर्ड कर्मचारी उपसमिति करती है और उससे नीचे के पदों के लिये उम्मीदवारों का चुनाव कर्मचारी चुनाव समिति की सहायता से प्रबन्ध सञ्चालक करता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अभी माननीय मंत्री महोदय ने पिछले एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि कुछ जगहों का हिन्दुस्तान भर में एडवरटाइजमेंट होता है और कुछ का बंगलौर के आसपास होता है और कुछ का स्थानीय जगहों पर होता है । मैं जानना चाहता हूं कि जब यह टेलीफ़ोन फ़ैक्टरी पूरे भारत वर्ष के लिये है तो क्यों नहीं सब जगहों के लिये हिन्दुस्तान भर में एडवरटाइज़मेंट किया जाता है ?

श्री राज बहादुर : मैंने जो उत्तर दिया था उसका आधार यह है कि जो छोटी जगहें हैं, जिन की तनख्वाह २०० से कम है, उनके बारे में हम यह आशा नहीं करते कि दूर के लोग साउथ में जायेंगे । इसलिये वर्तमान में उन का विज्ञापन केवल आसपास की जगहों में किया जाता है । १०० रुपये या ६० रुपये की तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति वहां ही मिल जाते हैं और वे सस्ते रहते हैं, उनका ट्रांसफ़र भत्ता वगैरह देने में किफ़ायत हो जाती है ।

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं पुन : एक और स्पष्टीकरण मांग सकता हूं । अभी आपने कहा था कि आप राज्य सीमा पर आधारित प्रश्नों की अनुमति नहीं देंगे । विनम्रतापूर्वक मेरा यह निवेदन है कि हमें यह जानने का अधिकार है कि क्या सरकारी कारख़ाने अथवा सेवा में विभिन्न प्रान्तों का समान अनुपात है । उदाहरण के लिये यदि मैं किसी कारख़ाने के विषय में यह सूचना प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करूं कि क्या उक्त सेवाओं में विभिन्न प्रान्तों का कुल वितरण है क्या आप इस प्रश्न की अनुमति देंगे अथवा उसे भी अस्वीकृत कर देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत ठीक, मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा ।

वैमानिकों को क्षतिपूर्ति

*१८९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक १४ अप्रेल, १९५३ को खासी पहाड़ियों में डेकोटा फ़ाइटर के टकराने के परिणामस्वरूप मारे गये वैमानिकों को एयरवेज (इण्डिया) लिमिटेड ने मुआवज़ा अदा कर दिया है ?

(ख) क्या इस तरह के मामलों में यह प्रस्थापित रीति है कि मृत व्यक्तियों को देय उपदान और भविष्य निधि भी उनके कुटुम्बियों को दी जाये ?

(ग) क्या यह सच है कि क्षतिपूर्ति की अदायगी का कार्य अस्थायी तौर से उस तर्क पर रोक रखा गया था कि राष्ट्रीयकरण प्रतीक्षित है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान् । वायु समवाय के नियमों के अनुसार तीन वैमानिकों के, अर्थात् चालक, सहायक-चालक और रेडियो पदाधिकारी के, क्रमश: २०,००० रुपये १०,००० रुपये और ७,५०० रुपये के बीमें किये हुए थे और देय रकमें चालक और रेडियो पदाधिकारी द्वारा निर्देशित व्यक्तियों को दे दी गई हैं । सहायक चालक के मामले में अभी रकम नहीं दी गई है क्योंकि उक्त निधि के दो दावेदार हैं । समवाय ने सहायक-चालक और रेडियो पदाधिकारी में से प्रत्येक की पत्नी को—उनसे सहायता की प्रार्थना प्राप्त होने पर—३,५०० रुपये की अतिरिक्त परितोषणा प्रदान की है ।

(ख) समवाय की भविष्य निधि की सदस्यता अनिवार्य नहीं थी और किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में उसके हिसाब की शेष रकम मृत सदस्य द्वारा नामनिर्देशन पत्र में बतलाये गये व्यक्ति को दी जाती है। समवाय के नियमों में किसी तरह के उपदान की व्यवस्था नहीं है।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या मैं यह जान सकती हूं कि दावे की रकम समवाय के राष्ट्रीयकरण किये जाने के पूर्व दी गई थी अथवा बाद में ?

श्री राज बहादुर: मैं यह निश्चित नहीं ह सकता कि यह राष्ट्रीयकरण के पहले दी गई थी अथवा उसके पश्चात् किन्तु वह चुका दी गई है। ३,५०० रुपये की निधि के सम्बन्ध में समवाय हिचकिचाहट कर रही थी और उसे किसी सरकारी अनुदेश की आवश्यकता थी। इसके बाद हमने उन्हें अनुमति दे दी और उक्त निधि का भुगतान कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ए० पी० सिन्हा, श्री एस० एन० दास, श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री एल० एन० मिश्र और आचार्य कृपलानी के नामों से बिहार की बाढ़ों पर एक अल्प सूचना प्रश्न है। श्री ए० पी० सिन्हा प्रश्न रख सकते हैं। दूसरे माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्नों के पूछने का अवसर मिलेगा।

अल्पसूचना प्रश्न और उनके उत्तर

(१) बिहार में बाढ़

श्री ए० सी० सिन्हा: क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बिहार के १ करोड़ से अधिक आबादी वाले क्षेत्र ने इस वर्ष असाधारण रूप से उग्र बाढ़ का सामना किया है ;

(ख) यदि यह ठीक है और उक्त क्षेत्र के खाद्य उत्पादनों विशेष रूप से मक्का और धान को हुई क्षति का परिमाण ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त क्षेत्र में खाद्यान्नों की क्षति से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता की मांग की है ;

(घ) यदि यह सही है तो राज्य सरकार ने जिस सहायता प्राप्ति का प्रयास किया है विशेष रूप से उपदान सहायता, मोटे तथा अन्य प्रकार के सस्ते अनाजों का बंटन और पीड़ित जनसंख्या को अनाज बेचने के सम्बन्ध में राजकीय सहायता का स्वरूप क्या है; और

(ङ) संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त सहायता अथवा सहायता देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) और (ख). राज्य सरकार से १ सितम्बर १९५३ को प्राप्त विवरण की प्रति सदन पटल पर रखी है उसमें उत्तर बिहार की हाल की बाढ़ें तथा उनसे उत्पन्न हानि की विस्तृत सूचना दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ग) हां।

(घ) राज्य सरकार ने सहायता कार्यों पर खर्च की गई निधि का प्रयास प्रतिशत अनुदान स्वीकृत करने के लिये भारत सरकार से प्रार्थना की है।

(ङ) चूंकि उक्त प्रार्थना वर्तमान महीने के प्रथम दिवस पर ही की गई है बिहार को केन्द्रीय सहायता अभी विचाराधीन है।

श्री ए० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि बिहार सरकार के अनुमान के अनुसार भादई और धान की फसलों तथा मकानों और उन से सम्बन्धित सम्पत्तियों की हानि २१,०३,७३,६०० रुपये है और पूरे तथ्यों की जांच के पश्चात् वास्तविक हानि उक्त अंक से भी अधिक हो सकती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : राज्य सरकार द्वारा निवेदित विवरण में उन्होंने उक्त वक्तव्य दिया है ।

श्री ए० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि सहायता कार्यों के विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार द्वारा नियतन राशि १,१६,३१,२३० रुपये है ?

एक माननीय सदस्य : आने कितने हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विवरण के अन्तिम पैरेग्राफ़ में यह भी दिया गया है ।

श्री ए० पी० सिन्हा : १९५०—५३ में अभावग्रस्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सहायता व्यय के परिणामस्वरूप राज्य सरकार की अत्यंत आभासित वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जब कि कुल ख़र्च १२ करोड़ रुपये. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा माननीय सदस्य स्वयं अधिक सूचना दे रहे हैं । यदि वह उन तथ्यों को नहीं जानते हैं तो रुपये आने और पाइयों के रूप में सूचना देने की अपेक्षा वह उत्तर मालूम कर सकते हैं ।

श्री ए० पी० सिन्हा : . . . . और इस आकस्मिक तथा अभूतपूर्व बाढ़ से राज्य सरकार के बजट की स्थिति असंतुलित होते देख कर, क्या सरकार राज्य को वित्तीय सहायता देते समय इन तथ्यों पर पूर्ण विचार करेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम आरक्षक कार्य करेंगे ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि खाद्यान्नों की बिक्री के सम्बन्ध में बिहार सरकार की राजकीय सहायता की मांग भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दी गई है जब कि वह अन्य राज्यों को दी गई है ? यदि यह सही है तो क्या मैं उस वैषम्य का कारण जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, उस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि बाढ़ के पूर्व भी बिहार में चावल की कीमत भारत में सब से अधिक थी और अब भी उसे उपयुक्त मात्रा में चावल नहीं दिया गया था और क्या सरकार के पास राज्य को अतिरिक्त मात्रा में चावल संभरण करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : बिहार सरकार का प्रतिवेदन अभी दो दिन पूर्व पहली सितम्बर को ही प्राप्त हुआ है । सरकार उसका अध्ययन करने पर कोई निर्णय करेगी ।

प्रो० एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बिहार सरकार ने भारत सरकार को यह कहलाया है कि हाल में वहां बाढ़ों से फसलों और सम्पत्ति की हानि १९३४ के भूकम्प के समान ही अथवा उससे अधिक हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उन्होंने तुलना नहीं की है ; किन्तु हानि निर्धारण के विशिष्ट आंकड़े माननीय सदस्य ने पहले ही दे दिये हैं ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी: क्या मैं जान सकती हूं कि उक्त क्षेत्र में प्राय: फसलों की बड़े स्तर पर होने वाली हानि को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री किदवई: जब कभी बाढ़ें आती हैं अथवा वर्षा भाव या वर्षा का आधिक्य...

श्रीमती सुचेता कृपालानी: हम बाढ़ों के संम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं।

श्री किदवई: जब कभी बाढ़ आती है अथवा वर्षा की कमी या अधिकता हो जाती है फसल को हानि अवश्यम्भावी है। मुझे मालूम हुआ है कि बिहार सरकार इन बाढ़ों को रोकने के उपाय ढूंढने का प्रयत्न कर रही है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी: इसमें कितना समय लगेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सामान्य समस्या है।

श्री विभूति मिश्र: क्या मंत्री महोदय को यह मालून है कि नार्थ बिहार में बाढ़ आई है इससे क्या शुगरकेन में क्षति हुई है और अगर हुई है तो उस हालत में क्या सरकार शुगरकेन की प्राइस बढ़ाने की इच्छा रखती है ?

श्री किदवई: नार्थ बिहार में जो फ़्लड आया है उसमें अगर कई क्राप बच गई है तो वह शुगरकेन की क्राप ही बच गई है।

श्री विभूति मिश्र: मैं ने यह पूछा था कि शुगरकेन को क्षति हुई है या नहीं और वह कहते हैं कि वह क्राप बच गई है। मैं तो यह पूछता हूं कि क्षति हुई है अथवा नहीं ?

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भूख से मृत्यु होने के समाचार प्राप्त हुए हैं और यदि यह सही है तो क्या कोई जांच की गई है और उस जांच का क्या प्रतिवेदन है ?

श्री किदवई: अभी हमने सुना है कि बिहार सरकार कितने उदारतापूर्वक जनता की सहायता कर रही है और मुझे आशा है कि वे यथासंभव सब कार्य करेंगे। और हम जो भी मदद कर सकते हैं उस पर विचार करेंगे।

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान्, भूख से मरने का कोई समाचार नहीं है।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बाढ़ों और क्षुधाग्रस्त व्यक्तियों के मरने के समाचार प्राप्त हुए हैं, क्या कोई जांच की गई है और उस जांच का क्या परिणाम है ?

श्री किदवई: बाढ़ से मृत्यु की घटनाएं हो सकती हैं किन्तु क्षुधा से किसी के मरने का समाचार नहीं है। लेकिन यदि माननीय सदस्य के पास कोई सूचना है तो हम उस पर आगे विचार करेंगे।

डा० पी० एस० देशमुख: प्रतिवेदन के अनुसार बाढ़ से चार मनुष्यों की मृत्यु हुई है किन्तु भूख के कारण उनमें से एक भी नहीं मरा।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि भादई फसल की पूर्ण क्षति और बहुत सीमा तक धान को न बोने से उस क्षेत्र में तीव्र अकाल पड़ने के असार हैं। यदि यह सही है तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री किदवई: मैं ने कहा है कि प्रतिवेदन इस महीने के प्रथम दिन ही प्राप्त हुआ है और अभी सदन पटल पर रखा गया है। बिहार सरकार सहायता करने का भरसक प्रयत्न कर रही है और खाद्य के सम्बन्ध में उन्हें जो कुछ भी सहायता होगी पूरी कर दी जायेगी।

श्री भागवत झा: क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न प्रकार के जो कुछ भी अन्न

वितरित किये गये हैं समय की मांग पीड़ितों को काम-धन्धा दिलाना है ; और यदि यह ठीक है तो सरकार इन बाढ़ग्रस्त व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये क्या कार्य कर रही है ?

श्री किदवई : मैं यह प्रश्न बिहार सरकार के पास पहुंचा दूंगा ।

श्री भागवत झा : इसमें आपका अनुदाय क्या है ? बिहार सरकार अपना काम करेगी ।

श्री किदवाई : यह बिहार सरकार का कार्य है ।

श्री के० के० बसु : अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा तक क्या सरकार बिहार सरकार को धन अथवा खाद्यान्नों के रूप में सहायता देने पर विचार कर रही है ?

श्री किदवई : यदि माननीय सदस्य प्रतिवेदना पढ़ें तो वह जान जायेंगे कि उन्हें किस मदद की आवश्यकता है और हम क्या मदद दे सकते हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ऐसी कोई सूचना है कि बाढ़ का पानी पीछे हट गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कई स्थानों पर वह हट गया है ।

श्री किदवई : उसका हटना स्वाभाविक है ।

प्रो० एस० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बाढ़ग्रस्त भारत के किसी अन्य भाग को भारत सरकार से कुछ सहायता प्राप्त हुई और क्या यह सच है कि बिहार के मामले में देर की गई है ?

श्री किदवई : बिहार सरकार का प्रतिवेदन पहली सितम्बर अर्थात् दो दिन पूर्व प्राप्त हुआ था । यह कहना उचित नहीं कि इसमें देर की गई है । यदि देर हुई है तो बिहार सरकार की ओर से ही जिसने प्रतिवेदन भेजने में इतना समय लगा दिया ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : वक्तव्य से मुझे मालूम हुआ है कि ५,००० से अधिक गांव बह गये हैं जिसके फलस्वरूप लाखों आदमी बेघरबार हो कर दरिद्रता में आबद्ध हो गये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि उनके लिये आश्रय, भोजन तथा पीने के पानी की क्या तात्कालिक व्यवस्था की गई है ?

श्री किदवई : मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि राज्य में एक स्थानीय सरकार है जिसका संचालन बहुत ही निपुणता के साथ किया जा रहा है और वे अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं । क्या बिहार के सदस्य यह चाहते हैं कि हम वहां का प्रशासन अपने हाथ में लेकर सभी आवश्यक कार्य करें ?

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न । मुझे खेद है ; बहुत कुछ पूछा जा चुका है ।

(२) पश्चिमी बंगाल में चावल की ऊंची कीमतें

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (क) **खाद्य तथा कृषि मंत्री** ४ अगस्त १९५३ को राशनिंग की परिवर्तित प्रणाली के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर को निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि क्या सरकार को पता है कि धीरे धीरे विनियन्त्रण करने की नीति को खत्म करने पर भी पश्चिमी बंगाल में चावल की ऊंची कीमतों के कारण लोगों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है ?

(ख) क्या इस विषय में पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

(ग) क्या सरकार चावल की कीमत में कमी करके लोगों की तकलीफ दूर करने की कोई उपाय सोच रही है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) पश्चिमी बंगाल

में चावल की ऊंची कीमतों के कारण लोगों को खास तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ रही है। वर्ष के इस भाग में जब कि चावल की कुछ कमी हो जाती है, चावल की कीमतें कुछ समय के लिये हमेशा बढ़ जाती हैं। विभिन्न ज़िलों में राशनिंग की परिवर्तित प्रणाली इस उद्देश्य से लागू की गई है कि कीमतें बहुत ऊंची न चली जायें। राशन ले सकने वाले लोगों में से इस समय केवल १४.८ प्रतिशत लोग ही राशन का फ़ायदा उठा रहे हैं जब कि वर्ष १९५२ के आनुक्रमिक काल में ३०.७ प्रतिशत लोग राशन का फ़ायदा उठा रहे थे। इससे प्रकट होता है कि पश्चिमी बंगाल में लोग खास तकलीफ में नहीं हैं।

ज़िले की पाबन्दियों को हटायें जाने के बाद, यद्यपि अतिरेक वाले ज़िलों में कीमतें कुछ हद तक बढ़ी हैं, परन्तु कमी वाले ज़िलों में, १९५२ के मुकाबिले में कीमतें काफी हद तक गिरी हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) कमी वाले क्षेत्रों में राशनिंग की परिवर्तित प्रणाली के लागू किये जाने से कम आय वाले लोगों को चावल नियन्त्रण मूल्य पर मिल जाता है। सामान्य बाजार भावों पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है क्योंकि जो लोग इस परिवर्तित प्रणाली के अनुसार राशन ले रहे हैं वे खुले बाजार से अपनी मांग पूरी नहीं करते।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या सरकार को पता है कि सुन्दरबन के कई क्षेत्रों में ४० प्रतिशत लोग राशन लेने में असमर्थ हैं और यही कारण है, कि राशन बांटने के लिये जैसा माननीय उपमंत्री ने बताया है, माल कम उठाया जा रहा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: यहा माल कम उठाने का प्रश्न नहीं है। मैं ने इस प्रश्न के उत्तर में जो कहा है वह यह है कि हालांकि हम यह रियायत देने को तैयार हैं परन्तु वे ही उसका फायदा नहीं उठाते।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या वह माल उठाने का प्रश्न नहीं है ? आपने हमें आंकड़े दिये जिनसे प्रकट होता है कि माल उठाने में कमी हुई है। क्या सरकार को यह बताया गया है कि ऐसा लोगों की क्रय-शक्ति में कमी होने के कारण हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की बात ठीक नहीं है। गत वर्ष उस क्षेत्र में अभाव होने के कारण, राशनिंग की परिवर्तित प्रणाली लागू की गई थी। इन नई राशन-दुकानों का लगभग ३० प्रतिशत लोग प्रयोग कर रहे थे। इस वर्ष भी वही प्रणाली लागू की गई है। गत वर्ष के मुकाबिले लोग इन दुकानों पर इस वर्ष कम आ रहे हैं क्योंकि खुले बाजार में इस वर्ष कीमतें पिछले वर्ष से कम हैं।

श्री टी० के० चौधरी: इस अगस्त के दूसरे तीसरे और चौथे सप्ताह में किमतों का झुकाव किस ओर रहा है ?

श्री किदवई: मेरे पास तीसरे सप्ताह तक की सूचना है। बसीरहाट में कीमतें इस प्रकार थीं : गतवर्ष २२ अगस्त को ३० रु० प्रतिमन ; इस वर्ष २४ रु० ८ आने प्रतिमन।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: पश्चिमी बंगाल सरकार की विज्ञप्ति में जो आंकड़े दिये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :

बसीरहाट : अगस्त, १९५२—३० रु० ; ५ अगस्त, १९५३–३० रु० ; १२ अगस्त, १९५३ – ३० रु०।

श्री किदवई: मैं नहीं जानता कि बंगाल सरकार को यह आंकड़े कहां से मिले हैं। हमारे पास जो आंकड़े आते हैं वे बंगाल सरकार द्वारा दिये जाते हैं और मार्केट रिपोर्टों में छपते हैं। मैंने प्रेस में छपी गत वर्ष तथा

इस वर्ष की रिपोर्टों से तथा बंगाल सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट से आंकड़े लिये हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या दो तरह के आंकड़े हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां ।

श्री टी० के० चौधरी: चूंकि सरकारी आंकड़ों के बारे में माननीय मंत्री कड़ा विश्वास रखते हैं, क्या वह इन आंकड़ों की जांच करेंगे ?

श्री किदवई: मैंने यह आंकड़े सरकारी आंकड़ों से नहीं लिये हैं बल्कि मार्केट रिपोर्टों से लिये हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या सरकार को नई राशन प्रणाली की दर १९ रु० ६ आ० प्रतिमन के बजाय १५ रु० प्रतिमन कर देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

श्री किदवई: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की सूचना ठीक नहीं है । राशन की परिवर्तित प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं १५ रु० नहीं बल्कि १४ रु० ६ आ० प्रतिमन के हिसाब से बेचा जा रहा है।

श्री एस० सी० सामन्त: माननीय उप-मंत्री ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में कोई खास तकलीफ नहीं है । माननीय मंत्री ने कहा कि बंगाल के अभाव वाले क्षेत्रों में राशनिंग की परिवर्तित प्रणाली तथा सहायता प्राप्त परिवर्तित प्रणाली लागू की गई है । पश्चिमी बंगाल सरकार के विवरण से पता चलता है कि सारे ज़िलों में सहायता-प्राप्त राशनिंग तथा परिवर्तित प्रणाली वाला राशनिंग लागू किया गया है । विवरण से पता चलता है कि सारे राज्य में ३५ लाख को परिवर्तित राशनिंग के अनुसार तथा २५ लाख को सहायता प्राप्त राशनिंग के अनुसार राशन बांटा गया है । इसके इलावा . . .

उपाध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है ?

श्री एस० सी० सामन्त: मैं माननीय मंत्री के वक्तव्य का खंडन करना चाहता हूं मैं जाना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि गतवर्ष बीमारियों के कारण सारे राज्य में फ़सलें खराब हो गई थीं और क्या सरकार यह मानने के लिये तैयार है कि लोग तकलीफ में हैं ? यह मामला राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथ में लिया जाना चाहिये ।

श्री किदवई: लोगों को तकलीफ होने के मामले पर कार्यवाही करना राज्य सरकार का काम है । राज्य सरकार पहले तो समाचार पत्रों में छपे कुछ ऐसे वक्तव्यों को देख कर कि लोग बहुत तकलीफ में हैं चिन्तित हुई । इसलिये उसने एकदम राशनिंग की परिवर्तित प्रणाली लागू की । अब वह देखती है कि इस वर्ष जो लोग राशन की नई दुकानों से फ़ायदा उठा रहे हैं वे पिछले वर्ष के मुकाबिले में कम हैं । बस इतना ही कहा गया है । तकलीफ के न होने पर ज़ोर नहीं दिया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: चूंकि सरकार ने हरेक समाचार पत्र में छपे सम्पादकीय लेखों को नहीं देखा है, इसलिये मैं जान सकता हूं कि क्या अब सरकार पश्चिमी बंगाल में कीमतों में कमी करके लोगों को फ़ायदा पहुंचायेगी ?

श्री किदवई: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सम्पादकीय लेखों के महत्व को भली प्रकार जानते हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ समाचार-पत्रों ने यह बात मानी है कि ये सम्पादकीय लेख उन की बिक्री बढ़ाते हैं । खैर, मैं यह बता चुका हूं कि बंगाल सरकार जो कुछ कर सकती है कर रही है । परन्तु जब वह देखती है कि लोग रियायतों का फायदा नहीं उठा रहे तो वह क्या कर सकती है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: कीमतों में कमी कर दीजिये क्योंकि क्रय शक्ति भी कम है ।

श्री किदवई: बंगाल सरकार ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: उपमंत्री महोदय ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में लोग तकलीफ में नही हैं ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मैंने ऐसा नहीं कहा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: माननीय मंत्री ने कई बार कहा कि लोगों की क्रय-शक्ति कम है । क्या सरकार के विचार में क्रय-शक्ति की कमी संकटस्थिति की द्योतक नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह नहीं माना था कि लोगों की क्रय-शक्ति कम है ।

श्री किदवई: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को ऐसी बात कहने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये जो कि उपमंत्री महोदय ने नहीं कही हो । उन्होंने यह नहीं कहा कि संकट-स्थिति नहीं है या लोग तकलीफ में नहीं हैं । उन्होंने यह कहा था जो विचार पहले प्रकट किये गये थे उनसे चिन्ता उत्पन्न हो गई थी और जब रियायती दर पर राशनिंग की परिवर्तित प्रणाली लागू की गई तो पता लगा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लोग कम संख्या में इस रियायत का फ़ायदा उठा रहे हैं । मेरे पास आंकड़े हैं जिनसे प्रकट होता है कि बंगाल में आज जो कीमतें हैं वे गत वर्ष की अपेक्षा बहुत कम हैं । इसीलिये लोग रियायत का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रिंसेज डाक्स में हड़ताल

*९८१. **श्री विट्ठल राव:** (क) क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रिन्सेज़ डाक्स के ३०० मज़दूरों ने ३० मई, १९५३ से हड़ताल कर दी थी ?

(ख) यदि हां, तो हड़ताल करने वालों की मांगें क्या हैं ?

(ग) क्या उनकी मांगों में निम्नलिखित बात शामिल हैं :

(१) अधिक समय तक काम करने के लिये मज़दूरी देना तथा

(२) जो लोग छंटनी के अन्दर निकाल दिये गये हैं या जिन्हें निकालने का नोटिस दिया गया है उन्हें क्षतिपूर्ति देना ?

(घ) यदि हां तो सरकार ने मज़दूरों को उनकी मांगें पूरी करने के उद्देश्य से सहायता देने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) जी हां, बोम्बे स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के क्लियरिंग एजेन्ट, मेसर्स कान्जी जाधव जी एंड कं० के लगभग ४५० मज़दूर ३० मई से ३ जून १९५३ तक हड़ताल पर रहे ।

(ख) तथा (ग) मज़दूरों की मांगें यह थीं :

(१) माल लादने वाले मज़दूरों के सम्बन्ध में कम्पनी अधिक समय काम करने के लिये जिस मज़दूरी पर तथा काम के हिसाब से दी जाने वाली जिस दर पर राज़ी हो गई थी उसमें कमी न की जाये ।

(२) मासिक मज़दूरी के आधार पर काम करने वाले ५२ मज़दूरों को, जिन्हें छंटनी के अन्दर निकाल दिया गया था, क्षतिपूर्ति दी जाय ।

(३) २६ पल्ले वालों तथा २५ पल्लेवालियों को जिन्हें निकालने के नोटिस दिये गये थे, क्षतिपूर्ति दी जाये ।

(घ) बम्बई के समझौता अधिकारी (केन्द्रीय) ने हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था । समझौते के ३ जून, १९५३ तथा ३० जुलाई, १९५३ की तारीख के ज्ञापनों की प्रतिलिपियां सदन पटल पर

रखी जाती हैं । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५]

दिल्ली में टिड्डी दल

*९८३. **डा० राम सुभग सिंह :** खाद्य तथा कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ५ जुलाई १९५३ को दिल्ली राज्य पर एक बड़े टिड्डी दल ने आक्रमण किया था ;

(ख) क्या उस तारीख के बाद दिल्ली राज्य पर टिड्डी दल के और आक्रमण हुए हैं ;

(ग) टिड्डी दल के आक्रमणों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ;

(घ) उनके परिणाम क्या निकले ; तथा

(ङ) टिड्डियों के उस आक्रमण से फ़सलों को कितना नुक्सान हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ). जो टिड्डियां बैठ गई थीं उन के बारे में नियंत्रण कार्यवाही की गई थी और अब उन के कुछ दलों को नष्ट कर दिया गया था । माननीय सदस्य का ध्यान श्री के० जी० देशमुख द्वारा ४ अगस्त १९५३ को पूछे गये आतांरिकत प्रश्न संख्या ६४ के बारे में दिये उत्तर की ओर भी दिलाया जाता है ।

(ङ) नहीं के बराबर ।

पोस्ट मास्टरों की भरती

*९९०. **श्री के० पो० त्रिपाठी : संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीग्राफ मास्टरों के पदों के लिये मौखिक परीक्षा बन्द कर दी गई हैं; तथा

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डाक इंसपेकटर या टेलीग्राफ़ मास्टर जैसे बराबर के पदों के लिये मौखिक परीक्षा समाप्त कर दी गई है, क्या सरकार उन उम्मीदवारों के मामलों पर फिर से विचार करेगी जो १९५१ में मौखिक परीक्षा में तो अनुतीर्ण हो गये थे परन्तु अन्य सब तरह से योग्य ठहराये गये थे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

रेलवे सम्पत्ति की चोरी

*९९१. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रेल मंत्रालय ने चलती गाड़ियों में से तथा स्टेशन यार्डों पर से रेलवे की सम्पत्ति तथा आने जाने वाले माल की चोरी को रोकने के बारे में गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से बातचीत पूरी कर ली है ?

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या क़दम उठाये जाने का विचार है ?

(ग) वर्ष १९५२-५३ में इस प्रकार की चोरियों में कितने रूपये का नुकसान हुआ ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). इस विषय पर अभी विचार हो रहा है ।

(ग) लगभग ५९ लाख रुपये का ।

सिगनल व 'इन्टर-लाकिंग' सम्बन्धी मशीनों का बनाया जाना

*९९२. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या रेल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सिगनल व 'इंटर-लाकिंग' संबंधी मशीनों को बनाने के लिये एक फैक्टरी खोलने का प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित हो जायेगा ?

(ग) क्या इस संबंध में कोई योजना बना ली गई है ?

(घ) इस विषय में टेकनिकल परामर्श देने के लिये किन किन विदेशी फ़र्मों को आमंत्रित किया जा रहा है ?

(ङ) इस पर कितना खर्चा होने का अनुमान है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख): इस विषय पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) इस विषय में टेकनिकल परामर्श देने के लिये अभी तक किसी विदेशी फ़र्म को आमंत्रित नहीं किया गया है ।

(ङ) कुल खर्चे का अनुमान अभी नहीं लगाया गया है ।

सटाफ़ कारों का संग्रह

*१९३. **श्री के० सी० सोधिया:** (क) क्या यातायात मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय स्टाफ कारों के संग्रह में कुल कितनी कारें हैं ?

(ख) विभिन्न मंत्रालयों में ये किस प्रकार बांटी गई हैं ?

(ग) वर्ष १९५३-५४ में कितनी नई कारें खरीदी गई हैं या खरीदी जाने वाली हैं और किस मूल्य पर ?

(घ) पुरानी कारें किस प्रकार निकाली जाती हैं और सब से अन्त में इन्हें कब निकाला गया था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) स्टाफ़ कार 'पूल' में कुल ६५ कारें हैं । इन के बंटवारे के बारे में एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ग) अब तक चार नई कारें ७२,५९७ रुपये की लागत पर खरीदी गई हैं । चालू वित्तीय वर्ष में और नई कारें खरीदने का विचार नहीं है ।

(घ) पुरानी कारें उत्सर्जन महानिदेशालय के द्वारा बेच दी जाती हैं । मार्च तथा अगस्त १९५३ में क्रमश: दो कारें सेवा के अयोग्य ठहराई गई थीं । उन्हें अभी नहीं बेचा गया है ।

मद्रास में धान के समाहार मूल्य

*१९४. **श्री बुच्चिकोटैय्या:** (क) **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि मद्रास राज्य में चावल के पुंज मूल्यों में और धान के समाहार मूल्यों में बहुत अन्तर है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सत्य है कि मद्रास सरकार ने केन्द्र को लिखा था कि उपभोक्ताओं के लिए पुंज मूल्य बहुत अधिक है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) मद्रास सरकार, अपने स्थानीय समाहार के अतिरिक्त अन्य आधिक्य वाले राज्यों से और समुद्रपार के आयात से भी चावल प्राप्त करती है । सब स्थानों से प्राप्त किये गये चावल को इकट्ठा कर दिया जाता है और विभिन्न स्थानों से प्राप्त किये गये चावल की मात्रा और मूल्य को ध्यान में रखते हुए, एक 'न हानि, न लाभ' आधार पर मूल्य निश्चित कर दिया जाता है । चूंकि विदेशी चावल और अन्य राज्यों से प्राप्त कुछ किसमों के देशी चावल का मूल्य अधिक है, इस लिए पुंज मूल्य का राज्य में पैदा किये गये चावल के समाहार मूल्य से अधिक होना स्वाभाविक है ।

(ग) राज्य सरकार ने सस्ते देशी चावल के आवंटन के लिए प्रार्थना की थी,

ताकि वह पुंज मूल्य को कम कर सके । चूंकि सस्ता देशी चावल बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इस लिए सब लेने वाली सरकारों को कुछ हिस्सा मंहगे चावल और कुछ सस्ते देशी चावल का लेना पड़ता है । फिर भी मद्रास सरकार को अधिक से अधिक मात्रा में सस्ता देशी चावल देने के प्रयत्न किये गये थे । इस के फलस्वरूप पहली श्रेणी के चावल का पुंज मूल्य २०/४-से १९/१२/- हो गया है और श्रेणी २ का पुंज मूल्य १६/१२/- से १५/४/- हो गया है ।

इमारती लकड़ी ले जाने वाले जहाज़

*९९५. **श्री रघुनाथ सिंह:** (क) यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कितने इमारती लकड़ी ले जाने वाले जहाज़ों की आवश्यकता है ?

(ख) भारत के पास इस समय कितने इमारती लकड़ी ले जाने वाले जहाज़ हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है किन्तु मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि तीन से अधिक जहाज़ों की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) भारत में केवल इमारती लकड़ी ले जाने वाले जहाज़ तो नहीं हैं किन्तु सामान्य माल और माल तथा यात्री ले जाने वाले जहाज़ बहुत से हैं जिन्हें इमारती लकड़ी ले जाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है और वास्तव में प्रयोग किया जाता है ।

नई रेलवे लाइनों का निर्माण

*९९६. **श्री टी० के० चौधरी:** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि नई कोयले की खानें खोलने के लिये सरकार ने नई रेलवे लाइनें बनाने का काम हाथ में ले लिया है ?

(ख) ये नई रेलवे लाइनें कितनी हैं और कहां पर हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) तथा (ख). जी हां; एक लाइन, चाम्पा-कोरबा लाइन बनाने का काम शीघ्र शुरू किया जायेगा ।

रेलवेज़ के विरुद्ध 'समय बाधित' दावे

*९९७. **श्री बर्मन:** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि रेलवे बोर्ड ने हिदायतें जारी की हैं कि रेलवे बोर्ड की मंजूरी लिये बिना समय-बाधित दावों की अदायगी न की जाये ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का एक ऐसा विवरण पटल पर रखने का विचार है, जिस में रेलवे वार समय-बाधित मामलों की संख्या और प्रत्येक रेलवे में दावे की कुल राशि बतलाई गई हो ?

(ग) क्या सरकार को इस आदेश की, जिस के फलस्वरूप इन दावों के निर्णय में विलम्ब होगा, अव्यवहार्यता की बारे में रेलवे प्रशासनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

(घ) समय-बाधित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा क्या पग उठाय गये ह ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १७]**

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) समय-बाधित मामलों के निपटारे में शीघ्रता लाने के लिये रेलवे प्रशासनों को अस्थायी तौर पर, प्रतिकर के उन सब दावों को जो कि ३१ अगस्त, १९५३ तक समय-बाधित हो गये थे, निपटाने का अधिकार दे दिया गया है । रेलवे प्रशासनों से यह

भी कहा गया है कि दावे के मामलों को समय-बाधित होने से पूर्व निपटाने के लिये वे इन्हें निपटाने की प्रक्रिया को अधिक कड़ा कर दें ।

ऊन परीक्षण प्रयोगशाला

*९९८. **श्री मुरारका:** (क) **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने जयपुर में ऊन के परीक्षण के लिये एक प्रयोगशाला जारी करने का निश्चय किया है ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिये कितना रुपया खर्च होगा ?

(ग) इस प्रयोजन के लिये सरकार कब इमारत आदि बनाने का कार्य शुरू करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां ।

(ख) अनुमान है कि प्रयोगशाला के सामान पर १९५३-५४ और १९५४-५५ में क्रमश: ३४,००० रुपये और ४१,००० रुपये व्यय होंगे और चालू वित्तीय वर्ष के शेष ६ मासों में प्रयोगशाला के कर्मचारियों पर ८०,००० रुपये व्यय होंगे ।

(ग) एक इमारत बनाने के लिये २ वर्षों में १ १/२ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । परन्तु चालू समय के लिए एक निजी इमारत २२० रुपये प्रति मास के किराये पर ले ली गई है । प्रयोगशाला के लिये एक इमारत बनाने के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया ।

बंगलौर हैदराबाद राजपथ

*९९९. **श्री पी० रामस्वामी:** **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजपथ को मिलाने के बारे में क्या निर्णय किया गया है; तथा

(ख) क्या सरकार को मद्रास सरकार से कोई सिफ़ारिश प्राप्त हुई है कि सड़क को कुरनूल के रास्ते मिलाया जाये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). जैसा कि २० अगस्त, १९५३ को अतारांकित प्रश्न संख्या ३७१ के उत्तर में, मैं ने कहा था, प्रयोगात्मक रूप से यह निर्णय किया गया है कि राजपथ संख्या ७ को माधवरम और रायचूर में से ले जाया जाये । यह निर्णय मद्रास और हैदराबाद की सरकारों से परामर्श करने के बाद किया गया है किन्तु अन्तिम निर्णय नये आन्ध्र राज्य से परामर्श करने के बाद किया जायेगा ।

सड़क को कुरनूल के रास्ते मिलाने के सम्बन्ध में मद्रास राज्य से हाल में कोई सिफ़ारिश प्राप्त नहीं हुई ।

कुरनूल के लिए डाक की सुविधाएं

*१०००. **श्री पो० रामस्वामी:** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुरनूल को आन्ध्र राज्य की अस्थायी राजधानी बनाया जायेगा, डाक और तार विभाग का वहां डाक, तार तथा टेलीफोन सुविधाओं में क्या सुधार करने का विचार है ?

(ख) सरकार को ये प्रबन्ध कब तक पूर्ण कर लेने की आशा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख). एक विवरण जिस में सुधारों को विस्तत रूप से बतलाया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १८]**

चावल

*१००१. **श्री पो० रामस्वामी:** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ अगस्त, १९५३ को केन्द्रीय

तथा राज्य सरकारों के पास चावल का कितना संभार था ?

(ख) वर्ष के शेष समय में राज्यों को कितना संभार समाहृत करने की आशा है ?

(ग) १९५३ के अन्त तक कमी वाले राज्यों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये कितने चावल की आवश्यकता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १ अगस्त, १९५३ को या इस के लगभग राज्य सरकारों के पास कुल ७९६,००० टन चावल के संभार थे । उस तिथि को केन्द्रीय डिपों में चावल का संभार २९,००० टन था ।

(ख) लगभग ५ से ५·५ लाख टन तक ।

(ग) अनुमान है कि १ अगस्त १९५३ से ३१ दिसम्बर तक की अवधि में कमी वाले राज्यों में सरकार संभारों से लगभग ८६०,००० टन चावल जारी करने की आवश्यकता होगी ।

'चिदाम्बरम्' जहाज़ पर सफर करने वाले यात्रियों की कठिनाइयां

*१००२. **डा० अमीन** : यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी स्टीमशिप कम्पनी लि० ट्युटिकोरिन के जहाज़ 'चिदाम्बरम्' पर सफर करने वाले यात्रियों की कठिनाइयों के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां तो ये अभ्यावेदन किन तारीखों को प्राप्त हुए थे;

(ग) क्या सरकार ने जांच करने के लिये और इस यात्री सर्विस पर रिपोर्ट देने के लिए कोई पदाधिकारी भेजा है;

(घ) क्या उस पदाधिकारी ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ङ) इस विषय में क्या पग उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है; तथा

(च) क्या यह सत्य है कि मद्रास सरकार ने इस कम्पनी के कई लाख रुपये के हिस्से खरीदे हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जी हां । इस विषय में १२, १९ और २४ दिसम्बर, १९५२ को और २५ जनवरी, १९५३ को अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ग) तथा (घ). वाणिज्यिक नौपरिवहन विभाग के जहाज़ परिमापक तथा इंजीनियर और भारत सरकार के मुख्य परिमापक ने हाल में इस जहाज़ का निरीक्षण किया था और उन्हों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं ।

(ङ) 'चिदाम्बरम्' जहाज़ के मालिकों को विभिन्न त्रुटियां दूर करने के लिये कहा गया है और इस बीच जहाज़ को केवल माल ले जाने वाले जहाज़ के रूप में चलाने की आज्ञा दी गई है ।

(च) जहां तक भारत सरकार को विदित है, मद्रास सरकार ने कम्पनी की अंशपूंजी नहीं खरीदी, परन्तु जहाज़ की बन्धक पर और कम्पनी की निश्चित आस्तियों पर ७ १/२ लाख रुपये का ऋण दिया है ।

रेलवे स्टेशनों पर पानी के नल

*१००३. **डा० अमीन** : (क) रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी के नलों की संख्या पर्याप्त नहीं है ?

(ख) क्या सरकार का इन की संख्या बढ़ाने का विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) सामान्यतया नलों

की संख्या अपर्याप्त नहीं है, किन्तु यदि विशिष्ट मामलों की ओर रेलवे प्राधिकारियों का ध्यान दिलाया जायेगा, तो इन पर विचार किया जायेगा ।

(ख) सब स्टेशनों पर यात्रियों को पीने का पानी मुहय्या करने की सुविधाओं का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सुविधायें जिन में पानी के नल भी, सम्मिलित हैं, दी जाती हैं ।

सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी को वित्तीय सहायता

***१००४. डा० लंका सुन्दरम्:** यातायात यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन या चार वर्षों से दो जहाज़ों "जल आज़ाद" और "जल जवाहर" के द्वारा भारत और ब्रिटेन के मध्य यात्रियों और डाक की एक नियमित सर्विस चलाई जा रही थी;

(ख) क्या इस सर्विस को जारी रखने के लिये सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने वित्तीय सहायता मांगी थी; तथा

(ग) क्या भारत सरकार ने यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग). जी हां, श्रीमान् ।

सिन्धिया कम्पनी को वित्तीय सहायता

***१००५. डा० लंका सुन्दरम:** यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी को सूचित किया है कि भारत और ब्रिटेन के मध्य यात्री सर्विस चलाने के लिये वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या वित्तीय सहायता की अस्वीकृति उस नीति के अनुकूल है, जो कि सरकार ने जहाज नीति समिति की सिफारिश के सम्बन्ध में घोषित की थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां ।

(ख) मामले के तथ्यों के अनुसार एक प्रत्यक्ष वित्तीय सहाय्य देना उचित नहीं था ।

"जल आज़ाद" और "जल जवाहर" का विक्रय

***१००६. डा० लंका सुन्दरम:** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार ने सिन्धिया कम्पनी को "जल आज़ाद" और "जल जवाहर" दो यात्री जहाजों को, इस्टर्न शिप्पिंग कारपोरेशन के पास बेचने की आज्ञा दी है ;

(ख) क्या सरकार को यह निर्णय करने में कि यात्री सर्विस को जारी रखने के लिये इस कम्पनी को वित्तीय सहायता देने के बजाय इसे इन दो यात्री जहाजों को बेचने की अनुमति दी जाये, एक वर्ष से अधिक समय लगा था ;

(ग) क्या सरकार ने इन यात्री जहाजों को बेचने के लिये यह शर्त रखी है कि इन जहाजों को बेचने से जो रुपया मिले वह भविष्य में भारत-ब्रिटेन यात्री सर्विस को पुनः जारी करने के लिये कम्पनी द्वारा उपयुक्त यात्री जहाज़ बनाने में लगाया जाये ; तथा

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन यात्री जहाजों के विक्रय लाभ को नये भारतीय जहाज़ बनाने के लिये प्रयोग करने के लिये कोई अन्य शर्तें रखी गई हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क), (ग) तथा (घ). सिन्धिया कम्पनी को ये दो जहाज इस्टर्न शिप्पिंग कारपोरेशन के पास इस शर्त

पर बेचने की आज्ञा दी गई है कि विक्रय लाभ सिन्धिया कम्पनी द्वारा अपनी समुद्र पार सर्विस के लिये अतिरिक्त माल ले जाने वाले जहाज खरीदने के लिये सुरक्षित रखा जाये । और कोई शर्त नहीं लगाई गई ।

(ख) जी हां । इस कठिन प्रश्न का अन्तिम निर्णय करने से पूर्व सरकार को बड़ी सावधानी से इस के सब पहलुओं पर विचार करना पड़ा था ।

चीनी उपकर

*१००७. **श्री विभूति मिश्र:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना उत्पादक क्षेत्र में गन्ने की खेती के विकास के लिये सरकार चीनी उपकर में से कितनी राशि को खर्च करती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १९]**

मोदीनगर पर रेल डिब्बों में माल की गलत लदाई

*१००८. **श्री विट्ठल राव:** क्या **रेल** मंत्री १३ अगस्त १९५३ को तारांकित प्रश्न संख्या ४४६ तथा ४७० के सम्बन्ध में दिये गये उत्तरों का निर्देश करेंगे तथा बतलायेंगे कि :

(क) मोदी इन्डस्ट्रीज साइडिंग मोदीनगर पर रेल डिब्बों में माल की गलत लदाई के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) उक्त रेल कर्मचारी किस किस श्रेणी के हैं ; तथा

(ग) उन्हें किस प्रकार का दंड दिया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). इस मामले में कुल मिला कर १४ रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध था जिनमें से ७ या तो पाकिस्तान चले गये हैं अथवा त्यागपत्र दे चुके हैं या सेवा निवृत्त हो चुके हैं । शेष के ७ को जिनमें एक स्टेशन मास्टर, तीन सहायक स्टेशन मास्टर, एक गार्ड, एक गुडज़ कलर्क तथा एक बुकिंग कलर्क है, सेवा मुक्त करने के लिये अभियोग पत्र दिये गये हैं । सम्बन्धित कर्मचारियों नें जांच की मांग की तथा उत्तर रेलवे प्रशासन ने एक यातायात अधिकारी तथा एक लेखा अधिकारी की संयुक्त जांच का आदेश दिया । जांच अभी अभी पूरी हुई है । जांच करने वाले अधिकारी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे जिस के मिलने पर कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की, जायेगी ।

आंध्र राज्य में डाक-क्षेत्र

*१००९. **श्री विट्ठल राव:** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित आंध्र राज्य में डाक क्षेत्र का क्या दरजा होगा ;

(ख) उक्त क्षत्र के प्रधान कार्यालय का स्थान कहां होगा ।

(ग) क्या आंध्र राज्य की स्थापना के फलस्वरूप हैदराबाद क्षेत्र के दरजे को उच्च कर दिया जायेगा ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) कुछ समय के लिये यह क्षेत्र डाक तथा तार संचालक महोदय के अधीन होगा ।

(ख) करनूल ।

(ग) प्रश्न की जांच हो रही है ।

भारत-अमरीका विधान-क़रार

***१०१०. श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **संचरण** मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीका विमान क़रार की जो बातचीत हाल में नई दिल्ली में हुई थी , वह बिना किसी फैसले पर पहुंचे समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि ऐसा है तो मतभेद किन बातों पर है ; तथा

(ग) क्या इस प्रकार की बातचीत के थोड़े समय में पुन: आरम्भ होने की सम्भावना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). भारत-अमरीका बातचीत ५ अगस्त १९५३ को समाप्त हो गई थी । इस क्रम पर मेरे लिये निष्कर्षों का बतलाना सम्भव नहीं है ।

(ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

रेलगाड़ी परीक्षक

***१०११. श्री एन० बी० चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रेलों के रेलगाड़ी परीक्षकों से उनके वेतन पर पुर्नविचार सम्बन्धी कोई स्मृतिपत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों के वेतन कारखानों आदि में काम करने वाले दूसरे टैक्नीकल देख रेख करने वाले कर्मचारियों से विभिन्न है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो क्या सरकार इन के वेतनों पर पुर्नविचार का प्रस्ताव कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) विभिन्न रेलों के रेल गाड़ी परीक्षकों से प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है तथा उनमें एक मांग यह की गई है कि उनके वेतन क्रम पर पुर्नविचार किया जाये ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार ने प्रतिनिधान पर ध्यान-पूर्वक विचार किया है परन्तु वह किसी भी मांग के स्वीकार करने का उचित कारण नहीं देखती है ।

कलकत्ता के आसपास की रेलों का विद्युतकरण

***१०१२. श्री एन० बी० चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कलकत्ता के आस पास की रेलों के विद्युतकरण सम्बन्धी नियुक्त किया गया दल अपना काम कब आरम्भ करेगा ; तथा

(ख) क्या उक्त दल को दिये गये निर्देश पदों में इन सेवाओं को खड़गपुर के कोयले के मैदानों तक बढ़ाने का विषय भी शामिल है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) कार्य में प्रगति हो रही है ।

(ख) जी हां ।

महिला डाक्टर

***१०१३. कुमारी एनी मस्करीन :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि इस समय टैक्नीकल सहयोग क़रार के अन्तर्गत कितनी महिलायें डाक्टर आदि के रूप में कार्य कर रही हैं ?

(ख) उन में से कितनी नर्सें हैं ?

(ग) उन्हें सरकार से कितना धन मिलता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :
(क) दो ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) भारत सरकार ने दोनों को कार्यालय संबन्धी सुविधायें दे रखी हैं । उनमें

से एक को निवास स्थान की सुविधा भी दी गई है। साथ ही उसे स्थानीय यातायात की सुविधा तथा काम के संबंध में दौरे पर जाने की अवस्था में यात्रा भत्ते आदि दिए जाते हैं।

टिड्डी सूचक संस्था

*१०१४. **श्री ईश्वर रेड्डी**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाल में दिल्ली में हुये टिड्डी के हमले के अवसर पर टिड्डी सूचक संस्था ने कोई सूचना दी थी ?

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार ने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) टिड्डी सूचक संस्था ने देश में तथा संसार के अन्य भागों में टिड्डी दलों के सामान्यतः छाने के बारे में एक अर्ध मासिक बुलेटिन जारी किया था। यह संस्था इके दुके दलों के बारे में पूर्व सूचना नहीं देती। इसके लिये अलग प्रबन्ध है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

निट्टूर के निकट मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

*५०८. **श्री रघुनाथ सिंह**: (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि २१ जुलाई की रात को अर्सीकेरी से बंगलौर जाने वाली मालगाड़ी के १५ डिब्बे नट्टूर तथा गुब्बी स्टेशनों के बीच पटरी से उतर कर उलट गये ;

(ख) यदि हां तो इस दुर्घटना का क्या कारण था ;

(ग) रेलपटरी मजबूत थी अथवा नहीं ; और

(घ) कितने कितने समय बाद रेल गाड़ियों की जांच की जाती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां। २१-७-१९५३ को २९०८ डाउन मालगाड़ी के, जब कि गाड़ी दक्षिण रेलवे की छोटी लाइन के अर्सीकेरी-बंगलौर भाग पर निट्टूर-गुब्बी स्टेशनों के बीच चल रही थी, इंजन से अगले पन्द्रह डिब्बे पटरी से उतर गये थे।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से दुर्घटना का कारण यह जान पड़ता है कि इंजन से अगले डिब्बे की 'ड्रा बार' बाहर निकले हुए 'पिवट पिन' के बीच में से होकर 'कप्लर' से अलग हो गई थी। फलस्वरूप इंजन शेष की गाड़ी से अलग हो गया तथा बाद में इंजन और गाड़ी आपस में टकरा गए तथा, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, इससे शेष के डिब्बे पटरी से उतर गए।

(ग) पटरी सामान्य हालत में थी।

(घ) पटरी का सप्ताह में एक बार स्थायी मार्ग निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाता है परन्तु 'गैंग' का 'कीमैन' प्रति दिन एक बार उस पर चलकर देखता है।

भू मरितिलैया अभ्रक खानों के मजदूर

५०९. **श्री वी० मिश्र**: क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि १९४८ के फैसले के फलस्वरूप भू मरितिलैया अभ्रक खान मज़दूरों के लिए त्रैमासिक और मासिक बोनस मंजूर किये गये;

(ख) क्या यह सच है कि दोनों प्रकार के बोनस का औसत २५० रुपये के बराबर होता था ;

(ग) क्या यह सच है कि समय समय पर इन मज़दूरों को खान मालिकों की ओर से दोनों प्रकार के बोनस तोड़ने की धमकी तथा नोटिस दिये गये हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि विगत ३ जुलाई को पटना में आयोजित एक बैठक में इन खान मालिकों ने इस बात का निश्चय किया था कि २० जुलाई, १९५३ से कोई भी बोनस नहीं दिया जायेगा ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख), (ग) और (घ) के उत्तर हां में हैं तो सरकार इस निर्णय के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(ङ) मामले पर मांगी गई सूचना के प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

रेलवे क्वार्टर

५१०. **श्री फ्रेंक एन्थनी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२–५३ में उत्तर रेलवे ने श्रेणी १, श्रेणी २ के अधिकारियों के क्वार्टरों की मरम्मत आदि पर कितनी राशि खर्च की है ;

(ख) इस प्रकार से मरम्मत किये गए श्रेणी १ तथा श्रेणी २ के क्वार्टरों की संख्या कितनी है ;

(ग) वर्ष १९५२-५३ में श्रेणी ३ के कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत आदि पर कितनी राशि खर्च की गई थी ;

(घ) इस प्रकार से मरम्मत आदि किए गए श्रेणी ३ के कर्मचारियों के क्वार्टरों की संख्या कितनी थी ;

(ङ) वर्ष १९५२-५३ में श्रेणी ४ के कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत आदि पर कितनी राशि खर्च की गई थी ; तथा

(च) इस प्रकार से मरम्मत आदि किए गए श्रेणी ४ के कर्मचारियों के क्वार्टरों की संख्या कितनी थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) श्रेणी १ तथा श्रेणी २ के अधिकारियों के क्वार्टरों की मरम्मत आदि के कोई अलग लेखे नहीं रखे जाते । वर्ष १९५२-५३ में श्रेणी १ तथा श्रेणी २ के अधिकारियों और श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत पर व्यय की गई कुल राशि १७,३३,२७४ रु० है ।

(ख) २४२ ।

(ग) अधिकारियों के मामले की तरह श्रेणी ३ के कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत आदि पर व्यय की गई राशि के अलग लेखे नहीं रखे जाते हैं ।

(घ) १२,९७६ ।

(ङ) अधिकारियों तथा श्रेणी ३ के कर्मचारियों के समान, श्रेणी ४ के कर्मचारियों के क्वार्टरों पर व्यय की गई राशि के कोई अलग लेखे नहीं रखे जाते हैं ।

(च) ४१,७४३ ।

दक्षिण रेलवे के क्वार्टर

५११. **श्री फ्रेंक एन्थनी:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२-५३ में दक्षिण रेलवे के श्रेणी ३ के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के बनाने पर कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) वर्ष १९५२-५३ में दक्षिण रेलवे के श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के बनाने पर कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ग) वर्ष १९५२-५३ में दक्षिण रेलवे के श्रेणी १ तथा श्रेणी २ के अधिकारियों के

लिए क्वार्टरों के बनाने पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) दक्षिण रेलवे में श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के कुल ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक क्वार्टर नहीं मिल सके; तथा

(ङ) दक्षिण रेलवे पर श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के सारे कर्मचारियों को क्वार्टर देने में कितना समय लग जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). वर्ष १९५२-५३ में दक्षिण रेलवे पर श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने पर कुल २३,७५,००० रु० खर्च किए गए हैं। इन श्रेणियों के सम्बन्ध में अलग अलग रूप से सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जा रही है तथा पूर्णतः मिलने पर इसे सदन पटल पर रखा जायेगा।

(ग) वर्ष १९५२-५३ में दक्षिण रेलवे ने श्रेणी १ तथा श्रेणी २ के लिए क्वार्टरों के बनाने पर कुछ व्यय नहीं किया।

(घ) श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के उन कर्मचारियों की कुल संख्या जिन्हें अभी तक क्वार्टर नहीं दिए गए, लगभग १,१४,६६२ है अर्थात ४०,३६१ श्रेणी ३ के तथा ७४,३०१ श्रेणी ४ के।

(ङ) सर्वप्रथम अत्यावश्यक कर्मचारी-वर्ग को, जिस किसी संकट के समय अल्प-सूचना से कर्त्तव्यपालन के लिए बुलाया जा सकता है, क्वार्टर दिए जायेंगे तथा जितने समय में श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के कर्मचारियों को क्वार्टर दिए जा सकते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रति वर्ष कितना धन उपलब्ध हो सकता है।

विमान चालक

५१२. श्री कर्णी सिंहजी: (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या 'डकोता कन्वर्शन' के लिए विमान-चालकों द्वारा योग्यता प्राप्त करने के हेतु नागरिक विमान चालन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद के स्थान पर किसी अन्य योजना पर भी विचार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): डकोता कन्वर्शन प्रशिक्षण के लिए नागरिक विमान चालन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद पर उपलब्ध सुविधाओं को बन्द नहीं किया गया है। कुछ व्यक्ति इस समय प्रशिक्षण पा रहे हैं तथा दूसरे गुट के शीघ्र ही लिए जाने की सम्भावना है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

संचरण इंजीनियर

५१३. श्री एन० बी० चौधरी: क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने हाल में संचरण इंजीनियरी में प्रशिक्षण प्राप्ति के हेतु कुछ इंजीनियर ब्रिटेन में भेजे हैं ;

(ख) यदि ऐसा है तो भेजे गए अधिकारियों की संख्या कितनी है ; तथा

(ग) वे इंगलैंड में किस प्रकार के प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां।

(ख) दो।

(ग) उन में से एक तो बेतार ट्रान्समिटिंग तथा रिसीविंग स्टेशनों में क्रियात्मक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वह यह प्रशिक्षण 'केबल तथा वायरलेस लिमिटेड' के अनुसंधान तथा विकास विभागों में पा रहे हैं। दूसरे इंजीनियर महोदय लन्दन के केन्द्रीय तार कार्यालय में दूर-संचरण के विभिन्न आधुनिक ढंगों में प्रशिक्षण पा रहे हैं।

खाद्य की प्रति व्यक्ति खपत

५१४. **श्री वी० पी० नायर:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २८ मार्च १९५३ को खाद्य की प्रति व्यक्ति खपत सम्बन्धी अतारांकित प्रश्न संख्या १२४० के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर का निर्देश करेंगे तथा बतलायेंगे कि वर्ष १९५२-५३ में खाद्य की प्रति व्यक्ति खपत (केलोरीज में) क्या है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): वर्ष १९५२-५३ में आंकड़ों के पूर्णतः उपलब्ध न होने के कारण उस वर्ष के सम्बन्ध में खाद्य की प्रति व्यक्ति खपत का बतलाना सम्भव नहीं है।

मुख्य ग्राम योजना

५१५. **श्री एस० एल० द्विवेदी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य ग्राम योजना के अधीन खोले गये कितने केन्द्रों में, राज्य अनुसार, कार्य वस्तुतः आरम्भ हो गया है ;

(ख) योजना के प्रवर्तन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; तथा

(ग) २० मार्च १९५३ को पूना में हुए सम्मेलन में क्या पशुपालन विभाग के वक्ता ने पशुओं के सुधार के लिये कोई योजना सुझाई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) माननीय सदस्य का ध्यान २८ अगस्त १९५३ को श्री एस० सी० सामन्त द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ८८९ के (क) भाग के उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

(ख) १९५३–५४ के अन्त तक ५१४ मुख्य ग्राम के प्रस्तावित किये गये स्थापन में से और १२७ कृत्रिम बीजारोपण के केन्द्रों के लक्ष्य में से, अब तक ९२ कृत्रिम बीजारोपण के केन्द्रों और २५६ मुख्य ग्रामों में कार्य आरम्भ हुआ है।

(ग) जी नहीं।

उत्तरी रेल पर अन्नपूर्णा व्यवस्था

५१६. **प्रो० डी० सी० शर्मा:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद उत्तरी रेलवे में अन्नपूर्णा की व्यवस्था आरम्भ कर रही है ?

(ख) यदि ऐसा है तो किन केन्द्रों पर ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद ने पहले ही २०–५–५३ को। तथा से देहली और देहरादून के बीच और ३४ डाउन देहरादून एक्सप्रेस गाड़ियों में चलने वाली डाईनिंग कार में विकल्पित दिनों को अन्नपूर्णा की व्यवस्था कर दी है। उन्होंने लखनऊ स्टेशन पर निरामिश अल्पाहार कक्ष को चलाने का ठेका भी लिया है और उन की व्यवस्था वहां १८–७–१९५३ को / तथा से आरम्भ हो गई है।

रेलवे स्टेशनों पर पानी का प्रबन्ध

५१७. क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिमी रेलवे पर अहमदाबाद तथा बड़ौदा के बीच (१) पश्चिमी रेल के नडियाड कापडवंज विभाग में (२) भदरां पटलड पिहिज लाईन पर आनन्द पटलड कम्बई लाईन (३) आनन्द डाकर गोदरा लाईन तथा वसद कथना लाईन पर उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां रेलवे ने अब तक यात्रियों के लिये ठण्डे पानी के संभरण का कोई प्रबन्ध नहीं किया है ; तथा

(ख) इन सब स्टेशनों पर कितने समय में ये प्रबन्ध हो जायेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) अधिकतर स्टेशनों पर स्थायी जल-कुटीर और पानी पिलाने वाले इस प्रयोजन के लिये रखे गये हैं, जिन स्टेशनों पर इस की व्यवस्था नहीं है वहां या तो स्टेशन के कर्मचारी मिट्टी के बर्तनों में पीने का पानी एकत्र करने का प्रबन्ध करते हैं और जब कभी आवश्यकता हो यात्रियों को देते हैं, या वे पानी पिलाने वाले जो मुसाफर गाड़ियों में यात्रा करते हैं यात्रियों को पीने का पानी दिलाते हैं।

(ख) (क) के उत्तर के आधार पर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आनन्द और कम्बे के बीच अतिरिक्त गाड़ी

५१८. **श्री दाभी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आनन्द और कम्बे के बीच अतिरिक्त गाड़ी चलाने का विचार रखती है ; तथा

(ख) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख) खेद है कि गाड़ियों की कमी के कारण इस समय यह संभव नहीं, परन्तु जब स्थिति सुधरी तो इस विषय पर पुनः ध्यान दिया जायेगा।

रेल दुर्घटनाएं

५१९. **पंडित एम० बी० भार्गव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों पर १९५३ में, अप्रैल और जून मास के महीनों में, वर्ष १९५२–५३ में टक्करों के कारण कितनी मुख्य रेल दुर्घटनाएं हुई ;

(ख) उन से कितनी जान की क्षति हुई और कितने हताहत हुए ;

(ग) ये दुर्घटनाएं किन कारणों से से हुईं ;

(घ) इन दुर्घटनाओं से रेल को तथा गैर सरकारी व्यक्तियों को कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ;

(ङ) प्रतिकर की कितनी राशि का दावा किया गया है और कितनी दी गई ;

(च) कितने मामलों में प्रतिकर अभी तक नहीं दिया गया ; तथा

(छ) वर्ष १९५२–५३ में किसी व्यक्ति को विशेष दुर्घटना में अधिकतम और न्यूनतम कितनी राशि दी गई ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) बड़ी टक्करों की संख्या अर्थात् ऐसी टक्करें जिन में गाड़ियां यात्रियों को ले जा रही थी और उन में जान की हानि हुई तथा/अथवा सख्त चोट आई, तथा/अथवा अनुमानतः २०,००० या इस से अधिक प्रत्येक घटना में रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंची, वे १९५२–५३ में पांच हैं और अप्रैल से जून १९५३ तक के महीनों में ३ हैं।

(ख) मरे

१९५२–५३		४६
अप्रैल से जून १९५३		७३
हताहत हुए		
१९५२–५३	सख्त	३३
	साधारण	५८
	कुल	९१
अप्रैल से जून १९५३		
	सख्त	४२
	साधारण	१०२
	कुल	१४४

(ग) १९५२–५३

(१) स्टेशन कर्मचारियों की असफलता २ घटनाएं

(२) ड्राइवर की असफलता ३ घटनाएं

अप्रैल से जून १९५३

(१) ड्राइवर की असफलता १ घटना

(२) स्टेशन कर्मचारियों की असफलता २ घटनाएं

(घ) गाड़ी लाइन और इंजन को हुई क्षति का अनुमानित मूल्य:

१९५२–५३ .. रु० २,०८,३५२

अप्रैल से जून १९५३ .. रु० ३,६९,०६३

गैर सरकारी सम्पत्ति की हानि . . . ज्ञात नहीं

(ङ) दावा किये गये प्रतिकर की राशि:

१९५२–५३ ... रु० १९,२३,५१५-६-६

अप्रैल से जून ५३... रु० ३,६३,८६०-१३-०

दिये गये प्रतिकर की राशि:

१९५२–५३ रु० २,०९,१४०-०-०

अप्रैल से जून ५३ . रु० १८,१०१-७-०

(च) अभी तक न दिये गये प्रतिकर के मामले :

१९५२–५३ २

अप्रैल से जून १९५३ २०

(छ) १९५२–५३ के वर्ष में एक घटना में एक व्यक्ति को प्रतिकर रूप में दी गई अधिकतम और न्यूनतम राशियां क्रमानुसार रु० ८,००० तथा रु० १०० हैं।

त्रिपुरा में बीड़ी श्रमिक

५२०. **श्री बीरेन दत्त:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि अग्रताला नगर में बीड़ी के श्रमिकों को न्यूनतम पारिश्रमिक नहीं दिया जाता ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार त्रिपुरा में श्रम निधि और पारिश्रमिक शोधन अधिनियम लागू करने के लिये क्या पग उठाने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। दैवयोग से राज्य सरकार के अधीन श्रम विभाग ने हाल में पुनस्संघटन किया है और राज्य में श्रम सम्बन्धी विधि प्रभावी प्रवर्तन के लिए कुछ नौकरियां बनाई गई हैं।

प्राईवेट कम्पनियों की रेलवे लाईनें

५२१. **सेठ गोविन्द दास:** क्या रेल मंत्री प्राईवेट कम्पनियों द्वारा चलाई जाने वाली रेलों की वार्षिक आय बताने की कृपा करेंगे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): १९५१–५२ में प्राईवेट कम्पनियों द्वारा चलाई गई रेलों की कुल आय जिन के प्रकाशित लेखे प्राप्य हैं १२,९९,५६४ रु० है। एक विस्तृत विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २०]**

मध्य प्रदेश को नियत किये गये ट्रैक्टर

५२२. **श्री चांडक:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संघठन के अधी-वर्ष १९५२–५३ में मध्य प्रदेश को दिये गये तथा चलने वाले ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है ?

(ख) उन की लागत कितनी है ?

(ग) उन ट्रैक्टरों में से कितने इस समय काम कर रहे हैं ?

(घ) कितने ट्रैक्टर बेकार पड़े हैं तथा बेकार रहने के क्या कारण हैं ?

(ङ) अब तक इन ट्रैक्टरों से कितनी भूमि जोत में लाई गई है ?

(च) ट्रैक्टरों का किराया किसानों से प्रति एकड़ हिसाब तथा कितनी किश्तों में वसूल किया जाता है ?

(छ) ट्रैक्टरों के किराये के सम्बन्ध में क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन किया गया है ?

(ज) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १९५२–५३ के भूमि पुनरोद्धार ऋतु में, ६० बड़े ट्रैक्टर कार्य के लिए मध्य प्रदेश को दिये गये ।

(ख) ३९,९८,३६८ रु० ।

(ग) ५५ ।

(छ) १९५२-५३ की ऋतु में ५ ट्रैक्टर पुर्जे न होने के कारण बेकार पड़े रहे ।

(ङ) १९५२-५३ की ऋतु में पुनरोधृत भूमि का कुल क्षेत्र ६२,७०० एकड़ है। सी० टी० ओ० द्वारा १९४७-४८ से लेकर १९५२–५३ के अन्त तक उपरोक्त ट्रैक्टरों और अन्य ट्रैक्टरों से पुनरोधृत भूमि का कुल क्षेत्र ३,१०,८०० एकड़ है । १९५२-५३ में पुनरोधृत कुल क्षेत्र को अगली रबी तक वस्तुत: कृषि अधीन लाने की प्रत्याशा है, जब कि बाकी का पुनरोधृत क्षेत्र पहले ही कृषि अधीन है ।

(च) केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ के कार्यों पर किया गया व्यय राज्य सरकार से पांच वार्षिक किश्तों में वसूल किया जाता है । वह राज्य कृषकों से निम्नलिखित दरों से वसूल करता है :

(१) रबी से पूर्व कटाई काल में पहले कृषि की गई भूमियों के पुनरोद्धार के लिए—४० रु० प्रति एकड़ ।

(२) रबी के पश्चात कटाई काल में पहले कृषि की गई भूमियों के पुनरोद्धार के लिए—५५ रु० प्रति एकड़ ।

(३) बंजर भूमियों के पुनरोद्धार के लिये—६५ रु० प्रति एकड़ ।

राज्य सरकार कृषकों से पुनरोद्धार के भार पांच वार्षिक किश्तों में वसूल करती है ।

(छ) तथा (ज). मध्य प्रदेश सरकार को ये शिकायतें मिली हैं कि भारित की गई दरें बहुत अधिक हैं । परन्तु राज्य सरकार इन दरों को कम नहीं कर सकी क्योंकि जो भार उसे केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ को देने पड़ते उन के अनुसार यह कभी संभव नहीं । केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ अपने स्थान पर राज्य सरकार से अपनी वसूली की दर को कम नहीं कर सकता क्योंकि वह "न हानि न लाभ" के आधार पर काम करता है और सारा किया गया व्यय वसूल करना होता है ।

धारासू-गंगोतरी सड़क

५२३. श्रीमती कमलेन्दुमती शाह : क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में बद्रीनाथ और गंगोतरी से तिब्बत जाने वाले पथों का पता है ;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय पथ योजना के अधीन धारासू से गंगोतरी की सड़क बनाने का विचार रखती है; तथा

(ग) क्या सरकार को विदित है कि उत्तर प्रदेश में टेहरी गढ़वाल के खर्टलिंग स्थान के समीप से तिब्बत जाने वाले पथ की संभावना है जिसे कुछ वर्ष पूर्व व्यापार पथ कहा गया था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

(ग) टेहरी से खर्टलिंग की ओर तिब्बत जाने का विकल्पित पथ संभव है परन्तु इन पथों के विकास का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार का है ।

एशियन प्रादेशिक सम्मेलन

५२४. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १४ से २६ सितम्बर १९५३ तक टोकियो में एशियन प्रादेशिक सम्मेलन हो रहा है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार उक्त सम्मेलन में कोई प्रतिनिधि भेजने का विचार रखती है ?

(ग) क्या वहां भारतीय जहाज़ के श्रमिकों पर चर्चा की जाएगी ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सम्मेलन का कार्यक्रम निम्नलिखित होगा :

(१) एशिया के देशों में पारिश्रमिक नीति की समस्याएं ;

(२) एशिया के देशों में श्रमिकों की गृह व्यवस्था की समस्याएं; तथा

(३) एशिया के देशों में युवक श्रमिकों के सुरक्षण और उन के लिए व्यवसायिक पथ प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

कोयले की खानों में मालगाड़ी क डिब्बों की आवश्यकता

५२५. **श्री टी० के० चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे सदन पटल पर निम्नलिखित सूचना का विवरण रखेंगे :

(१) १९४७ से १९५२ तक और १९५३ के प्रथम अर्द्ध भाग में वर्ष प्रति वर्ष कोयले की खानों द्वारा मांगे गये माल गाड़ी के डिब्बों की संख्या का दैनिक मध्यमान;

(२) इसी कालावधि के लिये कोयला आयुक्तों के कार्यालय द्वारा स्वीकृत कोयला भेजने के कार्यक्रम के अनुसार कोयले की खानों द्वारा मांगे गये माल गाड़ी के डिब्बों की संख्या का दैनिक मध्यमान;

(३) इसी कालावधि के लिए वर्ष प्रति वर्ष कोयला भेजने के लिए कोयला की खानों को वस्तुत: दिये गये माल गाड़ी के डिब्बों की संख्या का दैनिक मध्यमान, प्रथमतया सारे भारत के सम्बन्ध में आंकड़े और दूसरे

(१) बंगाल तथा बिहार की कोयले की खानों;

(२) सी० पी० कोयले की खानों तथा

(३) सी० आई० कोयले की खानों के सम्बन्ध में आंकड़े ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : भाग (१) से (३). १९४७ से जून १९५३ तक के वर्षों के लिए कोयले की खानों द्वारा मांगे गए और कोयला आयुक्त द्वारा मांगे गये माल गाड़ी के डिब्बों और कोयला भेजने के लिए रेल द्वारा वस्तुत: दिये गए मालगाड़ी के डिब्बों की संख्या के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २१]**

मध्य भारत में तार तथा टेलीफोन के दफ्तर

५२६. **श्री दामर :** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य भारत में सारी तहसीलों के मुख्य कार्यालयों में तार तथा टेलीफोन के कार्यालय खोलने का कोई विचार है; तथा

(ख) यदि हां, तो १९५३–५४ में तार तथा टेलीफोन के कितने नये कार्यालय खोले जायेंगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). ज़िलों उप-क्षेत्रों तथा

तहसीलों में तार तथा टेलीफोन की व्यवस्था की संशोधित नीति अभी विचाराधीन है। मध्य भारत में तहसीलों के मुख्य कार्यालयों के मामलों पर निश्चय होने के पश्चात् विचार किया जायेगा।

डाक कर्मचारियों के लिए वर्दी

५२७. **श्री मुनिस्वामी:** क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार विभाग के डाकियों तथा श्रेणी चार के कर्मचारियों को दी जाने वाली वर्दी की प्रति व्यक्ति औसत लागत क्या है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): रु० ३०-०-६।

डाक निरीक्षक

५२८. **श्री मुनिस्वामी:** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अब निरीक्षकों का चुनाव करने के लिए अक्तूबर १९५२ में एक परीक्षा हुई थी ?

(ख) यदि हां, तो कितने प्रार्थियों ने परीक्षा दी और उन में से कितने प्रार्थियों को सफल घोषित किया गया ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) हां।

(ख) १९४४ प्रार्थियों ने परीक्षा दी। यह मानते हुए कि 'सफल' शब्द से माननीय सदस्य का अभिप्राय 'चुने हुए' प्रार्थियों से है, संख्या १३७ थी।

रेल के डिब्बे

५२९. **श्री यू० एम० त्रिवेदी:** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अजमेर-खण्डवा रेल-क्षेत्र में पंखों वाले तृतीय श्रेणी के कितने डिब्बे चल रहे हैं ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि इन में बहुत से डिब्बों में पंखों के बिजली के कनैक्शन काट दिये गये हैं ?

(ग) इन्हें काटने का कारण क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) ३०।

(ख) उन में से कुछ के पंखों के बिजली के कनेक्शन काट दिये गये हैं।

(ग) डिब्बा-स्टाक के लिए डिब्बों के लिये दिये गये पुराने आर्डरों के आधे डिब्बों में डाइनुमा तथा बैटरी लगाने की व्यवस्था की गई थी। इन आर्डरों के परिणामस्वरूप आये ऐसे बहुत से डिब्बे जिन में डाइनुमा तथा बैटरी नहीं थी, अजमेर-खण्डवा क्षेत्र में चलाये गये और जिस ने कुछ 'रेकों' पर बत्ती तथा पंखों में उपयोग होने वाली बिजली तथा बिजली उत्पन्न करने की क्षमता में प्रतिकूल सन्तुलन उत्पन्न कर दिया। इस के परिणाम-स्वरूप कुछ डिब्बों में पंखों के कनैक्शन काट दिये गये ताकि क्षीण-प्रकाश को दूर किया जा सके। अधिक से अधिक डिब्बों में पंखों के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ज्यों ही सामग्री उपलब्ध होती है, डाईनुमा तथा बैटरी लगाई जा रही है। आशा है कि निकट भविष्य में स्थिति सुधर जायेगी।

पठानकोट में सड़क का पुल

५३०. **श्री अजित सिंह:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीस नदी पर पठानकोट में सड़क का पुल बनाने पर वास्तव में कितना धन व्यय हुआ और अनुमान क्या था;

(ख) किन किन एजेंसियों ने यह पुल बनाया;

(ग) प्रत्येक एजेंसी ने कितना भाग और कितने में बनाया;

(घ) पुल के इन भागों का निर्माण किस तारीख को आरम्भ तथा पूर्ण हुआ; तथा

(ङ) किस प्राधिकार ने पुल की प्ररचना की थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) पुल की अनुमानित लागत जिस में "रोड डैकिंग" तथा "गायिड बन्ड्स" सम्मिलित हैं, १,१७,६४,४१४ रुपये थी। क्योंकि अभी तक योजना-लेखा बन्द नहीं हुआ है इसलिये पुल-निर्माण की वास्तविक लागत बताना सम्भव नहीं है। फिर भी, लगभग वास्तविक लागत १,११,२५,६०० रुपये आती है।

(ख) तथा (ग). पुल बनाने वाली एजेंसियों के नाम, प्रत्येक एजेंसी द्वारा निर्मित भाग, तथा पुल के इन भागों के आरम्भ व समाप्ति की तारीखें निम्नलिखित हैं :—

बनाने वाली एजेंसी का नाम	काम का नाम	लागत	आरम्भ की तारीख	समाप्ति की तारीख
१	२	३	४	५
(१) मैसर्स ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसोप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि०	फौलाद का संभरण	१४,३२,७०४ रु०	पुल का प्रथम भाग सितम्बर १९५१ में दिया गया	१९–२–५२ बेरिंग्स १६–२–१९५२ को दिये गये
(२) मैसर्स उत्तम सिंह दुग्गल एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली	खम्बों का निर्माण	२२,७४,४८८ रु०	१–४–५०	३१–१–५२
मैसर्स उत्तम सिंह दुग्गल एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली	सीधा ओर का 'गायिड बन्द'	२१,७३,४६५ रु०	१५–१–५१	१५–४–५२
(३) श्री लाल चन्द करला ठेकेदार	बाईं ओर के 'गायिड बन्द' का भाग	६,१२,४०२ रु०	२३–१–५१	काम अधूरा छोड़ दिया
(४) मैसर्स बख्शी शिव राम एण्ड कम्पनी दिल्ली	(१) मद (३) द्वारा छोड़ा हुआ बाईं ओर के 'गायिड बंद' का भाग	२,८८,०४४ रु०	५–१–५२	३०–४–५२
	(२) ऐयरन के लिये सीमेन्ट कंक्रीट ग्लाकस्		१–६–५१	२८–६–५१

	२	३	४	५
(५) मैसर्स हीरा लाल एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली	बाईओर के 'गायिड बंद' का भाग (सीमेंट कंक्रीट ब्लाक्स)	९३,४७४ रु०	१९–४–५१	२१–६–५१
(६) विभागीय कार्य	फौलाद कार्य तथा 'रोड डैकिंग' का बनाना	४२,५१,०२३ रु०	दिसम्बर १९४९	७–४–५२ 'रोड डेकिंग' को छोड़कर' जो अक्टूबर १९५२ को हुआ

(ङ) पुल के गर्डर्स की प्ररचना रेल परिषद् के केन्द्रीय कार्यालय तथा ऊपरी ढांचा का बनाना तथा प्ररचना भूतपूर्व पूर्वी पंजाब रेल प्रशासन ने की थी।

धान की खेती

५३१. श्री विभूति मिश्र: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री सदन पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में उस प्रक्रिया का वर्णन हो जिस से करूर के श्री एस० एम० के० अरुमुगम ने ७,२०० पौंड धान प्रति एकड़ उत्पन्न किये थे और जिस के लिये उसे कृषि मंत्री के तगमा सहित २०० रु० का पुरस्कार दिया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): अपेक्षित सूचना मद्रास सरकार से मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रखी जायेगी।

'टेलीफोन ऐक्सचैंजज़' के लिए मिस्तरी

५३२. श्री वी० एन० मिश्र: (क) क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि 'टेलीफोन ऐक्सचेंजेज़' में मिस्तरियों के संवर्ग में नियुक्ति करने के लिए १९५२ के आरम्भ में भारत में विभिन्न डाक तथा तार सर्किलों में परीक्षायें हुई थीं ?

(ख) प्रत्येक डाक तथा तार सर्किल में हुई अमुक परीक्षाओं में कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे ?

(ग) प्रत्येक सर्किल में उन में से कितने सफल हुए ?

(घ) प्रत्येक सर्किल से परीक्षा में सफल होने वाले व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को काम पर नियुक्त कर दिया गया है ?

(ङ) जिन व्यक्तियों को अभी तक नियुक्ति-आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें सम्भवत: किस दिनांक तक आदेश प्राप्त होंगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) हां। १९५२ के आरम्भ म डाक तथा तार सर्किलों तथा टेलीफोन-ज़िलों में से कुछ में एक परीक्षा मिस्तरी-संवर्ग में भर्ती करने के लिये हुए थी, जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में विस्तारपूर्ण बताया गया है। परीक्षा 'टेलीफोन ऐक्सचेंजेज़' के लिए ही नहीं अपितु निम्नलिखित विभागों में मिस्तरियों की भर्ती करने के लिये हुई थी—टेलीफोन, तार, दुहराने वाले केन्द्र तथा बिना तार के तार की शाखायें।

(ख)

पंजाब सर्किल	२९७
बम्बई ज़िला	८५
टैक्निकल तथा विकास सर्किल	२४
दिल्ली ज़िला	१४६
कलकत्ता ज़िला	१०७
आसाम सर्किल	५०
योग	७०९

(ग) मिस्तरी-भर्ती-परीक्षा एक प्रतियोगिता-परीक्षा है और प्रार्थियों को प्रशिक्षा तथा नियुक्ति के लिए मान्यता अनुसार चुना जाता है। रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार विभिन्न इकाइयों में प्रशिक्षा के लिए चुने गये प्रार्थियों की संख्या निम्नलिखित है :

पंजाब सर्किल	३७
बम्बई ज़िला	५०
टैक्निकल तथा विकास सर्किल	५
दिल्ली ज़िला	१९
कलकत्ता ज़िला	२७
आसाम सर्किल	१०

(घ)

पंजाब सर्किल	७
बम्बई सर्किल	३७
टैक्निकल तथा विकास सर्किल	—
दिल्ली ज़िला	—
कलकत्ता ज़िला	२१
आसाम सर्किल	१

(ङ) प्रशिक्षा प्रणाली के पुनरीक्षण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। निश्चय होते ही प्रार्थियों को प्रशिक्षा के लिये भेजा जायगा और सफलतापूर्वक प्रशिक्षा समाप्त करने पर उन्हें मिस्तरी के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

मध्यम श्रेणी के स्थान की कमी

५३३. **श्री एच० जी० वैष्णव** : (क) रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि मनमद और हैदराबाद के बीच चलने वाली छोटी लाइन की रेलों में मध्यम श्रेणी के बहुत ही थोड़े स्थान की व्यवस्था है ?

(ख) क्या प्राधिकारी स्थान में वृद्धि करने का विचार रखते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मनमद तथा हैदराबाद के बीच छोटी लाइन की रेलों में मध्यम श्रेणी का एक डिब्बा होता है। फिर भी, मध्यम श्रेणी के यात्रियों के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है।

(ख) एक और मध्यम श्रेणी के डिब्बे की व्यवस्था करने की संभाव्यता विचाराधीन है।

हैदराबाद में तार तथा टेलीफ़ौन की सुविधायें

५३४. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या संचरण मंत्री हैदराबाद राज्य में ज़िला तथा ताल्लुक के उन मुख्य कार्यालयों को बताने की कृपा करेंगे जहां १९५३–५४ में सरकार का विचार तार तथा टेलीफोन की सुविधाओं में वृद्धि करने का है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : एक तालिका सदन पटल पर रखी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १५, अनुबन्ध संख्या २२]**

चीनी के लिये माल के डिब्बों का नियतन

५३५. **श्री गिडवानी** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि चीनी के मिलों ने उन माल के डिब्बों का कोई उपयोग नहीं किया जो बम्बई तथा दिल्ली क्षेत्र को चीनी भेजने के लिये उन्हें नियत किये गये थे ?

(ख) उपयोग न करने वाले मिलों के नाम क्या थे ?

(ग) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग) निम्नलिखित मिल बम्बई तथा दिल्ली को चीनी के विशेष रूप से

भेजने के लिये नियत डिब्बों का उपयोग नहीं कर सके :—

(१) सिम्भावली चीनी मिल, सिम्भावली

(२) मोदी चीनी मिल, लि०, मोदीनगर

(३) आर० बी० नारायण सिंह चीनी मिल, लि० लकसर

(४) रज़ा चीनी कम्पनी, लि०, रामपुर

(५) बुलन्द चीनी कम्पनी, लि०, रामपुर

(६) ऊपरी गांवा चीनी मिल, सिमोहारा

(७) लक्ष्मी चीनी तथा तेल मिल, लि०, हरदोई

(८) राम लक्ष्मन चीनी मिल, लि०, मुहीउद्दीनपुर

फिर भी, अमुक बाज़ारों को चीनी की वृद्ध मात्रा भेजने की योजना पर इस का प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उपयोग न किये गये डिब्बों का उपयोग उस चीनी को भेजने में किया गया जो उचित मूल्य राशन की दुकानों द्वारा वितरण के लिए संचित स्टाक से राज्य सरकारों को मुक्त की गई थी।

जांच पड़ताल से विदित हुआ कि माल के सारे डिब्बों का उपरोक्त मिलों ने बुरी ऋतु, क्रयकर्ता द्वारा दिये गये आर्डरों को भंग करने, आदि के कारण उपयोग नहीं किया। इस स्थिति में उन के विरुद्ध प्रत्यक्षतः कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

उपनगर रेलें

५३६. **श्री गिडवानी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उपनगर रेलों से प्रथम श्रेणी के डिब्बों को हटा दिया जाये और उन के स्थान पर द्वितीय श्रेणी के डिब्बे लगा दिये जायें; तथा

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है।

सत्यमेव जयते

बृहस्पतिवार,
३ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ३ सितम्बर १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्षपद-पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९.३८ म० पू०

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री चोखामून गोहेन से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं निरन्तर बाढ़ आने के कारण अपने क्षेत्र में निष्कासन-कार्य में लगा हुआ हूं। अतः मझे चालू अधिवेशन से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये ।

क्या सदन श्री चोखामून गोहेन को अनुपस्थित रहने की अनुमति देने को तैयार है ?

अनुपस्थिति की अनुमति दे दी गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री के० जी० देशमुख से भी एक पत्र प्राप्त हुआ है । उन्होंने लिखा है कि टाइफाइड होने के कारण मैं अब तक चालू अधिवेशन में भाग नहीं ले

सकता हूं और आशा करता हूं सदन मुझे अनुपस्थिति की अनुमति दे देगा ।

क्या सदन अनुमति देने को तैयार है ?

अनपस्थिति की अनुमति दे दी गई ।

राज्य परिषद से प्राप्त संदेश

भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं सूचित करता हूं कि राज्य परिषद् न भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक, १९५३ अपनी १ सितम्बर १९५३ की बैठक में पारित कर दिया है। मैं इस विधेयक की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

सम्पदा शुल्क विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सम्पदा शुल्क विधेयक पर चर्चा आरम्भ होगी। खण्ड ४ पर चर्चा हो रही है ।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणकुलम) : इस अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण सम्बन्धी प्रश्नों का निश्चय करने के लिए एक स्वतन्त्र अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के पक्ष में बहुतों ने मत प्रकट किया है । मुझ आशा है कि वित्त मन्त्री इस अभ्यावेदन की ओर ध्यान देंगे और फिर इस विधेयक के आवश्यक संशोधनों को स्वीकार करेंगे ।

[श्री ए० एम० टामस]

प्रतिवेदन से यह विदित होगा कि, नीति के आधार पर, प्रवर समिति भी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के विरुद्ध नहीं है। अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का मेरा तर्क इस पर आधारित है कि प्रजा तथा सरकार की प्रशासकीय शाखाओं के बीच न्याय करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मनुष्य तथा मनुष्य के बीच न्याय करन का प्रश्न है। यथार्थ मामले विभागों की धूल में नष्ट नहीं हो जाने चाहियें। इसका उद्देश्य यह सामान्य शिकायत मिटाना है कि ऐसे नियम अल्प आय के व्यक्तियों को परेशान करने के लिए बनाये जाते हैं, तथा यह विश्वास उत्पन्न करना है कि यह न्यायाधिकरण सरकारी अधिकारियों की मनमानी को रोकेगा। हम सम्पदा शुल्क अधिनियम के प्रशासन म कोई लचीलापन नहीं चाहते। यह कोई अनपयुक्त न्याय नहीं है, और यदि किया गया न्याय अनुपयुक्त हो जाता है तो, यह न्याय नहीं रहता।

मेरे ऐसा करने का एक कारण और भी है। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं वह यह है कि न्याय पाना यथा सम्भव सस्ता हो और उसे जनसाधारण तक लाया जाये। यदि न्यायाधिकरण का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली जैसे दूर के नगर में स्थित हो तो जनसाधारण के लिए अपनी कठिनाइयां उसके सम्मख रखना सम्भव न होगा। अतः अतः निर्धार्य को आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दृष्टि से देश के बहुत से भागों में अपीलीय न्यायाधिकरणों का होना आवश्यक है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री श्री एस० वी० रामास्वामी के युक्तियुक्त संशोधन को, बिना किसी विरोध के, स्वीकार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य किसी सदस्य को पुकारने से पहले सदन को मैं यह स्मरण कराना चाहता हूं कि कल सायं काल तक हमें २ से ९ तक के खण्डों पर विचार करना है। मेरा सुझाव ह कि किसी विशेष महत्वपूर्ण विषय पर एक या दो माननीय सदस्य बोल सकते हैं, और अन्य सदस्य अपने तर्क अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि स्वतन्त्र न्यायधिकरण होने चाहियें। इस का समर्थन मैं केवल निर्धार्य-व्यक्तियों के लिए ही नहीं कर रहा हूं अपितु मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह राजकोष के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि नियंत्रक को प्राप्त कुछ असाधारण अधिकारों का परिणाम अधिक मूल्यांकन या अल्प-मूल्यांकन हो सकता है। एक ओर यह बिचारे निर्धार्य को प्रभावित करेगा और दूसरी ओर राजकोश को वह धन नहीं मिलेगा जो उसे मिलना चाहिये।

यदि आप खण्ड ३५ को देखें तो आपको विदित होगा कि मृतक की मृत्यु के समय सम्पदा का बाजार-मूल्य क्या था यह क्रियात्मक रूप में नियन्त्रक ही निश्चित करेगा। खण्ड ४१ में कहा गया है कि नियन्त्रक, जब भी सुविधाजनक हो, मूल्यांकन स्वीकार तथा प्रमाणित कर सकता है। खण्ड ४२ में उचित अन्त्येष्ठि क्रिया-व्यय आदि की व्यवस्था है। यहां भी शब्द 'उचित' का निर्वाय नियन्त्रक ही करेगा, उसे यह अधिकार दिया गया है। सके अतिरिक्त नियन्त्रक को यह निर्णय करने का भी अधिकार दिया गया है कि सम्पदा शुल्क किन व्यक्तियों पर लगनी चाहिये और किस को उसके देय का उत्तरदायी बनाया जाये। श्रीमान् मेरे कहने का अभि-

प्राय यह है कि मूल्यांकन की मात्रा निश्चित करने के अतिरिक्त, नियन्त्रक को विशाल अधिकार दिये गये हैं। हम जिस बात का तर्कपूर्ण समर्थन कर रहे हैं वह यह है कि उन सब के अतिरिक्त, क्या इन प्रश्नों के लिए जिनके निर्णय की आवश्यकता है कोई अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होना चाहिए ? फिर, कलकत्ता एजेंसी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के निर्णय से यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे अभियोगों के सम्बन्ध में राजस्व-अधिकारियों द्वारा दिया गया प्रत्येक बयान अन्तिम बयान माना जायेगा और भारत में कोई उच्चन्यायालय या न्याय-सत्ता उसे रद्द नहीं कर सकती।

यदि श्री देशमुख केवल इतना न्याय करदें तो उन्हें वर्तमान पीड़ी तथा इसके पश्चात आने वाली पीड़ी की ही कृतज्ञता प्राप्त नहीं होगी। अपितु उसकी भी कृतज्ञता प्राप्त होगी जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। अन्यथा, प्रत्येक संसदसदस्य को लौट कर अपनी पत्नी से यह कहना होगा कि "तुम्हारे विधवा होने पर, श्री देशमुख के अधिनियम के अन्तर्गत वास्तविक भय तथा यातना का आरम्भ होगा।"

उदाहरण के लिय छूट को लीजिये। खण्ड ३२ में कहा गया है कि मृतक की मृत्यु से छः मास पूर्व के समय में लोक धर्मार्थ के लिए दान दी गई दो हजार मूल्य तक की सम्पदा पर छूट मिलेगी। प्रश्न यह है कि भतीजे या भतीजी को दिया गया दान लोक धर्मार्थ कार्य होगा अथवा नहीं ? यह नियन्त्रक ही निश्चय करेगा। इसी प्रकार वे वस्तुयें जो विक्रय के लिये नहीं हैं, उन्हें छोड़ा जायगा। परन्तु यह निश्चय करना कि क्या विक्रय के लिए है और क्या नहीं, इसका अधिकार नियन्त्रक को दिया गया है। इस प्रकार नियन्त्रक को अत्यधिक अधिकार दिये गये हैं। मेरा यह निवेदन है कि ईश्वर के लिये उसे इतने अधिकार न दीजिये क्योंकि इससे लालच का द्वार खुल जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मामला छोटा सा प्रतीत होता है। परिषद् से अपील करने की व्यवस्था है। कदाचित माननीय सदस्य का अभिप्राय यह है कि यह शक्ति केन्द्रीय राजस्व परिषद को नहीं अपितु एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण को प्राप्त होनी चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है ?

श्री एन० सी० चटर्जी : नहीं, श्रीमान्। मेरा अभिप्राय केवल यही नहीं है। मैं एक अपीलीय न्यायाधिकरण चाहता हूं परन्तु केवल उस परिषद के स्थान पर नहीं जो खण्ड ६१ के अन्तर्गत कार्य कर रही है। श्रीमान, और भी बहुत से तथ्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि यहां सभी वर्ग हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : मुझे संदेह है कि इसमें सब के लिये व्यवस्था है। मान लीजिये कि मैं यह कहता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप में हिसाब देने के लिये उत्तरदायी नहीं हूं परन्तु आपका यह विचार है कि किसी छूट के लिये यह नहीं है.....

उपाध्यक्ष महोदय : हिसाब देने के उत्तरदायित्व को अस्वीकार करना, इस में दो बातें हैं, नामतः, कि वह हिसाब देने के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है, और वह उस सम्पदा के सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं है। यहां दोनों हैं।

अभी हम विभिन्न सम्पदा शुल्क अधिकारियों सम्बन्धी खण्ड चार पर विचार कर रहे हैं। एक बात यह है कि आप स्वतन्त्र न्यायाधिकरण चाहते हैं अथवा परिषद। अपील की दृष्टि से और अधिक क्या अधिकार दिये जायें खण्ड ६१ के अन्तर्गत आयेगा। अतः जब हम

[उपाध्यक्ष महोदय]

खण्ड ६१ को लगे तब इन सब बातों पर विचार करेंगे ।

श्री एन० सी० चटर्जी : म अपने आपको खण्ड ६१ तक सीमित करने का प्रयत्न नहीं कर रहा । मैं तो नियन्त्रक का अधिकार-क्षेत्र बता रहा हूं और यह बता रहा हूं कि वह किन किन बातों का निश्चय करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि इस सब का अभिप्राय यह है कि परिषद को अपील का उत्तरदायित्व न देकर एक अपीलीय न्यायाधिकरण को दिया जाये । अतः मेरा यह सुझाव है कि माननीय सदस्य खण्ड ६१ तथा खण्ड ४ को एक दूसरे से अलग रखें और वह वर्तमान विषय पर बोलें ।

श्री एन० सी० चटर्जी : म अपने आप को खण्ड ४ तक ही सीमित रखूंगा परन्तु यह कहना चाहता हूं कि आप खण्ड चार को अकेला लेकर कार्य क्षेत्र को निश्चित नहीं कर सकते । जब आप कहते हैं कि नियन्त्रक का निश्चय तथा मत अन्तिम होगा तो आपको धाराओं के पूर्ण विस्तार तथा उसके पूर्ण अधिकार-क्षेत्र का ध्यान रखना होगा । मान लीजिये कि आप परिषद को अधिकार देते हैं तो वह सर्वथा असन्तोषजनक न्यायाधिकरण होगा । अतः एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण होना चाहिये ।

यदि आप खण्ड ६१ के क्षेत्र को इतना विस्तृत कर दें कि नियन्त्रक के किसी भी निश्चय के विरुद्ध अपील होगी, तो भी इस विषय के अन्तिम न्यायनिर्णयन के लिए एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण का होना सर्वथा आवश्यक होगा । क्योंकि नियन्त्रक और केन्द्रीय राजस्व परिषद दोनों ही राजस्व एकत्रित करने वाले विभाग के भाग हैं । एक के विरुद्ध दूसरे से अपील करना निर्धार्य के लिये क्रियात्मक रूप में बेकार होगा ।

स्वाभावतः परिषद दिल्ली में होगी और छोटे छोटे मामलों में निर्धार्य के लिए यह सम्भव न होगा कि वह दूर से यहां आ सके । अतः उसे व्यक्तिगत रूप में सुने जाने का अवसर खोना पड़ेगा । इस दृष्टि से स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायाधिकरण का निर्धार्य के स्थान के पास होना आवश्यक है ।

प्रवर समिति का भी यह विचार था कि एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण का होना आवश्यक है । यह एक जटिल तथा कठिन नियम है । यहां तक कि कुछ खण्ड तो इतने कठिन हैं कि अच्छे अच्छे वकील भी उनके अर्थ नहीं समझ पाते । जनता में यह विश्वास उत्पन्न करने के लिये कि उन्हें न्याय मिलेगा स्वतन्त्र न्यायाधिकरण का होना आवश्यक है । अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को अपना भाषण संक्षिप्त करना चाहिए ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर): नियंत्रक को अत्यधिक अधिकार दिये गये , इस दृष्टि से एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण होना परमावश्यक है जिस में जनता को विश्वास हो । माननीय वित्त मंत्री ने आयकर अधिनियम के प्रशासन के कुछ प्रतिवेदनों के उदाहरणों से यह प्रकाश डालने का यत्न किया है कि अब निर्धार्य आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण के पास जाने की बजाय परिषद के पास जाना अच्छा समझते हैं । म केवल एक बात पर जोर दूंगा । आयकर अधिनियम का प्रशासन लगभग अपने क्षेत्र में ही सीमित है । वहां निर्वचन प्रायः हिसाब करने का है और विधि संबंधी प्रतिज्ञा का बहुत थोड़ा । इधर हम अपने देश में प्रथम बार ऐसी विधि बना रहे हैं जो अत्यधिक उलझी हुई है । यहां तक कि

कभी कभी एक विद्वान सदस्य भी उस का अर्थ नहीं बता सकते । अतः हम यह परमावश्यक समझते हैं कि इस अधिनियम के प्रशासन की किसी स्थिति में कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिस से कुछ न्याय सम्बन्धी व्यक्तियों को मामला निश्चय करने के लिये बुलाया जा सके ।

जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवर समिति में एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए प्रचुर मात्रा में मत प्रकट किया गया था । परन्तु हम ने बहुमत तथा कुछ अन्य ढंग से वर्तमान प्रतिज्ञा को स्वीकार किया था और यह माना था अभी यह नहीं होनी चाहिये । कल और आज के भाषणों में वक्ताओं ने अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को परमावश्यक बताया है । अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कम से कम इस प्रतिज्ञा पर विचार करे और अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करे ।

श्री किलाचन्द ने मूलयांकन करने वालों की एक परिषद की स्थापना का सुझाव दिया है । मेरेविचार में यह उपबन्ध आवश्यक नहीं है । अतः मैं इसका विरोध करता हूं अधिक धन संग्रह करने की अपनी तीव्र इच्छा में हमें यह देखना चाहिये कि कम से कम छोटे छोटे निर्धार्य व्यक्तियों को अधिक कठिनाइयों में तो नहीं डाला जाता । क्योंकि हम ने जो सीमा रखी है उसकी दृष्टि से अधिकांश जनता प्रभावित होगी, चाहे ऐसे मूल्यांकन की मात्रा कितनी ही कम हो । अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिये यह संशोधन स्वीकार किया जाय ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : यह उप-खंड बड़ा महत्वपूर्ण है । केन्द्रीय सरकार के उन नियमों तथा आदेशों के अनुसार जो लोक सेवाओं तथा पदों पर काम करने वालों की नौकरी की शर्तों को नियमित करते हैं, नियंत्रक एक ऐसा अधिकारी अथवा अनुसचिवीय कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, अपने कार्यों के करने में जिनकी सहायता प्राप्त करना वह आवश्यक समझता है । अपने संशोधन नम्बर ४७३ के अनुसार मैं यह अधिकार नियंत्रक से ले कर परिषद को देना चाहता हूं ।

मैं खंण्ड २ के उप-खंण्ड ५ की ओर निर्देश करना चाहता हूं । इस में नियन्त्रक की परिभाषा में सम्पदा शुल्क के उप-नियन्त्रक और सहायक नियन्त्रक शामिल किए गए हैं । इस का अभिप्राय यह है कि वे अनुसचिवीय और कार्यपालक कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेंगे । मुझे ज्ञात नहीं कि नियन्त्रकों का क्षेत्राधिकार क्या होता । सम्भवतः यह मामलों की संख्या पर निर्भर होगा और सम्भवतः बड़े नगरों का बोर्डों में विभाजन होगा । यदि इन पदाधिकारियों की नियुक्तियां करने का अधिकार दिया गया तो उस में उलझनें उत्पन्न होने का भय है । यह भय है कि वे अपने सम्बन्धियों की नियुक्तियां करके भ्रष्टाचार को अपना मुख्य उद्देश्य बना लेंगे, सम्भवतः वे सम्बन्ध जाति अथवा प्रांतीयता के आधार पर नियुक्तियां करें । इस लिए यह अधिकार केंद्रीय राजस्व बोर्ड को देना चाहिए। नियुक्ति, अर्हता, भर्ती आदि के सम्बन्ध में कुछ नियम भी बनाने होंगे । इन सब नियमों में एक रूपता अधिक अच्छी होगी और यह बेहतर होगा कि इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय राजस्व बोर्ड पर रहे । वह एक संस्था है और उस में स्थायित्व है । आशा है मेरे सुझाव को वित्त मंत्री स्वीकार करेंगे ।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : प्रश्न यह है कि क्या न्यायाधिकरण बोर्ड के अतिरिक्त बनाया जाये या उसके स्थान पर बनाया जाए । श्री चटर्जी ने बोर्ड को

[श्री सिंहासन सिंह]

कड़ी आलोचना की है। नियंत्रक के अधिकारों पर भी आक्षेप किया है। तो फिर ये अधिकार किसे मिलने चाहियें। खंड के उपबन्धों के अधीन नियंत्रक कर निर्धारण का नियंत्रण करता है और बोर्ड अन्तिम प्राधिकारी है। श्री चटर्जी के मतानुसार बोर्ड ठीक निर्णय नहीं दे सकता। परन्तु ये अधिकार किसी निकाय को तो अवश्य दिए जाने हैं। खंड ६१ में स्पष्टतया कहा गया है कि नियंत्रक द्वारा निर्धारित सम्पदा शुल्क अथवा मूल्यांकन पर आक्षेप करने वाला अथवा किसी संपत्ति के लिए शुल्क देने के उत्तरदायित्व को अस्वीकार करने वाला अथवा धारा ५४ के अधीन किए गए जुर्माने पर आक्षेप करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्त करने के ९० दिन के बीच बोर्ड के पास विहित परिपत्र में अपील कर सकेगा। इसलिये बोर्ड की आवश्यकता है। मैं ने श्री चटर्जी की प्रवर समिति में दी गई भिन्न टिप्पणियां पढ़ी हैं। वहां उन्होंने खंड ४ पर कोई आक्षेप नहीं किया।

श्री एन० सी० चटर्जी : यदि पृष्ठ २६ खंड ६१ को देखें तो वहां कहा गया है कि नियंत्रक के निर्णयों के विरुद्ध अपील किसी उच्चन्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र न्यायाधिकरण के पास की जानी चाहिये।

श्री सिंहासन सिंह : परन्तु खंड ४ के संबंध में कुछ नहीं कहा गया।

श्री किलाचन्द के संशोधन को लीजिये। उन्होंने न्यायाधिकरण के आदिष्ट किए जाने और उस के अधिकार तथा निर्णय के ढंग के संबंध में कुछ नहीं कहा। विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि बोर्ड के आदेश के विरुद्ध उच्चन्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

श्री ए० एम० टामस : वह केवल विधि के प्रश्न के संबंध में है।

श्री सिंहासन सिंह : यह भी विधि का प्रश्न है कि क्या निर्धारित राशि बढ़ाई जाए अथवा कम की जाए। धारा ६५ के अधीन उच्च न्यायालय राशि के घटाने अथवा बढ़ाने के संबंध में निर्णय दे सकेगा। यदि प्रार्थी के आवेदन पत्र को बोर्ड उच्च न्यायालय के पास न भेजे तो वह आवेदन पत्र सीधे भेज सकता है। पहले ही विधेयक में मुकदमेबाज़ी के लिए बहुत स्थान है। यदि आप न्यायाधिकरण का उपबन्ध कर दें तो बिना कर आरोपन के बहुत से अभियोग उच्चतम न्यायालय के पास पहुंचेंगे। ६ महीने, एक वर्ष, दो वर्ष, सद्भावना, दुर्भावना इत्यादि सब मदों पर मुकदमाबाज़ी हो सकती है। प्रत्येक स्थिति में न्यायाधिकरण का उपबन्ध करने से विधेयक का प्रयोजन ही असफल हो जायगा।

आप की अनुज्ञा से मैं एक संशोधन रखना चाहता हूं कि मूल्यांकन कर्ता के लिए किये गए उपबन्ध का लोप किया जाना चाहिये। खंड ३९ तथा ५९ में नियंत्रक को मूल्यांकन के अधिकार दिए गए हैं। तब मूल्यांकन कर्ता के क्या अधिकार होंगे। उन की नियुक्ति पर भ्रष्टाचार तथा पक्षपात होने का भय है। लाखों रुपये की संपत्ति उत्तराधिकार में पाने वाला व्यक्ति मूल्यांकन कम करवाने के लिये कुछ हज़ार रुपये दे देने की परवाह नहीं करेगा। इसलिये संपत्ति के मूल्यांकन का अधिकार मूल्यांकन कर्ताओं को नहीं दिया जाना चाहिये। इस उद्देश्य के लिए मेरा यह संशोधन है कि उप-खंड ३ का लोप किया जाए।

बेशक इस उपबन्ध से बेकारी की समस्या का कुछ हल मिलेगा परन्तु इससे सारे देश के हितों को लाभ नहीं पहुंचेगा।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : मुझे खेद है कि मैं पूर्व वक्ता की युक्तियों से सहमत नहीं हूं । हमें आश्चर्य है कि आयकर अधिनियम के प्रशासन के अनुभव से लाभ नहीं उठाया गया । आयकर (संशोधन) विधेयक की हाल की चर्चा में सभा के बड़े भाग ने यह मत प्रकट किया था कि अपीलें आयकर आयुक्त को नहीं भेजी जानी चाहियें । यद्यपि आयकर अधिनियम में अपीलीय न्यायाधिकरण का उपबन्ध है परन्तु यह अनुरोध किया गया था कि पहली अपील के समय कोई न्यायिक अधिकारी होना चाहिये ।

मैं इस विधेयक में अपीलीय न्यायाधिकरण के उपबन्ध के लिये यह सबल युक्ति प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह विधेयक इस देश में नव जात है । इस के कोई परिमाण और विशेष परम्पराऐं नहीं हैं । इस विधेयक को कार्यपालिका की भूल भुलैईयों पर छोड़ देने से कर दाता सुरक्षित नहीं होता । वस्तुतः इस जैसे विधेयक को कार्यपालिका पर छोड़ देना कर संबंधी न्याय के विरुद्ध है ।

मुझ विदित है कि विधेयक में विधि संबंधी प्रश्न पर उच्च न्यायालय के पास अपील करने का उपबन्ध है । बोर्ड तथा संबंधित दल द्वारा नामनिर्दिष्ट मध्यस्थ द्वारा निर्धारित मूल्यांकन का पुनर्निर्धारण भी उपबन्धित है । जब हमारी नई व्यवस्था को आरम्भ कर रहे हैं तो आवश्यक है कि हम कर दाता के हृदय में विश्वास उत्पन्न करें कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा ।

दुर्भाग्यवश इस देश में उत्तराधिकार में संपत्ति पाने वालों के प्रति बहुत द्वेष है । सब गांव अथवा नगरों में पड़ोसी कर-आरोपन के अधिकारियों की सहायता करेंग । कर का संग्रह कर्त्ता भी वैसे ही द्वेष भाव से काम करेगा ।

राजस्व बोर्ड को अपील से क्या लाभ है ? वह कभी विस्तृत जांच नहीं कर सकेगा क्योंकि देश के प्रत्येक भाग से लाखों की संख्या में अपीलें आऐंगी । उदाहरणतः किसी कृष्य भूमि के मूल्यांकन के लिए अतुल मौखिक और लिखित साक्ष्य की आवश्यकता होगी । इस विस्तार से मामले की जांच करना बोर्ड के लिय संभव नहीं है ।

पूर्व वक्ता ने कहा कि साक्ष्य अधिमूल्यन भी एक विधि संबंधी प्रश्न है जिस पर उच्च न्यायालय के पास अपील की जा सकती है । जो अधिवक्ता रहे हैं वे जानते हैं कि इस आधार पर अपील ग्रहण करवाना अत्यन्त कठिन है ।

अपीलीय न्यायाधिकरण के विरुद्ध यह युक्ति दी गई है कि देश में एसी परम्परा नहीं है और कि यदि चार पांच न्यायाधिकरण हुए तो आरम्भ में ही परस्पर विरोधी निर्णय दृष्टिगोचर होंगे । इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि कोई न्यायाधिकरण होना चाहिय । उस से न्यायिक विवेक का तत्व प्राप्त होगा । विरोधी निर्णय होने पर उच्च न्यायालय इसे ठीक करेंगे ।

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

मुझे ज्ञात है कि इंगलिश विधि में भी जिस के आधार पर यह बनाया गया है, विधि और तथ्य दोनों के आधार पर कौंटी न्यायालय के पास अपील की जा सकती है यह अपनी प्रकृति की पहली व्यवस्था है । हम अपरिचित पथ पर बढ़ रहे हैं । ऐसे समय में इसे केवल कार्यपालिका के हाथ सौंपना ठीक नहीं । राजस्व बोर्ड को भी मूल्यांकन कर्ताओं के प्रतिवेदनों पर निर्भर रहना होगा । उस के पास मामले की जांच के लिये अधिक समय नहीं होगा ।

[श्री रघुरामय्या]

इसलिए मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि एक अपीलीय प्राधिकारी की व्यवस्था की जाए जो न्यायिक हो और तथ्य तथा विधि की जांच करके न्याय प्रदान करे ।

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ) : मैं स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण की मांग का समर्थन करने के लिय खड़ा हुआ हूं ? इस के समर्थन में बहुत तथ्य पूर्ण युक्तियां दी गई हैं । मैं भी कुछ अपनी बात द्वारा समर्थन करूंगा ।

यह सत्य है कि लोग नए कर का विरोध करते हैं । परन्तु जब एक बार कर संबंधी अधिनियम बन जाए तो लोग इतने कर के विरोधी नहीं रह जाते जितने प्रशासन प्राधिकारियों से प्राप्त होने वाली असुविधाओं के विरुद्ध होते हैं । कर दाता इस लिए अपने आप को असहाय समझता है कि उसके दायित्व का निर्णय एक अधिकारी ने करना है । फिर वह यह समझता है कि निर्णय को बदलन वाला प्राधिकारी देर अवश्य लगायेगा इसलिए वह कष्ट और असुविधा को सहन कर लेता है ।

इस स्थिति में यह भी भय है कि कर दाता प्राधिकारी को घूस दे सकता है । ऐसी भ्रष्ट प्रवत्तियों को रोकने के लिये भी एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के उपबन्ध की आवश्यकता है ।

राजस्व बोर्ड की नियंत्रता और स्वतंत्रता को रहने दीजिये । अपील के दो अभिप्राय होते हैं । एक जिस का मुख्यतः हमें पता है पूर्व निर्णय को बदलना है । दूसरा जो प्रायः नहीं समझा जाता यह है कि पूर्व निर्णय देने वाला प्राधिकारी न्यायिक वृत्ति को धारण करे और अपनी उलझनों में न फंसा रहे । यदि उसे ज्ञात हो कि उस के निर्णय के विरुद्ध स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकारी के पास अपील की जा सकती है तो उसका दृष्टिकोण संतुलित और न्यायिक बन सकेगा । यह समस्या का केन्द्र बिन्दु है । प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होना चाहिये कि उसके दायित्व का निर्णय करने वाले का दृष्टिकोण न्यायिक है । यही कारण है कि न्याय संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय तक अपील की व्यवस्था की गई है ।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि आय कर न्यायाधिकरण को अपीलें भेजने की बहुत प्रवत्ति थी । वे अपीलें असफल होती थीं । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा स्वतंत्र न्यायाधिकरण का परिणाम है ?

एक प्रश्न और है । यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय और कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय तक अभियोग ले जाने के लिये उपबन्ध हैं । परन्तु तथ्य संबंधी न्याय में अन्तिम प्राधिकार राजस्व बोर्ड के पास है । इस से उस उपबन्ध का कोई उपयोग नहीं रह जाता क्योंकि बहुत से मामलों में विधि का आधार तथ्यों पर निर्भर होता है ।

मुझे यहां आय कर अधिनियम के खंड ३३ की याद आ गई है । जब उस में अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपील करने के उपबन्ध की व्यवस्था की जा रही थी तो उस समय के विपक्ष के नेता श्री भोलाभाई जे० देसाई स्वतंत्र आयकर न्यायाधिकरण की महत्ता के संबंध में कहा था । उन्होंने कहा कि इस समय आयकर अधिनियम की यह स्थिति है कि सिवाय विधि संबंधी प्रश्न के जिस की अपील उच्च न्यायालय को की जा सकती है, कोई अपील स्वतंत्र न्यायाधिकरण को नहीं भेजी जा सकती । कई अवसरों पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने स्पष्ट बताया है कि यद्यपि वे युक्ति से सहमत हैं परन्तु प्रशासन संबंधी अनुदेशों के कारण वे सिवाय मामले का तथ्य वर्णन करने के और कुछ नहीं कर सकते ।

ऐसी ही शंका हमें वर्तमान विधेयक के संबंध में है ।

उन्होंने यह भी कहा कि, मैं तथ्य सम्बन्धी अपील पर इस लिये जोर देता हूं कि जब आप आयकर आयुक्त के पास पहुंच जायें और फिर उच्च न्यायालय से अपील करें तो आप की अपील का कुछ नहीं बनेगा । कारण यह कि आयकर नियुक्त द्वारा की गई तथ्यों की जांच अन्तिम है । इस लिए जनता की मांग का न्याय-पूर्ण प्रत्युत्तर यही है कि स्वतन्त्र न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए ।

मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं भी ऐसा कह सकता ।

श्रीमती सुषमा सेन : नारी के दृष्टि-कोण और सामान्य विवेक के आधार पर मैं विचार करती हूं कि एक स्वतन्त्र अपीलीय न्यायाधिकरण की अत्यधिक आवश्यकता है । १९४६ के सम्पदा शुल्क विधेयक में उपबंध था कि मूल्यांकन सम्बन्धी विवाद पर बोर्ड मामले को जांच के लिए उच्च न्यायालय के पास भेजेगा । तत्पश्चात् उस उपबन्ध का लोप कर दिया गया । जनता में विश्वास निर्माण करने के लिये भी स्वतन्त्र न्यायधिकरण की आवश्यकता है । यदि इस पर अत्यधिक व्यय होना हो तो उच्च न्यायालय अपीलों को सुने । मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि वे निर्पक्षता से इस प्रश्न पर विचार करें ।

श्री टी० एन० सिंह : अपीलीय न्याया-धिकरण अपीलीय न्यायालय और उच्च अपी-लीय न्यायालयों से जनता के विचारों में कोई अन्तर नहीं आएगा । यह उक्ति एक सुन्दर भावना है कि ऐसा दिखाई देना चाहिए कि न्याय किया गया है । ग्रामों के व्यक्तियों से पूछिये कि क्या तहसीलदार, दण्डाधीश से लकर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के होते हुए उनके हृदय में न्याय के प्रति विश्वास है । केवल धनवान व्यक्ति अधिवक्ताओं के शुल्क देकर विधि को अपना सहायक बना सकता है । आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सम्बन्ध में मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं । दरिद्र और मध्यवर्गीय करदाता को कितना व्यय करना पड़ता है । फिर अपीलीय न्याया-धिकरण का निर्णय क्या होता है । वह प्राय: कहता है कि आप और सरकार समझौता करलें । क्या सम्पदा शुल्क के लिए भी हम वैसे ही न्यायाधिकरण चाहते हैं? यहां जब समाज के छोटे से भाग पर प्रभाव पड़ रहा है तो न्याय, प्राकृतिक न्याय, और न्यायशास्त्र की बातें की जाती हैं । मुझे ऐसा लगता है कि धनी लोगों के समर्थक बहुत हैं । मैं ने आयकर अधिनियम के प्रवर्तन को समीप से देखा है, एक मध्यवर्गीय करदाता स्पष्टतया अपनी आय बता देता है । परन्तु वह व्यक्ति कर से बचाव करता है जिस ने लाखों रुपया देना होता है । मध्यवर्ग ने कभी अपीलीय न्यायाधिकरण की मांग नहीं की । परन्तु कुछ लोग कर से बचना चाहते हैं और उन्होंने यह मांग की है । मैं वर्तमान खण्ड का जैसा वह है समर्थन करता हूं ।

श्री सर्मा (गोलाघाट-जोरहाट) : इस विषय पर दो दिनों में बहुत चर्चा हो चुकी है परन्तु श्री टी० एन० सिंह के भाषण को सुन कर मैं बाध्य हो गया हूं कि इस पर कुछ कहूं ।

यह संघर्ष जो यहां चल रहा है वह कर से बचने वालों और कर संग्रहकर्ता के बीच नहीं है वरन यह न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने के सम्बन्ध में पुराना वाद विवाद है । मेरे विचार में यह प्रश्न कि एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाए अथवा यह कार्य बोर्ड पर छोड़ दिया जाए, तीन, चार शताब्दी पूर्व भारतीयों के लिये मानसिक प्रेरणा बना रहा है । भारत के सब भागों ने और मुख्य-तया कांग्रेस संस्था ने यह स्वीकार किया था कि कार्यपालिका न्यायपालिका और विधान मंडल को पृथक पृथक स्वतन्त्रकार्य करना चाहिए ।

[श्री सर्मा]

मैं नहीं समझ सका कि सरकार अब प्रगति विरोधी व्यवस्था क्यों कर रही है। यहां वस्तुतः हम स्वीकृत सिद्धान्त को तोड़ रहे हैं। यदि नहीं तो हम क्यों कर दाता और कर संग्रहकर्ता के बीच एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण की मध्यस्थता का विरोध कर रहे हैं। मुझे पदाधिकारियों के प्रति अविश्वास नहीं है। ये पदाधिकारी आज भारत की सेवा कर रहें हैं। उन के प्रति अविश्वास करके हम उन की नैतिक शक्ति को ठेस पहुंचाएंगे। परन्तु मैं उस सिद्धान्त पर स्वतन्त्र न्यायिक न्यायाधिकरण का समर्थन करता हूं जिसे कांग्रेस ने ५० वर्ष पूर्व किया था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक किया जाए।

विधि के उपयुक्त प्रवर्तन के लिए और यह देखने के लिए कि एक कर दाता कर से न बच सके, बोर्ड है। इस सम्बन्ध में किसी के प्रति कोई उदारता नहीं होनी चाहिये। परन्तु जनतन्त्रवाद के प्रेमी यह मांग करते हैं कि प्रत्येक के साथ समान न्याय किया जाए न्याय के प्रशासन में भी त्रुटियां निकाली जा सकती हैं। वह अलग बात है। देश में स्वतन्त्र और निर्पक्ष न्यायालय जनतन्त्र का सशक्त संरक्षक है। इस लिये स्वतन्त्र न्यायाधिकरण के स्थापन में आपत्ति क्या है? मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस सामान्य मत को स्वीकार करेंगे।

सभापति महोदय: जिस बात पर चर्चा हो रही है वह महत्वपूर्ण विषय है। किन्तु क्योंकि इस पर कल से चर्चा हो रही है और बहुत से माननीय बोलने की इच्छा प्रगट कर रहे हैं मैं प्रार्थना करूंगा कि वे युक्तियों को दोहरायें नहीं। यह विषय महत्वपूर्ण है परन्तु सारा विधेयक महत्वपूर्ण है और हमें बहुत सी बातों पर विचार करना है। अच्छा होगा कि वे अपने ऊपर नियन्त्रण रखें।

श्री गाडगील (पूना मध्य): मैं इस विषय पर भिन्न दृष्टिकोण से सोच रहा हूं और उसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री नथवानी ने श्री भोलाभाई देसाई की वक्तृताओं की ओर निर्देश किया है वह समय भिन्न था। उस समय सारी कार्यपालिका जनता के विरुद्ध थी और हम स्थिति में कार्यपालिका के अधिकारों को कम करने के लिये इच्छक थे। हम स्वतन्त्र न्यायाधिकरण के स्थापन के लिये अनुरोध करते थे। अब राजनैतिक स्थिति बदल चुकी है, आज हमारे पास संसद है जिस के सदस्य न केवल अपने विशेष अधिकारियों का संरक्षण करते हैं वरन जनता के अधिकारों का ध्यान रखते हैं। भ्रष्टाचार के उदाहरण को तुरन्त सभा के समक्ष रखा जाता है। इस लिए हमें कार्यपालिका के विरुद्ध द्वेष भावना से नहीं चलना चाहिये। क्योंकि यह नई व्यवस्था है हमें विधेयक अनुसार कार्यपालिका को अधिकार सौंप देने चाहियें। यदि दो, तीन वर्ष पश्चात देखें कि प्रत्याशित परिणाम नहीं निकले तो जैसा कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव किया है वैसी व्यवस्था की जा सकती है। किन्तु यदि प्रारम्भ में हम न्यायिक न्यायाधिकरण बनायें, और यदि दो तीन वर्ष के अनुभव के बाद हमें उससे प्रत्याशित फल प्राप्त न हो तो उस व्यवस्था को छोड़ कर प्रस्तावित व्यवस्था को अपनाना निश्चय ही प्रतिक्रियात्मक होगा।

यह सुझाव दिया गया है कि कार्यपालिका पद्धति अथवा न्यायिक पद्धति जैसी भी कोई चीज है। यों तो इस में कोई संदेह नहीं कि इस विभेद को और भी सूक्ष्मता में लिया जा सकता है किन्तु मोटे तौर पर आजकल कार्यपालिका का न्यायपालिका के कार्यों से इतना ही सम्बन्ध है जितना न्यायिक अधिकारियों को प्रशासनीय अथवा कार्यकारी मामलों से है। अतः एव ये दोनों बातें 'विभक्त' नहीं हुई हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो संतुलित रूप

से न्याय जानने का दावा कर सकता हो और इस के साथ ही साथ समुदाय की आवश्यकतायें जान सकता हो ।

जहां तक न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का प्रश्न है, मुझे भारतीय न्यायपालिका की पद्धति के लिये--नीचे से लेकर ऊपर के स्तर तक--पूरा पूरा सम्मान है, किन्तु मैं सदन के समक्ष यह बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति विधि की व्याख्या करते हैं, और दूसरों को विधि सिखाते हैं, वे समग्र समुदाय की राजनैतिक तथा अन्य पहलुओं से सम्बद्ध मनोवृत्तियों से अछूते नहीं हैं । अमरीका के न्यायमूर्ति होल्मज़ का कहना है कि परम न्यायिक व्यक्ति भी अचेतन सामाजिक विचारावली से स्वतन्त्र नहीं रहा ।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : निरर्थक सामाजिक विचारावली ।

श्री गाडगील : इस शब्द को मैं अधिक शुद्ध समझता हूं । इसका यह अभिप्राय नहीं कि मैं किसी भी पक्ष के किसी व्यक्ति के न्यायिक संतुलन पर आरोप लगा रहा हूं । यदि हम सदन में दिये गये सुझाव को मानें तो प्रशासन-कार्य न्यायपालिका के जिम्मे होगा । इस प्रश्न से जितनी भी बातें पैदा होती हों--जैसे कि निष्कर्ष सही था या गलत, दान सद्भावपूर्ण था या नहीं, आदि--ये सभी तथ्य न्यायालय के समक्ष भेजे जाने चाहियें । यदि न सभी बातों के विषय में संदेह हो तो कार्यपालिका के अधिकार में कुछ भी नहीं रहता--क्योंकि हर कोई बात न्यायपालिका के सिपुर्द हो जाती है ।

इस में की सभी अन्तर्निहित बातों पर विचार कीजिये । जब किसी भी न्यायाधिकरण को किसी साधारण कार्यवाही से सम्बद्ध मूल्यांकन के प्रश्न पर विचार करना पड़ता है तो वह क्या किया करते हैं ? वह इस काम के लिये विशेषज्ञों को नियुक्त करते हैं, और उन की रिपोर्टों को बाद में स्वीकार कर लेते हैं । इस पक्ष में भी, यदि हम यह मान लेते हैं कि हम एक न्यायिक न्यायाधिकरण बनाते हैं, तो उसे मजबूरी में कार्यपालिका से इस चीज़ की मांग करनी पड़ेगी कि वह कुछ विशेषज्ञों के नाम बताये या संबद्ध पार्टी से ही वह कई विशेषज्ञों का सुझाव लेगी, और उन विशेषज्ञों की रिपोर्ट स्वीकार की जायेगी । प्रस्तुत विधेयक में यही योजना सुझाई गई है । प्रारम्भिक स्थिति में अथवा प्रारम्भिक स्थिति से लेकर अन्तिम स्थिति तक, का मूल्यांकन करने के लिये कई व्यक्ति अधिकृत होने चाहियें--जो यह बता दें कि क्या न्यायपालिका इस मामले का निर्णय देगी अथवा कार्यपालिका । कोई न कोई व्यक्ति प्रारम्भिक मूल्यांकन तो कर ही लेगा । मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक में बताई गई क्रियाविधि से लोगों को लाभ होगा । इस में ऐसी कोई भी बात नहीं कि नियन्त्रक की कही हुई बात को अन्तिम और निश्चयात्मक माना जाय । खण्ड ६१ के अन्तर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मूल्यांकन अथवा संपदा शुल्क की अदायगी के लिये बताई गई बातों से असंतुष्ट हो, बोर्ड के सामने जा सकता है । राजस्व बोर्ड की विशेष क्रियाविधि है मैं समझता हूं कि वकीलों को बोर्ड के समक्ष जाने की आज्ञा दी जाएगी । कई माननीय सदस्यों की नजरों में जिस बात को न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष वकालत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, उसी बात को बोर्ड के समक्ष वकालत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है । बोर्ड के समक्ष जो भी कार्यवाही होगी वह अनौपचारिक होगी, और न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष जो भी बातें कही जायेंगी, वह औपचारिक होंगी और साक्ष्य दिये जाने में भी कड़ी निगरानी होगी । यदि आप न्यायालय के समक्ष जायें तो कई बातों को औपचारिक ढंग से सिद्ध करना होगा । मान लीजिये कि न्यायाधीश के सामने कोई हत्या हो, किन्तु जब तक और कोई व्यक्ति

[श्री गाडगील]

औपचारिक रूप से उसे सिद्ध नहीं कर सकता तब तक वह न्यायाधीश कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा सकता ।

श्री सी० डी० पांडे (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली—उत्तर): जांच-पड़ताल के लिये अभियोगों का कोई भी लाभ नहीं, तो हर सभी न्यायालयों को हटा दीजिये (अन्तर्बाधा)।

श्री गाडगिल : मैं तो यही बता रहा था कि प्रशासनीय ढंग से काम चलाने वाले व्यक्ति करदाता की कठिनाइयों को भली भांति जानते हैं, क्योंकि न्यायालय में औपचारिक रूप से सिद्ध होने की अपेक्षा उन्हें ही उस विशेष कर-दाता की असली स्थिति का पता रहता है ।

श्री सर्मा : निजी साधनों से ? (अन्तर्बाधा) :

सभापति महोदय : मुख्य प्रश्न यहीं तक सीमित है कि क्या ये अपीलें बोर्ड द्वारा सुनी जायेंगी अथवा किसी ऐसे अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जिसमें न्यायाधीश तथा कई अन्य लोग हों । अधिक अच्छा होगा कि दोनों पक्ष इस बात को दूर रख कि न्यायपालिका ठीक है या न्यायिक न्यायालय ठीक हैं । मेरा यह सुझाव है कि इस प्रकार के विवाद को छोड़ा जाय ।

श्री सर्मा : मैं सम्मानपूर्वक यह पूछ सकता हूं कि क्या माननीय सदस्य काका गाडगील न्यायपालिका और कार्यपालिका को फिर से मिलाने के लिये तर्क दे रहे हैं ? (अन्तर्बाधा) ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री गाडगील : मैं न्यायिक न्यायाधिकरण की औपचारिक कार्यवाही की बोर्ड की अनौपचारिक कार्यवाही से तुलना कर रहा था । यदि औपचारिक कार्यवाही हो तो करदाता मज़े में रहता है जब कि औपचारिक कार्यवाही के कड़े बन्धनों म वह इस प्रकार स्वतन्त्र नहीं रह सकता । भ्रष्टाचार की ओर निर्देश किया गया है । चूंकि हमारे पास न्याय बांटने की बड़ी विशाल व्यवस्था है, तो क्या इस से भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है ?

एक माननीय सदस्य : इसे समाप्त किया जा चुका है ।

श्री गाडगील : भिन्न स्थितियों की व्यवस्था से तो भ्रष्टाचार का अधिक सम्बन्ध नहीं है । जब जन समूह का नैतिक स्तर गिर जाता है, तो भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है । यदि किसी विधान से जनता का नैतिक स्तर उठाया जा सकता है, और सम्पत्ति बढ़ाई जा सकती है तो वह एक दूसरी बात हो जाती ह। किन्तु यह कहना गलत है कि चूंकि भ्रष्टाचार की संभावना है, अतः व्यवस्था बदल दी जाय । मैं वास्तव में यही कहना चाहता था कि चूंकि यह एक नया विधेयक है, और इसके सिद्धान्त कई सदस्यों को स्वीकृत नहीं हैं, अतः दो एक वर्ष के लिये यह पद्धति चलाई जाये, और यदि यह अनुभव सिद्ध नहीं हो सकी तो सरकार इस को सदन से बदलवा सकती है ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : अन्य विभागों से प्राप्त अनुभव के विषय म आपका क्या विचार है ?

श्री गाडगील : आखिर मुझे भी यह बताया जाय कि यह वकालत किस के लिये की जा रही है ? (अन्तर्बाधा) । इतना तो मैं समझ सकता हूं कि प्रत्यक नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है ।

श्री ए० एम० टामस : जन साधारण के लिये ।

श्री गाडगील : जनसाधारण भी । बोर्ड के लिये जो उपबन्धित हुआ है, उससे न्याय दिलाने वाली व्यवस्था का आश्वासन मिलता है, और यदि विधि का कोई प्रश्न होगा तो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को अपील होगी ।

खण्ड ६० के अन्तर्गत भी नियन्त्रक को पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त होगा, और यदि किसी को उससे असंतोष हो या वह यह अनुभव करता हो कि उससे अधिक धन लिया गया है तो वह खण्ड ६० के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र देकर वह गलती ठीक करा सकता है।

श्री सी० डी० पांडे : अपील किस दी जायेगी ?

श्री गाडगील : नियन्त्रक को।

श्री सी० डी० पांडे : नियन्त्रक से नियन्त्रक को ?

श्री गाडगील : जिस प्रकार आप दोबारा कोई गलती करते हैं, और बाद में उसे समझ लेते हैं, उसी प्रकार नियन्त्रक भी ऐसा कर सकता है। नियन्त्रक भी एक मानव है। अतएव मैं यह प्रार्थना करता हूं कि वर्तमान स्थिति, जिस प्रकार वह विधेयक में समझाई गई है, तब तक वैसी ही रहे, जब तक अनुभव के आधार पर हमें उसको छोड़ना न पड़े।

कई माननीय सदस्य उठे—

सभापति महोदय : श्री आल्तेकर। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यहां कई माननीय सदस्य इस विवाद में भाग लेना चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, किन्तु ठीक यही होगा कि माननीय सदस्य इस बात से दूर रहें कि न्याय-पद्धति ठीक है या कार्यपालिका पद्धति और वर्तमान संशोधनों तक ही अपने भाषण सीमित रखें, ताकि अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिले।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न यह है कि बोर्ड होना चाहिये या न्यायाधिकरण ?

श्री बर्मन (पूर्वी बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : चूंकि सारे खण्ड पर विचार हो रहा है, अतः अन्य महत्वपूर्ण मामले भी हैं।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य को भी बोलने का न्योता दूंगा।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मुझे एक सुझाव देने की आज्ञा दीजिये। कार्य परामर्शदात्री समिति की उस अनुसूची के अनुसार जिसे अब सदन ने भी स्वीकार किया है, हमें खण्ड दो से २९ तक की चर्चा कल शाम तक समाप्त करनी है। और सच यह है कि न में महत्वपूर्ण खण्ड भी है....

सभापति महोदय : मैं भी पहले यही बात बता चुका हूं। मैं भी इसी बात के प्रयत्न में हूं कि दलीलों को किस प्रकार कम किया जाय ताकि समय की बचत हो। (**अन्तर्बाधा**)

श्री एस० एस० मोरे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न प्रस्तुत किया जाय।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि एक स्वतन्त्र अपीलीय न्यायाधिकरण की संस्थापना हो...

श्री एस० एस० मोरे : हम काफी चर्चा कर चुके हैं और श्री गाडगील की वकालत से यह मामला पूरा भी हो चुका है।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर मध्य) : क्या आप यही चाहते हैं कि इस जैसे विधान सम्बन्धी मामले को सदन में इस प्रकार काटा जाय। मुझे मालूम नहीं कि क्या सदन इस कार्यवाही को स्वीकार करेगा।

सभापति महोदय : इस में कोई भी उत्तेजना नहीं होनी चाहिये। मैं इस जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा को अनुचित रूप से रोक नहीं सकता। हां बन्द किये जाने के प्रस्ताव की अपेक्षा मैं सदस्यों को यह सुझाव दूंगा कि वे विशेष बातों पर आवश्यक तर्क ही दें, और संयम से काम लें ताकि अन्य बातों पर भी चर्चा चलाई जा सके।

श्री श्यामनन्दन सहाय : यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। (**अन्तर्बाधा**)

श्री आल्तेकर : संपदा शुल्क विधेयक पर की चर्चा में संपदा की अपेक्षा समय ही

[श्री आल्तेकर]

बहुत मूल्यवान वस्तु बन गई है । तर्कों को दोहराये बिना मैं यह बतलाना चाहता हूं कि श्री गाडगील की बताई हुई यह प्रस्थापना दृढ़ नहीं कि कार्यपालिका से द्वेषभावना हो सकती है। (**अन्तर्बाधा**) । प्रश्न यह है कि जनसाधारण को उचित तथा स्वीकृत रूप से न्याय प्राप्त होना चाहिये । इस बात के लिये स्वतन्त्र न्यायिक न्यायाधिकरण का होना आवश्यक है । इस का यह कारण है कि नियंत्रक बोर्ड द्वारा दिये गये आदेशों और निर्देशों पर चलेगा, और जब नियन्त्रक ने किसी प्रश्न के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई निर्णय दिया हो तो बोर्ड को भेजी गई अपील का कोई भी महत्व नहीं रहता, क्योंकि बोर्ड के पास विधेयक के उपबन्धों की कई व्याख्यायें हो सकती हैं और उस ढंग से यदि उन्होंने कई निश्चय किये भी हों तो वे परिपत्र या आदेश जारी कर सकते हैं, जिन पर नियन्त्रक को चलना होगा । तो, यदि बोर्ड ने वैसा निश्चय किया हो . . . .तो स्वयं बोर्ड को की गई अपील का क्या महत्व होगा ? प्रश्न यह है कि जब इस विधेयक के विविध खण्ड एक अधिनियम बन, तो उनकी व्याख्या किस प्रकार होगी । इस दृष्टिकोण से, यह उद्देश्य पूरा करने के लिये एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण चाहिये ।

हां, आयकर अधिनियम के व्यवस्थापन के लिये एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण है, अतः इस अधिनियम के लिये एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण का होना और भी आवश्यक है, क्योंकि यहां मनुष्य के जीवन में एक ही बार प्रश्न पैदा होगा । इसमें उच्च-न्यायालय या सर्वोच्च-न्यायालय को अपील करने का उपबन्ध भी है किन्तु यह केवल कानून के प्रश्न के ही सम्बन्ध में है । किन्तु संपदा शुल्क से सम्बन्धित विधि तथा तथ्य के बहुत से प्रश्न हैं । उदाहरणार्थ, यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि किसी संपत्ति को आत्म-अर्जित संपत्ति कहा जाय या सहांशभागी संपत्ति का एक भाग ।

एक माननीय सदस्य : वह प्रश्न उच्च-न्यायालय के पास जायेगा ।

श्री आल्तेकर : किन्तु यह उपबन्धित हुआ है कि विधि सम्बन्धी प्रश्न ही उधर चले जायेंगे । विधि तथा तथ्य के मिले-जुले कई प्रश्न हैं जिन को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता । तो, इसमें यह दलील भी दी जा सकती है ये तथ्य सम्बन्धी प्रश्न है, और नियंत्रक तथा बोर्ड इस सम्बन्ध में कोई निश्चय कर चुके हैं, और चूंकि विधि सम्बन्धी में ऐसे प्रश्न थे जिसका अन्तिम रूप से निश्चय हो चुका है, अतः सर्वोच्च-न्यायालय उनका निर्णय करने में असमर्थ होगा । तो इस विषय में एक प्रकार की आपाधापी है, अतः स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ।

एक और बात यह भी है कि निर्देश के रूप में उच्च-न्यायालय को अपील करना इतना सुकर काम नहीं जितना कि साधारण मामलों में एक नियमपूर्वक अपील करना सुकर रहता है । इसमें फासला और आर्थिक व्यय बाधा डालेंगे । अतः प्रादेशिक न्यायालय होने चाहियें, और पहली अपील न्यायाधिकरण के समक्ष दी जानी चाहिये, बोर्ड को नहीं ।

हां, यह भी बताया जा सकता है कि चूंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत मूल्य आंकने वाले नियुक्त किये जा रहे हैं, और चूंकि उन पर बोर्ड की कोई भी बाधा नहीं होगी अतः कोई भी कठिनाई नहीं होगी । किन्तु मेरा यह निवेदन है कि ये मूल्य आंकने वाले बाजार के दामों के अनुसार उपसंपदा का मूल्य आंकेंगे, और कानून की पेचीदगियों को नहीं समझेंगे, जिस से उन्हें इस बात का निश्चय करने में कठिनाई होगी कि किस संपदा पर कर लगना चाहिये और किस पर नहीं ।

अतएव, ये ऐसे मामले हैं जिन पर वे ही मनुष्य विचार कर सकते हैं जो अर्हता प्राप्त हों और सारी स्थिति को समझ सकते हों, और ऐसे ही व्यक्तियों को इस बात का निश्चय करना चाहिये कि क्या अमुक व्यक्ति पर उचित रूप से कर लगाया गया है या नहीं।

मेरे मान्य मित्र श्री गाडगील ने बताया कि इस काम के लिये नियंत्रक और बोर्ड हैं, जो बहुत ही विश्वस्त है ; इन्हीं पर विश्वास क्यों नहीं किया जाय ? इस में विश्वास की बात नहीं बल्कि उचित रूप से जांच-पड़ताल करने की सामर्थ्य का प्रश्न है। इस विधेयक के खण्ड ७ से ३५ तक में दिये गये मामले इतने पेचीदा हैं कि कोई भी साधारण व्यक्ति उन को समझ नहीं सकता--अतः उन ही व्यक्तियों को य मामले सौंपे जाने चाहिये जो विधि जानते हों। अन्यथा, कभी कभी लोग यह जान कर अपील नहीं करेंगे कि जो कुछ भी होगा वह भाग्य से होगा, और इस सम्बन्ध में प्रयत्न करना अनावश्यक है।

श्रीमान्, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारे देश में इस प्रकार का विधयक एक नई चीज़ है, अतः इसे इस प्रकार लागू किया जाना चाहिये कि लोगों को इसके औचित्य से संतोष प्राप्त हो।

एक माननीय सदस्य : यह कोई नई चीज़ नहीं।

श्री आल्तेकर : "नई चीज़" से मेरा यह अभिप्राय है कि लोग इस प्रकार का कर देने के "अभ्यस्त" नहीं हैं, क्योंकि आज तक लोग इस प्रकार का कर नहीं देते रहे। अब चूंकि इस विधेयक को संविधि-पुस्तक में रखा जायेगा, और यहां का संविधान बन जायेगा, अतः उन लोगों को इसके विषय में बोलने का मौका दिया जाना चाहिये जिन्हें यह कर देना पड़े। उन्हें न केवल इस बात का अनुभव होना चाहिये कि मात्र अपील करने का अधिकार होगा, अपितु यह भी पता चलना चाहियें कि उन की अपीलों को सुना जाएगा और समर्थ व्यक्तियों द्वारा उन पर निर्णय दिया जायेगा। अतः इस नये वातावरण में लोगों को यह विश्वास पैदा होना चाहिये कि इस में एक न्यायपूर्ण जांच हुआ करेगी।

मेरा विचार है कि स्वतन्त्र न्यायाधिकरण या बोर्ड के सामन एक ही प्रकार से एवं एक ही रूप में अपीलें जाया करेंगी। एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण के बनाये जाने से तो इस की कार्यवाही पर रोक लगेगी। सत्य तो यह है कि प्रभावित या आपत्तिग्रस्त व्यक्ति कहीं भी जाने को तैयार होगा, जहां अपील की जा सकती है। प्रश्न इतना ही है कि क्या उस अपील को ऐसे समर्थ व्यक्ति सुनेंगें जिन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो केवल करारोपण के लिये नीति बनायग या अनुदेश देंगे। इसी बात की प्रत्याभूति मिलनी चाहिये, और इसी लिये मेरा यह निवेदन है कि न्यायिक न्यायाधिकरण के लिय प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री बर्मन : अब तक एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा होती रही है। अन्तर इतना ही है कि क्या अभी और इसी समय एक न्यायिक न्यायाधिकरण बनाया जायगा, अथवा वर्तमान कार्यपालिका और राजस्व बोर्ड तक ही इस को सीमित करके इसका एक प्रयोग किया जायगा, और वर्ष दो वर्ष में यह देखा जायगा कि क्या न्यायाधिकरण का होना आवश्यक है अथवा नहीं। मैं इस के विस्तार में नहीं जाना चाहता, किन्तु अपने संशोधन क्रमसंख्या ५७० के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

जहां तक नौकरियों पर नियुक्त किये जाने का प्रश्न है, संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कई विशेषाधिकार दिये गये हैं। अब तक, जब भी

[श्री बर्मन]

हमने नौकरियों में जगह मिलने का प्रश्न उठाया, हम से यही कहा गया वह नौकरियां इस समय मौजूद हैं, और रात भर में ही इस चीज़ को पूरा नहीं किया जा सकता, तथा वेतन-वृद्धि या स्त्ररोन्नति के सम्बन्ध में यह चीज़ लागू नहीं हो सकती। ठीक है, हम सब कुछ समझते हैं। और अब सम्पदा शुल्क लगाने के सिलसिले में एक बड़े प्रतिष्ठान की आवश्यकता पड़ेगी, अतः मैं इस बात का आशी हूं और प्रशासन तथा माननीय वित्त मंत्री से यह प्रार्थना भी करता हूं कि कम से कम इस बार हमारे मामले पर न्याय-पूर्वक रूप से ग़ौर किया जाना चाहिये। खंड ४ के उपखंड (४) पर मेरा सीधा सा संशोधन है। उपखण्ड (४) में दिया गया है:

> "लोक सेवाओं और पदों पर व्यक्तियों की नौकरियों की शर्तों को नियमित करने वाले केन्द्रीय सरकार के नियमों और आदेशों के अधीन नियंत्रक इस प्रकार की कार्यपालिका या कार्यालय का काम करने वालों की नियुक्ति करे जो उसे अपने कार्यों को पूरा करने में सहायता देते रहें।"

पहले मैं यही सोचा करता था कि इस प्रकार के उपबन्ध की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अन्य अधिनियमों में भी——भारतीय आयकर अधिनियम में भी——मेरा विचार है कि इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है। मैं चाहता हूं कि कार्यकारी पदाधिकारियों तथा कार्यालय में काम करने वाले पदाधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा हो, ताकि हम सीधे सरकार से ही आपत्ति कर सकें। कदाचित् उनका यह विचार है कि इस अधिनियम के अधीन काम करने के लिये इस प्रकार के अपाधिकार नियंत्रक को ही दिये जाने चाहियें। मेरा तो इतना ही संशोधन है: "the conditions" ["शर्तों"] शब्द से पहले "the appointment and" ["नियुक्ति तथा"] शब्द निविष्ट किये जायें। इसका यह अभिप्राय होगा कि यद्यपि नियंत्रक कार्यपालिका तथा कार्यकारी सदस्यों की नियुक्तियां करेगा, इसका सर्वोपरि नियमन केन्द्रीय सरकार या राजस्व बोर्ड के हाथ में होगा। इस अधिनियम द्वारा, प्रत्येक नियंत्रक को कार्यपालिका तथा कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार है। मेरा विचार है कि प्रत्येक नियंत्रक के लिये बहुत कम कार्यकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता होगी। लोगों की संप्रदायवार नियुक्ति के लिये सरकार द्वारा बनाये गये नियम लागू नहीं होंगे, और यदि होंगे भी तो सीमित रूप से होंगे, यदि प्रत्येक नियंत्रक पर ही नियुक्ति का यह काम छोड़ दिया जाय। किन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार ही इन नियुक्तियों को नियमबद्ध करे तो इस विभाग में, भारत भर में की जाने वाली नियुक्तियां बहुत उचित ढंग से की जा सकेंगी।

इन नियमों और आदेशों को बनाने तथा जारी करने के जो भी अधिकार केन्द्रीय सरकार अपने आप में रखना चाहती है मैं उन से सहमत हूं। मैं यह चाहता हूं कि सेवाओं की शर्तों को नियमित रूप देने के अधिकारों के अतिरिक्त सर्वोपरि नियुक्तियों के अधिकार तथा दायित्व भी केन्द्रीय सरकार को ही प्राप्त हों। मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार करने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि अन्यथा सम्प्रदायवार अनुपात की नियुक्ति में कठिनाइयां पैदा होंगी। मैं यह भी आशा करता हूं कि सरकार हमें संविधान द्वारा दिये गये विशेषाधिकारों को दिलायेगी।

श्री सी० डी० पांडे : मैं इस समय इसीलिये नहीं बोलना चाहता था। मैं तो खण्ड

६१ के प्रस्तुत होने के समय ही अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता था। किन्तु श्री गाडगील का भाषण सुनने के बाद मुझे कुछ कहना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह तथाकथित स्वामित्व सम्पन्न लोगों के लिये बहुत ही कटु है।

एक माननीय सदस्य : श्री गाडगील इस समय यहां नहीं हैं।

श्री सी० डी० पांडे : वह सदा व्यंग्य में कहा करते हैं कि इस विधेयक से कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, किस के लिये वकालत की जा रही है आदि। मैं कहता हूं कि इस देश में आठ लाख करदाता हैं। क्या उनके विचार में ये सभी करदाता ताता और डालमिया जैसे हैं कि उन से घृणा और शत्रुता की जाये। मेरा तो यह विचार है कि इन आठ लाख लोगों में से शायद ही एक हज़ार ऐसे व्यक्ति होंगे जिन से शत्रुता या घृणा की जा सकती है और शेष के साथ नहीं।

श्री टी० एन० सिंह ने मुझ से उन व्यक्तियों के नाम मांगे थे जिन्हें परेशान किया गया। मेरा कहना है कि निर्धन व्यक्तियों को धनिकों की अपेक्षा बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। धनी तो न्यायालयों में जाकर काम करा सकते हैं किन्तु निर्धन कोई भी उपचार नहीं कर सकते। हमारे नैनीताल में छोटे छोटे व्यापारियों को आयकर देना पड़ता है, यद्यपि वे सब निर्धन हैं। हमारे यहां एक मिठाई वाले को इसलिये ३०० रुपये का आयकर देने के लिये मजबूर किया गया, क्योंकि बिक्री कर वालों ने उस पर ६०० रुपये का कर लगाया था। आप को आयकर पदाधिकारी के अधिकारों का ज्ञान होना चाहिये। किसी भी राज्य के मुख्य मंत्री को इतना अधिकार नहीं होता जितना आयकर पदाधिकारी को होता है। तो, यदि आप उनकी इस ज्यादती और आपाधापी को नहीं रोक सकते, तो लोगों को कैसे बचाया जा सकता है ? भले ही लोग न्यायाधिकरण के समक्ष जाना पसन्द न करें, किन्तु ऐसा कोई अधिकारी होना चाहिए जो कार्यकारी पदाधिकारियों की स्वेच्छा चारिता पर अंकुश का काम देगा।

कई लोगों का कहना है कि लोग आयकर देने से क्यों डरें। मुझ मालूम है कि एक बार किसी व्यक्ति ने आयकर पदाधिकारी से झगड़ा किया, और उसका बदला चुकाने के रूप में उस आयकर पदाधिकारी ने उस व्यक्ति पर पन्द्रह गुना आयकर डाल दिया और उसे यह धमकी दी गई कि यदि वह आयकर की सारी रकम तुरन्त ही जमा न कराये तो उसकी सम्पत्ति का नीलाम किया जायेगा। उसने उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और वहां यह निर्णय दिया गया कि इस व्यक्ति के साथ सचमुच ज्यादती की गई है, और इसमें कोई भी तुक नहीं कि इतनी मोटी रक़म आयकर में ली जाय। तो प्रश्न यह है कि इस प्रकार की ज़बरदस्ती रोकने के लिये सरकार क्या क़दम उठाने जा रही है।

विधि मंत्री ने हमे काफ़ी बातें बताईं कि किस प्रकार अपीलें सिद्ध हुई हैं। मैं भी अपील के सम्बन्ध में जानता हूं। मान लीजिये कि किसी व्यक्ति को ६०० रुपये का आयकर देना है; आयकर पदाधिकारी उसका दाम ९०० रुपये निर्धारित करेगा ताकि उस व्यक्ति को अपील करने का उत्साह न रहे। अब बताइये कि क्या ऐसी बात हो सकती है ? जहां कहीं भी उचित से अधिक निर्धारण हुआ हो, वहां निर्धार्य उस मामले को वहीं पर छोड़ देगा, और अपील नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिये आपने क्या सोच रखा है ? मैं जानता हूं कि निर्धन लोगों को कितनी कठिनाइयां आती हैं। ये सभी आठ लाख व्यक्ति धनवान

[श्री सी० डी० पांडे]

नहीं हैं। हो सकता है कि अमुक व्यक्ति आयकर दे—किन्तु यह आवश्यक नहीं कि मृत्यु शुल्क देना उसके लिये अनिवार्य है। देखा जाय तो भारत में लगभग दस लाख कर-निर्धार्य व्यक्ति हैं। अब मान लीजिये कि अमुक व्यक्ति के पास कलकत्ता में एक मकान है जिसका मूल्य एक लाख रुपये है। इस मकान से उसे दो हज़ार रुपये वार्षिक किराया मिलता है। मान लीजिये कि यह व्यक्ति मर जाता है तो इसकी विधवा जिसके लिये आय का और कोई साधन नहीं है, इसी किराये की आस लगाये बैठती है। अब इस विधवा से १ लाख रुपये के इस मकान पर संपदा शुल्क देने को कहा जाता है। भला बताइये कि जिस विधवा को बड़ी कठिनाई से १५० रुपये प्रति मास मिलता हो वह किस प्रकार एक साथ २,५०० रुपये का सम्पदा शुल्क देगी। यदि उसका मकान बेचा भी जाय तो उससे केवल ५०,००० रुपये मिलेंगे। ऐसे मामलों के विषय में आपने क्या सोच रखा है। आप को यह भी देखना है कि निर्धारण करने वाले पदाधिकारी उस सम्पदा का अधिक दाम न लगाये।

मेरा तो यह विश्वास है कि इस तरह के आचरण से निर्धन व्यक्तियों को अधिक परेशान होना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : श्री गाडगील आये हैं।

श्री सी० डी० पांडे : श्री गाडगील की जानकारी के लिये मैं पुनः बताना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों की संख्या केवल आठ लाख होगी जिन से वे घृणा करते हों। मैं उन से यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि शायद ही उतने व्यक्तियों में से एक हज़ार व्यक्ति ऐसे होंगे जो धनी होंगे, शेष आठ लाख निन्यानवे हज़ार व्यक्ति उन ही के समान हैं। श्री गाडगील का कहना है कि हमारे देश में ९९ प्रतिशत भिखारी हैं। क्या उनकी यही इच्छा है कि हर एक देशवासी भिखारी बने।

श्री गाडगील : न्यायाधिकरण इस बात पर विचार करेगा।

श्री सी० डी० पांडे : मैं कहना चाहता था कि यदि ९९ प्रतिशत भिखारी हैं, तो क्या हम सभी उसी स्तर पर उतरें या उन लोगों का स्तर ऊंचा करें? हमारा ध्येय क्या है? हम कितना धन सम्भाल सकेंगे?

भले ही हम धनिकों का विरोध करते हों, किन्तु मेरी धारणा यह है कि एक सौम्य स्तर या प्रमाप होना चाहिये। अभिप्राय यह कहने का है कि इतनी आय हो जिसमें दो जून खाना, दवाई-दारू, उचित शिक्षा, अच्छे कपड़े और अच्छा मकान मिल पाने की व्यवस्था हो सके। हमारा ध्येय यही है कि इतनी सारी सुविधायें सभी को मिलनी चाहियें।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरी दक्षिण) : क्या यह बातें प्रस्तुत विषय से संगत हैं?

श्री सी० डी० पांडे : जी हां। बिल्कुल संगत।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य सभी माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे हैं? वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री सी० डी० पांडे : श्री गाडगील निर्धनों के प्रतिनिधि, और संसद् के सदस्य हैं। एक बार उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा था: मैं १,२०० रुपये मासिक से कम में यहां दिल्ली में गुज़ारा नहीं चला सकता। यदि वह इतने में भी गुज़ारा नहीं कर सकते, तो वह अपने बच्चों के लिये क्या छोड़ देंगे जिससे वे उन के

बाद सुविधापूर्वक जीवन बिता सकें। तो इस तरह मुझे इस बात का विश्वास होता जा रहा ह कि मध्य वर्ग के लोगों को धनवान व्यक्तियों से भी अधिक परेशानी होगी।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : मैं चाहता था कि अंग्रेज़ी में कुछ कहूं क्योंकि जो इस मसले पर ज्यादातर राय ज़ाहिर की गयी है वह अंग्रेज़ी में की गयी है लेकिन मैं मज़बूर हूं कि शायद मैं अपने ख्यालात को साफ तौर से न रख सकूं, इसलिए मैं आपके ज़रिये से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं उन साहिबान से कि वह ज़रा गौर से मुझे सुनने की कोशिश करें।

इस वक्त यहां पर जो हाल मैं देख रहा हूं उससे यकीनन मेरे जैसे लोग जैसे मेरे दोस्त टी० एन० सिंह साहब की या काका साहब की हालत है उससे समझते हैं कि मैं जो कुछ कहने वाला हूं उसको कितनी नापसन्दीदगी के साथ सुना जायगा। लेकिन मैं आपके ज़रिये से मेम्बरान हाउस से यह दरखास्त करना चाहता हूं कि अपीलेट ट्राइबुनल अगर हमारे दर्द का कोई इलाज हो सकता होता तो यकीनन मैं भी उसका समर्थन करता। अगर अपीलेट ट्राइबुनल के मुकर्रर कर देने से मेरे भाई पांडे साहब ने या दूसरे साहिबान ने जो दिक्कतें ज़ाहिर की हैं, जो मज़ालिम गिनाये हैं उनका सद्दे-बाब हो सकता है, उनको हटाया जा सकता तो मैं भी उसका समर्थन करता। अपीलेट ट्राइबुनल को कायम करने के लिये जो दलीलें दी गयी हैं उनमें सबसे ज्यादा दलील एक ही चीज़ पर है कि ऐग्ज़ीक्यूटिव लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। पिछले ज़माने के जो तजरबे मुझे हुए हैं और यहां भी जो किस्से बयान किये गये हैं उनकी एक दूसरी तस्वीर भी है। मुझे यह भी मालूम है कि बहुत से अफसरान ने अगर किसी किस्म की कानून की खिलाफवर्जी की है तो उस वक्त भी कुछ पार्टीज़ खामोश रहीं हैं क्योंकि उनका मकसद हासिल हो गया। इसलिए मैं तो हमसूस करता हूं कि आज, जब कि एक टैक्स-पेयर्स की कम्युनिटी की तरफ से एग्जीक्यूटव के ऊपर इतने चार्जेज़ लगाये जा रहे हैं हमारे ऐग्ज़ीक्यूटिव वाले कुछ ज्यादा इमानदारी से काम कर रहे हैं, रिश्वत नहीं लेते हैं और उनकी टैक्स इवेज़न में मदद नहीं करते हैं। यह भी उससे एक नतीजा निकलता है। मिसाल के तौर पर मैं दो एक मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे रियासत भोपाल के एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा तजुरबा है। मैंने महसूस किया है कि जिस वक्त गल्ले की पाबन्दी लगाई गई कि रियासत की हदों से गल्ला बाहर न जायगा उस वक्त गल्ले के स्टोर्स और गल्ले के होर्डर्स ने उन बेचारे नाकेदारों को जो कि दस दस और बीस बीस रुपये के नौकर थे पहले तो सौ रुपये का पत्ता बतलाया और उसके बाद भी जब उन्होंने न माना तो, मेरे पास रिपोर्ट आई और मैंने उस मामले की तहकीकात की है, उस नाकेदार को दरख्त से बांध कर अपनी गाड़ियों को बाहर निकाल दिया। इस क़िस्म के भी मज़ालिम किये जाते हैं। दूसरे अभी ३ अगस्त सन् १९५३ की बात है। बम्बई के हवाई अड्डे पर कुछ बिजनैसमैन जो हवाई जहाज़ से उतरे तो अथारिटीज़ ने उनसे कहा कि आप डिकलेअर कीजिये कि आपके पास क्या क्या सामान है। उन्होंने डिकलेरेशन दिया। उसके बाद उनके सामान की तलाशी ली गयी तो मेरे सामान की भी तलाशी ली गयी। तो वह लोग मुझ से पूछने लगे कि आप तो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं आपके भी सामान की तलाशी क्यों ली गयी। मैंने उन से कहा कि आज हमारी ऐग्जीक्यूटिव अथारिटी कोई डस्क्रिमिनेशन नहीं करती है और ईमानदारी

[पंडित सी० एन० मालवीय]

से काम करना चाहती है। तलाशी के दौरान में जब उन लोगों के सन्दूकों से कुछ ज्वेल्स निकले तो उन्होंने निहायत गुस्सा होकर उस आफिसर से कहा "डू यू वान्ट दैम ?" (क्या तुम इन्हें चाहते हो ?) उसने जवाब दिया कि मैं बगैर टैक्स लिए आपको जाने दूं यह कसे हो सकता है। मैं यह सारी मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि सारी दलीलों की बुनियाद इसी बात पर रखी गयी है कि हमारी एग्जीक्यूटिव ईमानदारी से काम नहीं कर रही है और जूडीशियल में जाने से हम उस काम को ज्यादा ईमानदारी से करा सकते हैं। मैं यह मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि तस्वीर के दोनों पहलू आपके सामने आ जायं।

कई साल पहले हम ने इस हाउस में प्रिवटिव डिटशन ऐक्ट पास किया उस समय हमने इस उसूल को माना था कि अगर मौजूदा राज्य कानून के ज़रिये से हम किसी अनशोशल एलीमेंट को नहीं दबा सकते हैं तो हमको उसके लिए कोई खास कानून बनाने की ज़रूरत है। आज भी एसे अनसोशल एलीमेंट हैं जो कि टैक्स को इवेड करना चाहते हैं, जो कि डबल डबल एकाउंट रखते हैं और रिश्वतें देकर अपने माल को छिपाना चाहते हैं और रियासत की चोरी करना चाहते हैं। मैं यकीनन एसे बुरे आदमियों के साथ नहीं हूं और न मैं उनकी वकालत कर रहा हूं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी हमको अपने सामने रखना चाहिये। जब हम एग्ज़ीक्यूटिव अथारिटी को बुरा कह रहे हैं और हाईकोर्ट की शरण लेना चाहते हैं और ट्राइबुनल की शरण लेना चाहते हैं, तो क्या हमारा मक़सद उससे इंसाफ पाना है या कि हमारा मतलब यह है कि हम टैक्स इवेडर्स के लिए चोर दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। मेरा यकीनन यह दावा है कि हम चोर दरवाज़ा खोलना चाहते हैं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या हम ट्राइबुनल से चोर दरवाज़ा खोल रहे हैं ?

पंडित सी० एन० मालवीय : यकीनन ट्राइबुनल के ज़रिये से चोर दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा है कि जमींदारी एबालीशन ऐक्ट को किस तरह से मुक़दमेबाज़ी के चक्कर में डाल दिया गया था और उसके लिये हमको मजबूर होकर अपने कांस्टीट्यूशन में तबदीली करनी पड़ी थी। और अगर उसी तरह से हमारे दूसरे भाई उसी क़िस्म के रखने अटकायेंग तो यकीनन हमको उनके लिए फिर अपने कांस्टीट्यूशन में तबदीली करनी होगी और जिस तरह से कि दूसरे मुल्कों में प्रापर्टी ले ली गयी उसी तरह से करना होगा। यह तो एक बहुत आहिस्ता आहिस्ता क़दम उठाया जा रहा है। तो मेरे अर्ज़ करने का मक़सद यह है कि यह जो ट्राइबुनल होगा यह एक चोर दरवाजा खोल दिया जायगा जिसके ज़रिये से टैक्स इवेडर ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारा अपना तजुरबा है इनकम टैक्स ऐक्ट का। उसमें जो एक इनवेस्टीगेटिंग कमीशन था उससे भी हमको यह सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से टैक्स को दबाया जाता है। ठीक है। यह हमारी गवर्नमेंट का एक निहायत ही अच्छा और नेक क़दम था कि उसने ऐसे लोगों को परेशान नहीं किया। वरना होना तो यह चाहिए था कि जिन्होंने वालंटरीली डिकलेयर किया था चूंकि उनकी भी नेकनीयती नहीं थी उन पर बदनीयती का मुकद्दमा चलाना चाहिए था और उनको सख्त सजायें देना चाहिए था क्योंकि उन्होंने यकीनन आमदनी को छिपा रखा था। हमने यह नहीं किया लेकिन यह तजरबा भी हमारे सामने

रहना चाहिए। हमन प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट म यह माना है कि अगर खास हालात में ज़रूरत हो तो हमको ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से हम असल मक़सद को हासिल कर सकें। चुनांचे इस मामले में आप के टैक्स पेयर्स में ऐसे लोग हैं और काफी तादाद में हैं। मैं तो यह कहूंगा कि यह जो माया है इस माया के साथ ही करप्शन आ जाता है। तो यह जो माया वाले है उन सब के पास करप्शन आ ही जाती है। तो उस माया से तो छुटकारा दिलाया जा रहा है। तो इसलिए उस अनसोशल एलीमेंट को दबान के लिए जो कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर हर तरह से अपना प्रैशर लाना चाहता है, इस वक्त ज़रूरत है कि एग्जीक्यूटिव को ही इस बात का पूरा अख्तियार दिया जाय कि वह इस क़िस्म के लोगों को सही तौर से तहक़ीक़ात कर और सही तौर से तहकीकात वही कर सकते ह। जब आप जूडीशल अदालत में जाते है तो वह तो महज उन्हीं वाकयात पर फैसला करगे जो वाकयात वहां पर पूरे तौर से साबित किय जा चुके हैं और वाकयात को साबित करने के लिए क्या क्या तरीके अख्तियार किय जाते हैं। यह हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं।

इसलिये मैं कम से कम इस ट्रिब्यूनल के मुक़र्रर करने के प्रपोज़ल की मुखालिफ़त करता हूं। यह म मानता हूं कि गवर्नमेंट ने जिस वक्त यह क़ानून बनाया तो उस में इस बात का प्रावीजन रखा था कि बेइंसाफी न हो। हमारे एक भाई ने यह कहा कि इंसाफ करना चाहिये और इंसाफ होना चाहिये और खुद जो आदमी किसी बात का दावा करना चाहे तो उस को ही उसका फैसला नहीं करना चाहिये। लेकिन मैं आप को यह भी बतलाता हूं कि इंसाफ का मतलब यह भी है कि जो इंसाफ चाहता है उस को खुद भी मुंसिफ होना चाहिये, उसको खुद भी इंसाफ करना चाहिये। मैं यक़ीन से दावा रखता हूं कि अगर हमारे टैक्स पेयर्स निहायत ईमानदारी से काम लेंगे तो उन को इंसाफ मिलेगा, इस में कोई शक नहीं है।

फिर हमारे एक साहब ने कामन मैन की बात कही है कि काका गाडगील साहब तो कामन मैन की बात कहते थे यह बचारे जिन के पास ५० हजार से कम की जायदाद नहीं होगी, यह कामन मैन उन की नज़र में आते मालूम होते हैं, वह कामन मैन नहीं हैं। कामन मैन वे हैं जो आज लाखों की तादाद में बेरोज़गार हैं, जिनका न कोई आगे देखने वाला है और न कोई पीछे देखने वाला है। उन की तालीम, उन की तरबियत, उन के इलाज, और उनकी रोज़ी के लिये अगर गवर्नमेंट ऐसी किसी आमदनियों पर हाथ डालना चाहती है तो यह किस तरह से आ कर उस में बाधा डालते हैं, और किस तरह से कहते हैं कि इन कामन मैन की जो विडोज़ हैं, वे बद-दुआएं देंगी। मैं कहता हूं कि उन की जो बद-दुआयें हैं वे उन के मुक़ाबले में नाकाफ़ी हैं, जिनकी दुआयें लाखों और करोड़ों की तादाद में होंगी, जिनका देखने वाला कोई नहीं है।

तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब इस में किसी तरह से कमज़ोरी न दिखलायें। यक़ीनन जो कुछ उन्होंने क़ानून में रखा है उस में इंसाफ़ को भी जगह है। क़ानून के प्वाइंट पर बहस हो सकती है, जिसके लिये कोर्ट में स्थान है। लेकिन जहां तक टैक्स इवेडर का ताल्लुक़ है, उसके लिये कंट्रोल रखा गया है। मेरी राय में तो यह कम रखा गया है, और इससे ज्यादा रखना चाहिये। लेकिन खैर जो कुछ रखा गया है वह तो रहना ही चाहिये।

सांसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "अब प्रश्न प्रस्तुत किया जाय"।

श्री एस० वी० रामस्वामी : इससे पहले मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि इस खण्ड पर निर्णय दिया जाय तो खण्ड ६१ के संशोधनों का क्या होगा ?

सभापति महोदय : खण्ड ६१ तो बिल्कुल अलग है। सदन के समक्ष क्रमसंख्या ३०४, ३०५, ९, १०, ११ और १२ संशोधन हैं। माननीय वित्त मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : यदि मैं अपेक्षाकृत कम विवादास्पद संशोधनों से ही पहले शुरू करूं तो अच्छा रहेगा। उन में से एक संशोधन क्रम संख्या ५७० है जो श्री बर्मन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मेरा विचार है कि उस में सेवा की शर्तों का नियमन करने वाले जो शब्द हैं, उन में नियुक्तियों का नियमन भी शामिल है। इसी खंड में "सेवा की शर्तों" का निर्देश होने के बाद "नियुक्ति" शब्द भी आया है। यह तो साधारण सा विधिसूत्र है और मैं उन्हें इस बात का आश्वासन दिला सकता हूं कि "सेवा की शर्तें" उन नियुक्तियों पर भी उसी प्रकार लागू होती हैं जिस प्रकार अन्य सेवा की शर्तों पर।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े हुये वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के सम्बन्ध में उन्होंने जो दूसरी और अधिक महत्वपूर्ण बात कही है, उसके लिये सरकार की ओर से यही प्रयत्न हो रहा है कि इस प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अतः एक, यदि मैं यह कहूं कि इस समय सरकार कम से कम इस बात की ओर विशेष ध्यान देगी, तो मुझ पर शायद इस बात का आरोप लगाया जायेगा कि अभी तक उस विषय में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी मैं उन्हें इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि उस समय इस मामले पर मैं विशेष ध्यान दूंगा जबकि वास्तव में नियुक्तियां की जायेंगी।

अन्य संशोधन क्रमसंख्या ४७३ और ४७४ जिनके सम्बन्ध में कहा गया है कि वे अपेक्षाकृत कम हैं, और जो श्री मोरे द्वारा प्रस्तुत हुए हैं.....

श्री गाडगील : अकस्मात् ही ऐसा हुआ है, ये पहले से सोच विचार के नहीं रखे गये थे।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा ऐसा विचार नहीं है कि केवल इस अभिप्राय से जिसे माननीय सदस्य ने बताया है इस प्रकार की अदला-बदली करना आवश्यक नहीं है। किन्तु मैं पहले यह योजना आप के विचार के लिये प्रस्तुत करूंगा, जो हमारे मन में है। हमारी प्रस्तुत योजना के अनुसार वे नियंत्रक आयकर नियुक्त होंगे, उप-नियंत्रक सहायक आयुक्त होंगे और सहायक नियंत्रक आयकर पदाधिकारी होंगे। इसके बाद, इस काम का विभाजन करने या उन व्यक्तियों को अधिकार देने के लिये कोई विशेष आर्थिक सीमा भी होगी। डेढ़ लाख के लिये आयकर पदाधिकारी—श्रेणी तीन, दस लाख तक के लिये उपनियंत्रक, और शेष राशि के लिये और ऊंचे पदाधिकारी। अतएव कर-निर्धारण का अधिकार सम्पदा के मूल्य पर निर्भर करेगा, और नियमों के अनुसार इन्हें प्राप्त किया जायगा।

तो, नियन्त्रण वर्गीकरण तथा अपील करने के नियमों के अनुसार कई सशक्त पदाधिकारी अनुशासनीय कार्यवाही करेंग, और पदच्युत करन या काम से निकालने की सज़ा नियुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा ही दी जा सकती ह। श्री मोरे का संशोधन स्वीकार करने का यह परिणाम होगा कि मन्त्रालयों के कर्मचारी वर्ग तथा अधीनस्थ

कार्यकारी कर्मचारीवर्ग के विरुद्ध अनुशासनीय मामले वे चाहे कितने ही मामूली हों, बोर्ड के पास जाया करेंगे, और उन पर जो भी अपीलें होंगी वह केन्द्रीय सरकार के पास जाया करेंगी । प्रशासन-व्यवस्था की दष्टि से हम इसे असम्भव समझते हैं और यही कारण ह कि हम ने केन्द्रीय सरकार के नियमों और आदेशों के अनुसार ही नियन्त्रक को नियक्ति का अधिकार दिया है । और ऐसी स्थिति में हमें इस बात का कोई भी डर नहीं कि ये नियंत्रक जिनकी पद प्रतिष्ठा आयुक्तों जैसी होगी, अपने अपने इलाकों में किसी न किसी रूप में स्वेच्छाचारी बनेंगे । मैं सदन को इस बात का स्मरण करा दूं कि इसी प्रकार के उपबन्ध आयकर अधिनियम की धारा ३ ए में भी हैं, और भली-भांति हमारा अभिप्राय पूरा करते हैं । इसी लिये, जिस बात, के लिये माननीय सदस्य ने सिफारिश की है उस में मझे परिवर्तन करने की कोई भी आवश्यकता दिखाई नहीं देती । और यही कारण है कि मुझे संशोधन क्रमसंख्या ५७०, ४७३ और ४७४ का विरोध करना पड़ता है ।

श्रीमान् कल और आज जितने भी भाषण हुये हैं, उन में मुझ से प्रार्थना और याचना की गई है । मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मैं किसी विशेष हद तक हर किसी विषय के सम्बन्ध में उदार रहता हूं । मैं बहुत ही सावधानी से विवाद को सुनता रहा हूं । और, अन्ततः मैं तभी अपनी राय बदल सकता हूं जब मझे किसी बात का आश्वासन प्राप्त हो । तो, किसी बात के विषय में कोई निश्चय करते समय और किसी बात के विचार से मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता । बार बार यह भी बतलाया जा चुका है कि माननीय मंत्री इस या उस प्रकार का काम करने के समर्थ या असमर्थ होंगे जहां तक मैंने इस बात का साक्ष्य दिया है, मेरा विश्वास है कि इस विधान को चलाने में मझे जहां कहीं भी किसी बात का आश्वासन मिला, वहां मैंने इस बात पर विचार नहीं किया कि संशोधन किस का था । मैंने वस्तुतः इस बात पर ध्यान दिया है कि संशोधन में कौनसी बात रखी गई है और इस विषय में मुझे दुर्भाग्यवश, बहुत से बोलने वालों से—यद्यपि सदन में बहुमत नहीं रखते—विमत होना पड़ता है । प्रवर समिति में भी मेरी यह कठिनाई थी किन्तु वहां (प्रवर समिति में) मैं बहुत से लोगों को आश्वासन दे सका था । चुनाचि अब भी मैं विश्वास करता हूं कि मैं यहां सदन में बहुत से सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाऊंगा और मना सकूंगा । अतएव मूल्यांकन करने वालों की मंडली की स्थापना करने अथवा अपील न्यायाधिकरणों की स्थापना करने के लिये जितने भी संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं मैं उनका विरोध करता हूं ।

इन संशोधनों के पक्ष में बोलने वाले माननीय सदस्यों की गहराई तक मैं पहुंच गया हूं । किसी भी माननीय सदस्य के प्रति मेरी कोई बुरी भावना नहीं है और न उन लोगों की मेरे प्रति होगी ऐसा मेरा विश्वास है । जो कुछ आजकल हम सुन रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि तार्किक्ता एवं व्यवहारिक अनुभव में आपस में द्वंद्व चल रहा है; जहां तक व्यवहारिक अनुभव की बात है वह हम नहीं रखते किन्तु कुछ देशों में जिनके यहां यह विधान लागू हैं उन्हें इसका व्यवहारिक अनुभव है । अब मैं समझता हूं कि विधान के प्रति यह सम्मान सभी सभ्यता तथा सभी प्रकार की सरकारों का आधार है । किन्तु जब एक विधान को उसी के लिए किसी चीज़ पर समुन्नत करने का भय है तो उसकी प्रयोज्यता पर विचार कर लेना चाहिए । मेरे मस्तिष्क में श्री सर्मा के भाषण के आधार पर एक उदाहरण आया है किन्तु मुझे दुख है कि वह यहां उपस्थित नहीं हैं । उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका

[श्री सी० डी० देशमुख]

से अलग करने के प्रश्न का यह केवल पहिला ही रूप है। जहां तक मेरा दृष्टिकोण है मैं समझता हूं कि साधारण मामले तथा इस वर्तमान मामलों में कोई सम्बन्ध नहीं है। (**एक माननीय सदस्य** : क्यों ?) साधारण सी बात है जहां तक विधान का सम्बन्ध है अपीलों के लिए उच्च न्यायालय हैं। (**श्री एस० एस० मोरे** : वैधानिक प्रश्न) न्याय-पालिका तथा कार्यपालिका का प्रश्न तो वहां उठता है जहां कि विधि का संकलन किया जाता है और तभी विधि के प्रयोग का प्रश्न उठता है। यह सिद्धान्त राजस्व विधानों के साथ सम्भव रूप से लागू नहीं हो सकता। यदि कोई यह कहे कि संसद् पहले विधान बना दे और उनके प्रशासन का कार्य न्यायपालिका पर छोड़ दे तो आप राजस्व प्रशासन के मूल पर आघात करेंगे। तब शुल्क सम्बन्धी विधान सम्भव नहीं होंगे। कोई भी आयकर विधान सम्भव नहीं होगा। और वास्तव में प्रारम्भिक अवस्थाओं में ही हम को विधान की शरण लेनी होगी। यह एक प्रकार से साधारण सा वक्तव्य है जो कि मैं देना चाहता था। मैं सर्वसाधारण के विचारों में प्रवेश करना नहीं चाहता। किन्तु मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब कभी सामाजिक सुधार की बात आती है तो हमारी वैधानिक व्यवस्था का समवायी पेचीलापन तथा देरी व्यक्ति के रास्ते में आती हैं। यह एक बहुत ही साधारण विचार है और मैं समझता हूं कि यह विचार उन सभी माननीय सदस्यों को अपील करेगा जो कि प्रगतिवादी होने का दावा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि मेरी अपेक्षा विधान को सम्मान देने वाला कोई दूसरा नहीं है। यदि देश सामाजिक प्रगति में बढ़ना चाहता है, सामाजिक और आर्थिक प्रगति करना चाहता है तो विदेशी सत्ता की उन सभी बातों को अपनाकर तथा शान्तिमय सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति, जिसकी रूप रेखा हम अपने मस्तिष्क में बनाये बैठे हैं द्वारा नहीं कर सकते। यह एक साधारण विचार है।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ—दक्षिण) : आपके कहने का तात्पर्य यह है कि देश अवैधानिक रूप से प्रगति करे।

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो उसका जो कि मैं कहना चाहता था, हास्यजनक रूप है। अपील न्यायाधिकरण के विषय में मैं पिछले भाषणों में भी बहुत कुछ विस्तृत रूप से कह चुका हूं किन्तु अब जब विशेष रूप से उनका ज़िकर आया है तो उनके सम्बन्ध में विचार प्रकट करूंगा।

पहली बात तो यह है कि सम्पदा शुल्क में, वैधानिक तथा मूल्यांकन समस्यायें निहित हैं। और संसद् के सभी सदस्यों ने इसे मान लिया है। माननीय सदस्यों के तर्क में यदि कोई यथार्थता थी तो इन सिद्धान्तों की संसार में व्यापकता देखनी होगी। अर्थात् आज हम जिन बातों को मान्यता देने जा रहे हैं वे बातें उन देशों को भी अपील करें जिनके यहां बहुत दिनों से सम्पदा शुल्क विधान कार्यान्वित हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि ४५ देशों में इस प्रकार का विधान आजकल प्रचलित है। इनमें बहुत से देशों में और विशेष रूप से राष्ट्रमंडल के साथी जैसे इंग्लैंड श्रीलंका, पाकिस्तान में आप देखेंगे कि मंडल द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाता है और विधान के अनुसार इसकी अपील उच्च न्यायालय को जाती है। हमारे यहां केवल एक ही अन्तर है कि प्रारम्भ में शुल्क मंडल द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता और वह भी इस कारण से कि हमारे देश का आकार ऐसा है।

दूसरी बात जिसका मैंने ज़िकर किया है वह यह है कि देश का वृहद् आकार होने के कारण कुछ हद तक शुल्क निर्धारण का विकेन्द्री-

करण करना होता है । इंग्लैण्ड में अन्तर राजस्व के लिए जो कुछ अच्छा है वह हमारे लिए अच्छा नहीं है । यही कारण है कि हमने इस अधिकार का निम्नस्त अधिकारियों में विघटन कर दिया है । यद्यपि मैं याद दिलाता हूं कि सन् १९४६ में विधान ने सभी मामलों में शुल्क निर्धारण करने के अधिकार मंडल को दे दिये थे ।

तीसरी बात यह है कि प्रारम्भिक स्थिति में निम्नस्त अधिकारियों को लगातार परामर्श एवं सुझावों की आवश्यकता होगी । आयोग की भूलें तथा निर्धार्यों के पक्ष एवं विपक्ष में की गई भूलों को ठीक करना होगा । हम ऐसा महसूस करते हैं कि यदि प्रारम्भ से ही अपीलें बाहरी व्यक्तियों के पास गईं तो वे इनका कुछ दूसरा ही अर्थ लगा सकते हैं और इस प्रकार से एकरूपता नहीं रह सकेगी तथा कुछ अंशों तक गड़बड़ बनी रहेगी ।

चौथी बात यह है दूसरे देशों जैसे अमरीका तथा आस्ट्रेलिया में भी जहां कि इसी प्रकार का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है पहली अपीलें या तो शुल्क निर्धारण के पूर्व अथवा पश्चात् को मंडल में जाती हैं और मंडल द्वारा आदेश जारी किये जाने पर कि ये अपीलें बाहरी अधिकारियों को दी जाती हैं । मेरा विचार है कि किन्हीं माननीय सदस्य ने कहा था मंडल को दी गई अपील वास्तव में अपील नहीं है, अब स्पष्ट हो जाता है । यह अच्छा होगा कि हम इसका वर्णन उच्चस्तर पर प्रशासनीय ब्यौरे के रूप में करें । पहली अपील अभी तक बाहरी अधिकारियों के पास पड़ी है अर्थात् उच्च न्यायालय अथवा मूल्यांकन वालों के—विधान में निर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए मूल्यांकन करने वाले हैं ।

अगली बात यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन में विश्वास बढ़ रहा है । हम देखते हैं कि आयकर ब्यौरा १९५०–५१ में ३,३२५ से बढ़कर १९५२–५३ तक ४७१४ हो गया है अर्थात् ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इससे प्रतीत होता है कि जैसे ही हम अपना व्यवहार करदाता के प्रति बदलते हैं—यह निश्चित है कि हम अपना व्यवहार बदल रहे हैं—तो करदाता का विश्वास कार्यपालिका की ओर निरन्तर बढ़ता जा रहा है ।

बहुत से करदाताओं का हवाला दिया गया है, तथा बहुत से मामले अपीलीय सहायक आयुक्त के यहां जायेंगे । मैं उनकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में आंकड़े दूंगा । क्योंकि एक व्यक्ति दोनों ओर से बहस कर सकता है । एक व्यक्ति वही बात कह सकता है जो कि माननीय सदस्य ने कही है, यदि अपीलों की संख्या कम है तो इसका यह तात्पर्य नहीं है अपील अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है, और न ही यह बात ठीक है कि चूंकि अपील अधिकारी ऐसे हैं इसी कारण अपीलों की संख्या इतनी कम है । अतएव कुछ मामले ऐसे हैं जिनके बारे में दोनों ओर से विवाद हो सकता है । आंकड़े मेरे पास हैं । करदाताओं की सम्पूर्ण संख्या लगभग ८ लाख के है । इनमें से ६२ हजार अपीलें तो अपीलीय सहायक आयुक्त के पास जाती हैं । सन् १९५०–५१ में ६२ हज़ार अपीलों की जगह कुल ८,९०० अपीलें अपील न्यायाधिकरण में की गईं, १९५१–५२ में ८,२०० अपीलें की गईं, और १९५२–५३ में फिर ८२०० अपीलें हुईं । जिसका तात्पर्य यह है कि ठीक एक प्रतिशत मामलों की अपील की जाती हैं और शेष ९९ प्रतिशत मामले कार्यपालिका अधिकारियों द्वारा तै कर दिये जाते हैं ।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के विषय में मैं अधिक विस्तार से वर्णन करूंगा । पहली बात तो यह है कि यह पूर्णतया स्पष्ट है कि राजस्व

[श्री सी० डी० देशमुख]

का केन्द्रीय मंडल अंतिम निर्णायक अधिकारी नहीं है। विधिक प्रश्नों पर सदैव ही उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों में अपील होती है। तथ्य प्रश्नों के सम्बन्ध में अपीलों के बारे में प्रश्न उठाया गया था। सिद्ध किये गये तथ्यों के उचित वैधानिक परिणाम निश्चित रूप से विधान का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि यह वह तथ्य है जो कुछ न्याय सम्बन्धी मामलों में स्वीकार कर लिया गया है। मुझे उनका हवाला देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सन् १९४७ में आई० टी० आर० ४७४ और १९५० में आई० टी० आर० २८० थे। तथ्यों का मिश्रित रूप से पता लगाने तथा न्यायालय ने ब्यौरा जानने के लिए विधान की छूट दी है। उसे भी रोक लिया गया है। मैं उद्धरण नहीं दूंगा। मैं माननीय सदस्य तक उन्हें पहुंचा दूंगा और सम्भवतः वह भी इन्हें जानते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इनको जानते हैं।

बाहरी तथा भीतरी दोनों ही प्रकार से जानते हैं।

तीसरी बात यह है कि तथ्यों की जांच को अदालत रोक भी सकती है यदि वह यह देखती है कि इसका आधार विधान के अनुसार नहीं है, अर्थात् ठीक तथ्यों को छिपाना, या उनके प्रति लापरवाही बरतना अथवा ऐसा कार्य करना जो विधान के अनुदेश के अनसार न हो। उसके लिए भी अन्तः परिषद् है। १९४९ आई० टी० आर० ७२ १२ टी० सी० १ अपील की अदालत।

श्री ए० एस० टामस : व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार वे सभी अपील के योग्य हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : जब एक कहते हैं कि विधि प्रश्न के मामले में मामला उच्च न्यायालय तक जा सकता है, मैं तो यह कह रहा हूं कि तथ्य तथा विधि में अंतर इतना स्पष्ट नहीं है जैसा कि भाषणों में इसे बताया गया है। दूसरे शब्दों में आप कुछ प्रमाणित तथ्यों को ले सकते हैं। अर्थात् एक व्यक्ति का कुछ हित है---वह एक अमुक मकान में अपनी पुत्री के साथ कुछ वर्षों से रह रहा है। यह प्रमाणित तथ्य है। इस तथ्य के बारे में थोड़ा सा भी झगड़ा होना संभव नहीं है। किन्तु क्या उसका उस मकान पर पूरा अधिकार है अथवा कुछ भी नहीं है यह निर्णय करना विधान का काम है।

श्री एन० सी० चटर्जी : दाता को छोड़ना तो तथ्य प्रश्न होना चाहिये। यह तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न नहीं हो सकता। उच्चतम न्यायालय ने एक मामले के निर्णय में कह दिया है कि राजस्व मंडल की पहुंच उस परिणाम तक हो गई है तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विवश है।

श्री सी० डी० देशमुख : विधान का प्रश्न क्या है, तथ्य का प्रश्न क्या है आदि आदि बातें तो न्यायालय में निश्चित होंगी मैंने तो अपनी ओर से अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है।

सन् १९४६ के विधान में यह उपबन्ध किया गया था कि मंडल की ओर से सभी कर निर्धारित किये जायेंगे तदुपरांत उच्च न्यायालय में अपील की जायेगी जो कि एक जांच अधिकारी की नियुक्ति करेगी। करदाताओं के कष्ट निवारण के लिए इस वर्तमान विधेयक में नियंत्रकों का उपबन्ध किया गया है जो कर निर्धारण करेंगे किन्तु मंडल भी अपीलीय अधिकारी के रूप में कर निर्धारण करेगा। यह भी प्रशासनीय पद्धति का एक ढंग है और कर निधारण के समस्त कार्य पर मंडल के नियंत्रण के महत्व का परिचायक है। तथा सम्पदा शुल्क एकत्रित करने

में सहायता देता है। सम्पदा शुल्क के अन्तर्गत आने वाली सभी सम्पदा का मूल्यांकन करने वाले अपीलीय अधिकारी का पाना जो कि उस सम्पदा का भली प्रकार मूल्यांकन कर सके मुझे असंभव लगता है। कोई ऐसी संस्था नहीं हो सकती जो मकानों, जवाहरात तथा निजी कम्पनियों के हिस्से सद्भावना आदि का मूल्यांकन कर सके। अतएव इसमें तथा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के यहां जाने वाले मामलों में कोई समानता नहीं है। एक माननीय सदस्य ने ऐसा उदाहरण दिया है जो उनके अनुसार तथ्य प्रश्न था और उनके अनुसार उसकी अपील उच्च न्यायालय में नहीं हुई। श्री चटर्जी ने वास्तविक उपहार का हवाला दिया ह। मेरे विचार से तो क्या वह उपहार वास्तविक है अथवा नहीं और मृत्युपरांत दी गई सम्पदा तथ्य की अपेक्षा विधान के ही प्रश्न अधिक हैं। और इंगलैंड के अनुसार इनकी अपीलें निश्चित रूप से उच्च न्यायालय में ली जा सकती हैं। इंगलैंड में भी ठीक ऐसा ही नियम है, अर्थात् मंडल द्वारा कर का निर्धारण किया जाता है जहां से अपीलें उच्च न्यायालयों को जाती हैं— एक अंतर है कि छोटे छोटे मामले काउंटी की अदालतों द्वारा तै किये जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि मध्य की अपीलें जिला अदालतों में कराने का उपबंध क्यों नहीं किया गया है ? हमने इस समय उनका सुझाव इस कारण से नहीं दिया है कि हमारा विचार है कि जिला न्यायाधीश इस विधान की पेचीदिगियों से इतने परिचित नहीं होंगे क्योंकि जिलों में बड़ी मुश्किल से साल भर में एक या दो ऐसे मुकद्दमे होंगे। आय कर के मामले में भी साधारण रूप से उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीश ही हुआ करते हैं जो आयकर के मामलों में विशेषता पाये होते हैं। जब उच्च न्यायालय में ऐसी दशा है तो तब ऐसी आशा करना कि देश के जिलों में जिला न्यायाधीश भी सम्पदा शुल्क का मूल्यांकन करने में चतुर होंगे, अच्छा नहीं है। यद्यपि इस सम्बन्ध में मैं इस विरोध का ध्यान रखूंगा कि उच्च न्यायालय में अपील करने पर करदाताओं को काफी दूर जाना पड़ेगा। यदि आप अपीलीय न्यायाधिकरण बनावें तो भी यही बात होगी ; किन्तु यह समस्या तभी हल हो सकती है जब कि प्रत्येक जिले में अपीलीय न्यायाधिकरण बनं। ऐसा सुझाव उन लोगों ने भी नहीं रखा है जिन्होंने कि इस प्रकार के कुछ संशोधनों का समर्थन किया है।

मूल बात तो यह है कि यह विधान एक विचित्र प्रकार का है। और देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि इसे भली प्रकार जानता हो। अतएव हम ऐसा सोचते हैं जब तक निर्णयोत्पन्न विधि नहीं आयेगी तब तक निम्नस्त न्यायाधीशों के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी जिस पर कि वे निर्भर हो सकें।

श्री एस० एस० मोरे : यह निर्णयोत्पन्न-विधि कौन तैयार करेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : उच्चन्यायालय।

कर दाताओं तथा कर निर्धारित करने वाले पदाधिकारियों के मस्तिष्क में भिन्न भिन्न अदालतों के परस्पर विरोधी निर्णयों से परिभ्रान्ति हो जायगी। यह मैंने पहले ही निर्देश कर दिया है कि राजस्व के मामलों को, साधारण रूप से विधि की अदालत में नहीं ले जाया जाता। उदाहरण के लिए भूमि राजस्व के मामले विधि प्रश्न को लेकर उच्च-न्यायालय में जायें इससे पूर्व वे राजस्व मण्डल द्वारा सुने जाते हैं। छूट दी जाय, फसल कितनी हुई, कितनी वसूलयाबी की जाय, क्या शुल्क में कुछ

[श्री सी० डी० देशमुख]

वृद्धि की जाय, भूमि किस प्रकार की है, ये प्रश्न विशेष रूप से प्रशासनीय एवं राजस्व से सम्बन्धित है। ऐसी ही बात सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में भी है।

एक माननीय सदस्य ने मंडल की उदारता के सम्बन्ध में कहा है। इसकी प्रशासनीय पद्धति को भी उसी ढंग पर लाया जायेगा जिस पर कि इंगलैंड में चल रहा है। अपने मत का सम्पादन करने वाले के लिए मेरे पास काफी उदाहरण हैं किन्तु मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा।

किसी ने कहा था कि आप पायेंगे कि एक अकेला राजस्व मंडल इसको नहीं कर सकेगा ऐसी दशा में यह सोचना पड़ेगा कि क्या मण्डल का विस्तार नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय राजस्व मण्डल का एक सदस्य भी विधि और मूल्यांकन के विषयों का एक विशेषज्ञ नहीं हो सकता, किन्तु मण्डल को इन कठिन विवाद-स्पद विषयों को तय करने के योग्य बनाने के लिये हम सभी सहायक वस्तु रखेंगे : दूसरे शब्दों में, यह बात ऐसी नहीं है कि मानों उस मण्डल का अर्थ एक ऐसा मण्डल है जो किसी भी प्रकार के वैधानिक अथवा न्यायिक पथ प्रर्दशन से सर्वथा रहित हो। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि न्यायिक अनुभव वाले पदाधिकारी तथा लेखा संबंधी अनुभव वाले पदाधिकारी उस मण्डल को इन अपीलों में उनके सामने आने वाले इन सभी मामलों को निपटाने में सहायता करने के हेतु नियुक्त किये जायें।

और फिर किसी ने यह कहा था कि सभी अपीलों के लिये करदाताओं को दिल्ली दौड़ना पड़ेगा। ईश्वर ऐसा न करे क्योंकि हमारा यह विचार ह कि केन्द्रीय राजस्व मण्डल के सदस्यों को अपने पदाधिकारियों, विशेषकर अपने विशेषज्ञ सहायकों, के साथ दौरे पर बाहर जाना चाहिये, जब किसी विशेष क्षेत्र में सुनवाई के लिये परिपक्व मुकद्दमों की पर्याप्त संख्या हो।

फिर यह बहस थी कि लोगों की सुनवाई नहीं होगी और मुकद्दमों का निपटारा फाइलों पर लिखी गई टिप्पणियों के आधार पर होगा। उसमें खण्ड ६१ (३) में किये गये उप-बंधों पर, जिसके संबंध में हम चर्चा करेंगे, ध्यान नहीं दिया गया है, जहां पर यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मण्डल अपीलार्थी को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद ही आदेश जारी करेगा।

ऐसा भी एक संकेत किया गया था कि संभव ह मूल्यांकनकर्ता बहुत ईमानदार न हो। मेरे विचार से ऐसा सोचना अनुचित है। मैं उन तरीकों की जिनके द्वारा मूल्यांकन कर्त्ता नियुक्त होते हैं और शिकायतों के निब-टारे को सुनिश्चित करने के लिये पुर:स्थापित परित्राणों की चर्चा नहीं करूंगा। मूल्यांकन-कर्त्ताओं को सरकार द्वारा निश्चित करों की दर दी जायेगी जिसके अनुसार वे अपना कार्य करेंगे। तदनुसार हमने खण्ड ४ (३) में एक उपबंध किया है।

अत: मैं निवेदन करूंगा कि आरम्भ में इस तरीका का प्रयोग कर के देखना चाहिये और मैं कहता हूं कि यह ऐसा तरीका है जो अनुभव के द्वारा प्राय: प्रत्येक देश में, और निश्चय ही प्राय: प्रत्येक राष्ट्र-मण्डलीय देश में तथा विशेष कर ब्रिटेन में, जहां इस प्रकार का विधान है, भली प्रकार काम करता हुआ पाया गया है। यदि, जैसा कि मैंने कहा है, कोई यह पाये कि न्याय न किये जाने की शिकायतें हैं, तो इस बात पर विचार करना कोई कठिन बात नहीं होगी कि क्या, न केवल उच्च न्यायालयों के पास आने वाले विधि प्रश्नों को, बल्कि तथ्यों के प्रश्नों पर विचार करने के हेतु किसी प्रकार

का प्राधिकार बीच में रखा जाये क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा, कभी-कभी तथ्य और विधि के प्रश्न आपस में बहुत गुथे हुये होते हैं।

संक्षेप में सरकार के इस निर्णय पर, डटे रहने का मेरा यही औचित्य है कि फिल-हाल अपीलों, पुनर्विलोकन आदि के निबटारे के लिये हमने जो योजना प्रस्तावित की है वह वहीं रहनी चाहिए ।

सभापति महोदय : खंड चार के बारे में जो संशोधन रखे गये हैं वे हैं संख्या ३०४, ३०५, ९, १०, ११ और १२ । संशोधन १२ का उद्देश्य बहुत कुछ खंड ४ के उपरांत एक नया खंड प्रविष्ट कराना है। अतएव सर्वप्रथम खंड ४ के बारे में निर्णय कराना होगा । तदोपरांत मैं उस संशोधन को लूंगा जिसका उद्देश्य खंड ४ के उपरांत ४(क) तथा ४ (ख) प्रविष्ट कराना है और फिर उसके उपरांत संशोधन ४७३, ४७४ तथा ५७० लेने हैं । अतएव सर्वप्रथम सदन के समक्ष सभी संशोधनों को रखूंगा उसके उपरांत खंड ४ के बारे में निर्णय किया जायगा संशोधन १२ पर सदन में मत लिया जायगा ।

अब मैं संशोधन संख्या ९, १० तथा ११ सदन का मत जानने के लिए रखूंगा ।

श्री एन० सी० चटर्जी : यदि आप कृपा करके संशोधन संख्या १२ पहिले रख दें तो सभी समस्या दूर हो जायेंगी ।

सभापति महोदय : कठिनाई यह है कि यह खंड में जोड़ने के लिए है । खंड ४ के उपरांत मैं इसे लूंगा ।

श्री तुलसी दास (मेहसाना पश्चिम) : ये अनषंगिक हैं ।

सभापति महोदय : मैं पहले उनको रखूंगा क्योंकि वे खंड से सम्बन्धित संशोधन

श्री तुलसीदास : संशोधन ९, १० तथा ११ संशोधन १२ के अनुषंगिक हैं ।

सभापति महोदय : पहिले खंड ४ को निपटायेंगे तब उसके बाद संशोधन १२ को लेंगे ।

डा० लंका सुन्दरम् : यदि आप पहिले खंड ४ को रखेंगे तो संशोधन १२ अपने आप अलग हो जायगा । आप फिर खंड ४ को नहीं ले सकेंगे । मान लीजिए कि संशोधन १२ पर सदन में मत ले लिया जाता है तो आप फिर खंड ४ को फिर नहीं ला सकेंगे ।

सभापति महोदय : संशोधन १२ तो, खंड ४ (क) तथा ४ (ख) के प्रविष्ट कराने के लिए है।

श्री के० के० बसु : यदि हम नये खंडों को स्वीकार कर लेंगे तो खंड ४ के परिणाम स्वतः ही आ जायेंगे । यदि नये खंड सम्पूर्ण रूप से अलग हो गये तो फिर उसके कुछ भी अर्थ नहीं रह जाते ।

संशोधन संख्या ४७३, ४७४, ५७० अस्वीकृत हुए । अपीलीय न्यायाधिकरण तथा मूल्यांकनकर्ता मंडल सम्बन्धी संशोधन भी ५१ के विरुद्ध १९५ मतों से अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं चूंकि संशोधन संख्या १२ अस्वीकृत हो गया है अतः संशोधन संख्या ९, १० और ११ बाधित हैं । अब मैं खण्ड को सदन के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि

"खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ५—सम्पदा शुल्क का आरोपण

सभापति महोदय : अभी समय है, अतः हम खण्ड ५ को शुरू करेंगे ।

श्री सर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ ४ पर,

(i) पंक्ति १६ के बाद निम्न शब्द निविष्ट किये जायें—

"(2) For the purposes of this Act all properties shall be deemed to be governed by the Mitakshara system of Hindu Law of Succession", and

["२) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये सभी सम्पत्तियों को हिन्दू उत्तराधिकार विधि की मिताक्षरा प्रणाली द्वारा शासित समझा जायेगा ।" और]

(ii) पंक्ति १७ में "(२)" के स्थान पर "(३)" आदिष्ट किया जाये ।

१ बजे म० प०

श्री आर० एस० तिवारी (छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़) ने भी बिलकुल वैसा ही एक संशोधन प्रस्तुत किया ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री देबेश्वर सर्मा तथा अन्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन में

For "(2) For the purpose of this Act all properties shall be deemed to be governed by Mitakshara system of Hindu Law of Succession"

Substitute "(2) For the purpose of this Act a father and his sons governed by the Dayabhaga School of Hindu Law shall be deemed to be members of a coparcenary under the Mitakshara Law"

["(२) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये सभी सम्पत्तियों को हिन्दू उत्तराधिकार विधि की मिताक्षरा प्रणाली द्वारा शासित समझा जायेगा ।" के स्थान पर निम्न शब्द आदिष्ट किये जायें :

"(२) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए हिन्दू विधि की दायभाग प्रणाली द्वारा शासित एक पिता और उसके पुत्रों को मिताक्षरा विधि के आधीन एक समांशिता के सदस्य समझा जायेगा ।"]

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत किये गये :

पष्ठ ४ पर,

(i) पंक्ति १६ के बाद निम्न शब्द निविष्ट किये जायें—

"(2) For the purposes of this Act all properties shall be deemed to be governed by the Mitakshara system of Hindu Law of Succession", and

[" (२) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये सभी सम्पत्तियों को हिन्दू उत्तराधिकार विधि की मिताक्षरा प्रणाली द्वारा शासित समझा जायेगा ।" और]

(ii) पंक्ति १७ में "(२)" के स्थान पर "(३)" आदिष्ट किया जाये ।

बिलकुल उपरोक्त जैसा एक और संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

श्री देवेश्वर सर्मा तथा अन्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन में

For "(2) For the purpose of this Act all properties shall be deemed to be governed by Mitakshara system of Hindu Law of Succession"

Substitute "(2) For the purpose of this Act a father and his sons governed by the Dayabhagha School of Hindu Law shall be deemed to be members of a copa:cenary under the Mitakshara Law".

["(२) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये सभी सम्पत्तियों को हिन्दू उत्तराधिकार विधि की मिताक्षरा प्रणाली द्वारा शासित समझा जायेगा।" के स्थान पर निम्न शब्द आदिष्ट किये जायें :

"(२) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए हिन्दू विधि के दायभाग प्रणाली द्वारा शासित एक पिता और उस के पुत्रों को मिताक्षरा विधि के आधीन एक समांशिता के सदस्य समझा जायेगा।"]

श्री सी० डी० देशमुख : मैं समझता हूं कि ये शाब्दिक संशोधन हैं जो उन दरों के आनुषंगिक हैं जो वर्तमान विधेयक का अंग हैं और जो एक अनुसूची में रखी गई थीं, और इसलिये अनुसूचियों की संख्यायें बदलनी पड़ेंगी। अब विधेयक में एक के स्थान पर दो अनुसूचियां होंगी। प्रथम अनुसूची में भाग (क) और भाग (ख) राज्यों के नाम होंगे और दरें दूसरी अनुसूची में होंगी।

श्री एन० सी० चटर्जी : श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मुझे एक वैधानिक आपत्ति है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या सम्पदा शुल्क विधेयक में दरों की कोई अनुसूची सम्मिलित होनी चाहिये अथवा नहीं। यदि सरकार ने इस विषय को आरम्भ से ही इस विधेयक में रखा होता तो स्थिति बिल्कुल दूसरी रही होती और सामान्य तथा उचित प्रक्रिया के अनुसार उस पर सदन तथा प्रवर समिति में सोच विचार हुआ होता और प्रवर समिति ने उस को अपनी सिफारिशों सहित सदन को भेजा होता। कुछ सदस्यों द्वारा इस आशय के सुझाव दिए जाने पर भी सरकार ने जानबूझ कर उस को नहीं माना था। सरकार बराबर यही कहती रही कि दरों के सम्बन्ध में एक अलग विधेयक होना चाहिए।

अब कुछ कठिनाइयों से विवश हो कर सरकार उस दूसरे विधेयक को वापस लेकर उस को इसी विधेयक में एक संशोधन के रूप में सम्मिलित करना चाहती है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा करना नियमानुकूल है ? स्थिति की जांच होनी चाहिये ताकि सदन की प्रक्रिया किसी अनियमितता अथवा अवैधता से दूषित न हो।

वर्तमान विधेयक की धारा ३४ के अनुसार दरें एक पथक् अधिनियम में उपबन्धित होनी चाहियें। इस सिद्धान्त को समुचित वाद-विवाद के उपरान्त सदन में स्वीकार कर लिया गया था, और सरकार ने द्वितीय वाचन तक इस का कोई विरोध नहीं किया था। और इसी कारण प्रवर समिति ने भी इस पर सोच विचार नहीं किया था। अब जब कि यह विधेयक प्रवर समिति के पास से इस के प्रतिवेदन के सहित खण्डों पर विचार किये जाने के लिए सदन के पास वापस आ गया है, तब सरकार इस में दरें भी सम्मिलित करना चाहती है। मेरे विचार से ऐसा संशोधन इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर है। यह एक असाधारण स्थिति है। इस से सरकारी निर्णय की अस्थिरता प्रकट होती है। यह अनियमित और अवैध है। मेरे विचार से इस प्रकार के संशोधन की अनुमति देना हमारे प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम १०० के वैधानिक उपबन्धों का उल्लंघन करना है।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं उक्त वैधानिक प्रश्न के सम्बन्ध में श्री चटर्जी द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूं। सरकार को सदन की इस प्रकार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

[डा० लंका सुन्दरम]

मैं समझता हूं कि प्रत्येक दृष्टिकोण से यह संशोधन अवैध और अनियमित है। दरों सम्बन्धी विधेयक पर अलग से सोच विचार किया जाना चाहिये। उन को एक दूसरे से नहीं मिलाया जा सकता। मुझे विश्वास है कि यह संशोध नस्वीकार नहीं किया जायेगा।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन उचित नहीं है। श्री चटर्जी और डा० लंका सुन्दरम् ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा, उस के अतिरिक्त मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद ११७ के उपखण्ड (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद ११७, उपखण्ड (१) के अनुसार

"अनुच्छेद ११० के खंड (१) के (क) से (च) तक के उप खण्डों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिपारिश के बिना पुर:स्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा....."

अनुच्छेद ११० का उपखण्ड (क) "किसी कर का आरोपण, उत्पादन, परिहार, बदलना या विनियमन" की ओर निर्देश करता है। अत: यह संशोधन इस उपखण्ड के उपबन्ध के अन्तर्गत आ जाता है। इस संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, और इसलिये यह अनियमित है।

श्री सी० डी० देशमुख: राष्ट्रपति ने इस की सिफारिश की है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : लेकिन प्रक्रिया के नियम १०१ के अनुसार इस बात का संशोधन में ही उल्लेख होना चाहिये। अत: मेरे विचार से यह संशोधन अनियमित है।

सभापति महोदय : नियम २४५ के आधीन अपेक्षित राष्ट्रपति की आवश्यक स्वीकृति सचिव को संसूचित की जा चुकी है। अत: श्री त्रिवेदी के वैधानिक प्रश्न में कुछ भी सार नहीं है। जहां तक दूसरे वैधानिक प्रश्न का सम्बन्ध है, उस के बारे में हम वित्त मंत्री का विचार सुनेंगे। अब सदन ४ बजे म० प० तक के लिए स्थगित होता है।

तब सदन चार बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

सदन की बैठक चार बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे।]

४ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय वित्त मंत्री।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्य की इस आपत्ति पर कि मेरा संशोधन इस विधेयक के क्षेत्र के बाहर है, मुझे आश्चर्य है। जहां तक अन्य आपत्तियों, कि यह बहुत तर्कयुक्त नहीं है, कि सरकार का व्यवहार बहुत स्थिर नहीं रहा है, का सम्बन्ध है, ये मामले अलग हैं और इन का कोई महत्व हो सकता है और नहीं भी हो सकता। पर इतना निश्चित है कि किसी भी वैधानिक प्रश्न के विचार में इन का कोई महत्व नहीं है। संभव है कि यदि हम ने अपने विचार और पहले ही बदल दिये होते तो अच्छा होता। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इस अवस्था पर इस उपबन्ध को पुर:स्थापित करने में केवल कुछ समय बचाने की इच्छा से मैं प्रभावित हुआ था। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इस में केवल एक अड़चन यह है कि प्रवर समिति को इस चीज़ पर पूर्ण चर्चा करने का समय नहीं मिला है। लेकिन यह पहला अवसर नहीं है जब कि एक धन-विधेयक अथवा एक वित्त विधेयक एक प्रवर समिति

को नहीं भेजा गया है। यदि भूतकालीन प्रथा की कोई जांच करे तो वह अनेक वित्त विधेयकों के एक प्रवर समिति को न भेजे जाने के उदाहरण पायेगा।

दूसरी बात यह है कि यदि कोई प्रवर समिति रही भी होती तो इस पर विचार करते समय उन्हों ने केवल ऐसे ही विषयों पर विचार किया होता जैसों पर विचार हो चुका है अर्थात् एक सम्पदा शुल्क का सामान्य सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, विमुक्ति सीमा के साथ दरों का पूंजी निर्माण पर प्रभाव आदि। पूर्ण सदन में उस प्रकार की चर्चा की सुविधा देने के लिये ही मैं इस को सामने लाया हूं। किसी भी दशा में, मैं नहीं समझता कि इसका इस प्रश्न से कोई तत्कालिक संबंध है। यह एक संकीर्ण विवाद का विषय है कि यह संशोधन इस विधेयक के क्षेत्र में है अथवा नहीं। मैं अब भी यह बात मानने को तैयार नहीं हूं कि एक करारोपण व्यवस्था के लिए दरों का विषय इस विधेयक के क्षेत्र में नहीं है।

जब यह विधान सदन के समक्ष लाया गया था उस समय मैं ने सदन से केवल यह सिद्धान्त स्वीकार करने के लिए कहा था कि सम्पदा शुल्क के समान एक कर होना चाहिये। दूसरे शब्दों में यह कि इस प्रकार का अतिरिक्त करारोपण होना चाहिये और यह कि उस में कृषि-भूमि भी सम्मिलित होनी चाहिये। चूंकि केवल यही एकमात्र सिद्धान्त है अतः मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमें यह कहने से क्या लाभ है कि दरों का विषय इस सिद्धान्त में सम्मिलित नहीं है। आखिर जब कोई व्यक्ति यह सिद्धान्त स्वीकार करता है कि ऐसा एक कर होना चाहिये और मत्यु तथा उत्तराधिकार शुल्कों के विपरीत वह एक सम्पदा शुल्क के रूप में होना चाहिये, तो फिर अन्य सभी मामले सहायक, या प्रासंगिक या आनुषंगिक माने जा सकते हैं। जहां तक इन दरों का सम्बन्ध है, यह कहना सही नहीं है हम दरों के प्रश्न की ओर निर्देश तक करना भूल गये थे। खण्ड ३४ केवल यही कहता है कि दरें व होंगी जो संसद् के एक अधिनियम द्वारा निश्चित की जायें। मेरी समझ से वह एक प्रक्रिया के प्रश्न की ओर निर्देश करता है, अर्थात् क्या कार्यपालिका को समय समय पर दरों के इस मामले को पुनर्विलोकित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये, जैसा कि तब होता यदि वह एक वित्त विधेयक के रूप में होता, अथवा प्रारंभिक काल में हमें अधिक स्थिरता का लक्ष्य बनाना चाहिये। यह एक ऐसा विषय है जिस के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि वह विषय इस प्रश्न के मूल तक नहीं जाता कि क्या यह संशोधन विधेयक के सिद्धान्त के अन्तर्गत आता है। मैं समझता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य के लिए एक संशोधन प्रस्तुत करना सर्वथा उचित होगा। इस विषय को समय समय पर तय किये जाने के लिये छोड़ देने के बजाय, हम इस को यहां और अभी तय कर लेना चाहेंगे, यद्यपि हम यह मानते हैं कि वही संसद्, जो यह विधि आज बना रही है, यदि कार्यपालिका पर किसी प्रकार दबाव डाले तो, इस को एक वर्ष या छै महीने के काल में अथवा जब भी ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता पड़े, परिवर्तित करा सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि यह पूर्णतः विधेयक के क्षेत्र में है। यह ऐसी बात हीं है कि मानो हम किसी संवैधानिक विधान का अर्थ लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जहां पर यह कहा गया है कि कोई विशिष्ट विषय उसी प्रकार होगा जैसा कि संसद् की एक विधि निश्चित करे। दूसरे शब्दों में, हम ने संविधान के एक अनुच्छेद की शब्दावली को स्वीकार किया है। किन्तु उस का अर्थ केवल यही है कि (क) कार्यपालिका को दरें एक अधिसूचना के द्वारा तय नहीं करनी चाहयें, कि उन्हें एक विधेयक में सम्मिलित

[श्री सी० डी० देशमुख]

करना चाहिये और (ख) कि अच्छा यह हो कि हम इसे अभी न करें और बाद में समय समय पर किये जाने के लिये छोड़ दें। जहां तक पहले विषय का सम्बन्ध है, इस विचार के लिये ऐसे अनेक विगत उदाहरण हैं कि संसद् जिस चीज़ को यह समझती है कि वह एक संशोधन के द्वारा स्वयं अधिनियम में सम्मिलित किया जा सकता है, उस को कार्य-पालिका पर नहीं छोड़ना चाहिये।

दूसरा विषय जैसा कि मैंने कहा, समय का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि यह समय का विषय, प्रश्न के मूल तक नहीं जाता। यह बिलकुल विधेयक क क्षेत्र के अन्दर है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपत्ति उठाई गई थी कि जिस संशोधन को उपस्थित करने का प्रयत्न किया जा रहा है वह विधेयक के क्षेत्र से परे है। वस्तुतः विधेयक के खंड ३४ का अभिप्राय यह है कि दरों का निर्धारण संसद् के अधिनियम द्वारा किया जाये। यह संसद् का अधिनियम है और इसे यहां जारी करने में कोई हानि नहीं है।

सर्व प्रथम दो उपबन्ध हैं। नियम १०० का प्रथम पैराग्राफ इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था। इस में कहा गया है :

"संशोधन विधेयक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत और सम्बन्धित विषयवस्तु के प्रसंगोचित है।"

जहां तक प्रश्न की सम्बद्धता का प्रश्न है यह पूर्णतः प्रसंगोचित है। वस्तुतः दरों के अभाव में यह अधिनियम बिना पते का पत्र है। यह विधेयक की आत्मा है।

संशोधन के विधेयक की सीमा के अन्तर्गत होने के सम्बन्ध में मैं इस तरह विचार कर रहा हूं। हम यह मान लें कि उपबन्ध के अनुसार यह विचार किया गया था कि दो अलग अलग अधिनियम होने चाहियें। यदि आरम्भ से से ही दरें विधेयक में सम्मिलित न होतीं तो कोई आपत्ति नहीं थी। दो विभिन्न विषयों को एक में मिलाकर संसद् के विचारार्थ प्रस्तुत करने जैसा यह नहीं है। सच तो यह है कि दरों के अभाव में आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह अलग विधेयक में है और अभी इस पर प्रवर समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।

अतः अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या प्रस्तुत विधेयक अलग है। यदि माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो वे चर्चा द्वारा इस मतभेद को दूर कर सकते हैं। अनुसूचियों में लिखित विशिष्ट दरों पर विचार करने के पश्चात् वे प्रवर समिति में भेजी जा सकती हैं। किन्तु यह एक गंभीर विषय है और मैं भविष्य के लिये इसे दृष्टांत का रूप नहीं देना चाहता। वर्तमान में नियम यह है कि संशोधन विधेयक के विस्तार के अन्तर्गत ही है। वस्तुतः यह असंगत नहीं है। यह संसद द्वारा स्वीकृत अधिनियम है। परिभाषिक रूप में मुझे भय है कि यह विधेयक के कार्यक्षेत्र में नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि इस नियम का निलम्बन कर दिया जाय। यदि मननीय मंत्री प्रस्ताव रखें तो उक्त नियम का निलम्बन सदन की इच्छा पर है। मैं भविष्य के विषय में भयभीत हूं कि कहीं यह के दृष्टांत स्वरूप न बन जाये और हर समय एक अथवा दूसरा विषय प्रस्तुत होता रहे। यदि वित्त मंत्री प्रस्ताव रखने के इच्छुक हैं तो मैं उसे सदन के समक्ष रख दूंगा। ऐसी अवस्था में यह निर्णय अध्यक्ष का ही न होकर सदन का होगा।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"That Clause (1) of rule 100 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House in so far as it

requires that an amendment shall be within the scope of the Bill be suspended in its application to Government amendments Nos. 615, 617, 618, 631, 632, 633, 634, 635, 636, and 637 of the Estate Duty Bill and that these amendments may be allowed to be moved."

["सदन में कार्यसंचालन और प्रक्रिया के नियम १०० के खण्ड (१) को, जहां तक इस में यह अपेक्षित है कि संशोधन विधेयक के क्षेत्राधीन होगा, सम्पदा शुल्क विधेयक के सरकारी संशोधन ६१५, ६१७, ६१८, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६ और ६३७ के सम्बन्ध में निलम्बित किया जाये और इन संशोधनों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"That Clause (1) of rule 100 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill be suspended in its application to Government amendments Nos. 615, 617, 618, 631, 632, 633, 634, 635, 636 and 637 of the Estate Duty Bill and that these amendments may be allowed to be moved."

["सदन में कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियमों के नियम १०० के खण्ड (१) को, जहां तक इस में यह अपेक्षित है कि संशोधन विधेयक के क्षेत्राधीन होगा, सम्पदा शुल्क विधेयक के सरकारी संशोधन संख्या ६१५, ६१७, ६१८, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६ और ७३७ के सम्बन्ध में निलम्बित किया जाये और इन संशोधनों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"]

श्री एस० एस० मोरे : नियम ३०२ के अधीन नियमों के निलम्बन का प्रयास किया जा रहा है । यह महत्वपूर्ण निर्णय है क्या इसलिये पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है ? अन्तिम समय पर नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव भविष्य के लिये अधिक भयास्पद सिद्ध होगा । सदन के कार्य को नियंत्रित करने के लिये नियमों की रचना की गई है । यह देखना सरकार का प्रारम्भिक कर्त्तव्य है कि सब नियमों का भलीभांति पालन किया जा रहा है । यदि इन नियमों की अवहेलना की गई अथवा यदि उन्हें दृष्टिगत न रखा गया तो अन्तिम समय पर उक्त आशय का प्रस्ताव रखने के लिये अध्यक्ष की स्वीकृति की आवश्यकता होगी । आप ने सुझाव रखा है किन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि आप ने पहले से ही स्वीकृति दे दी है । स्थगन प्रस्तावों पर स्वीकृति देने में आप अधिक अनिच्छुक ही रहे हैं । मेरा विचार है कि सदन की कार्यविधि और विशेष सुविधाओं से सम्बन्धित वर्तमान गम्भीर विषय के सम्बन्ध में भी उसी पूर्ववत: मनोभावना से काम लिया जाना चाहिये ।

अत: हमारी इच्छा है कि सरकार के इस इरादे के विषय में हमें पूर्वसूचना दी जानी चाहिये थी अन्यथा हम सदैव अज्ञान में रहेंगे । सरकार गलतियां करने पर निलम्बन की आड़ में उन्हें ढकने का प्रयत्न करेगी । हमें, विरोधी दल के सदस्यों और सरकारी बैंचों को यह मालूम हो जाना चाहिये कि हमारी और उन की क्या स्थिति है । अत: आप से मेरी प्रार्थना है कि इस विषय में

[श्री एस० एस० मोरे]

भी कठोरता के साथ स्वीकृति दीजिये। यहां पर आप की स्वीकृति इतनी ही दुर्लभ होनी चाहिये जितनी कि वह हमारे विषय में होती है। मेरा विचार है कि सरकार भविष्य के लिये अत्यन्त गंभीर दृष्टांत रखने जा रही है। आशा है कि विषय को सदन के समक्ष रखने के पूर्व आप पर्याप्त पूर्वसूचना का आग्रह करेंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, अभी आप ने कहा था कि प्रस्तुत विषय को अपवादस्वरूप मानकर उसे भविष्य के लिये दष्टांत न समझा जायगा। किन्तु मेरी धारणा है कि ये अपवाद ही आगे चलकर नियम बन सकते हैं और भविष्य में सरकार बहुधा इस दृष्टांत का आश्रय ले सकती है। यदि उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें कोई विशेष विषय रखना है अथवा किसी विधेयक में आगे चलकर कोई विषय समाविष्ट करना है तो वे प्रस्तुत दृष्टांत का उद्धरण दे सकते हैं। आप भले ही कुछ भी कहें मुझे भय है कि यह दृष्टांत का कार्य कर सकता है। अतः वित्त मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह नियम निलम्बन करने के प्रस्ताव पर अधिक जोर न दें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं। प्रथम इस विषय के लिये पर्याप्त सूचना दी जानी आवश्यक थी। दूसरे, यदि पूर्व सूचना नहीं दी गई तो प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये। मेरा विचार है कि इस विधेयक पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, वित्त मंत्री ने भी उत्तर दे दिया है और जो कुछ मुझे कहना था मैं ने कह दिया है। यदि वस्तुतः नवीन विधेयक का मन्तव्य मूल विधेयक से भिन्न है तो मैं इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति नहीं दूंगा।

वर्तमान में केवल एक प्रश्न है, इस की चर्चा के लिये पर्याप्त समय है अथवा नहीं। माननीय सदस्य निस्सन्देह ही इसे भली-भांति जानते हैं कि राष्ट्रपति की स्वीकृति बिना शुल्क की दरें बढ़ाई नहीं जा हकतीं, उन में कमी की जा सकती है।

वर्तमान परिस्थितियों में मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि मुझे इस विषय में शीघ्रतापूर्वक स्वीकृति नहीं देनी चाहिये और न इस दिशा में कोई दृष्टांत ही स्थापित करना चाहिये। किन्तु किसी भी दिशा में नियम त्याग न करने का अर्थ नियम ३२० के समान कार्य के विरुद्ध जाना है। यह एक ऐसा अपवाद है कि जब नियम का निलम्बन किया जाना चाहिये।

मैं स्वयं भी प्रवर समिति में था और मेरा यह कथन किसी तरह का रहस्योद्घाटन करना नहीं है कि उस समय माननीय सदस्यों को शुल्क की दरों के ज्ञान बिना ही उक्त अस्थिपंजर मात्र विधेयक का अध्ययन करने में बड़ी कठिनाई हुई। उस समय सदन को जिस की आवश्यकता थी वह उसे अब दिया जा रहा है। किन्तु माननीय वित्त मंत्री के आश्वासन के अनुसार ही मूल विधेयक स्वीकृत किये जाने के पूर्व उन्हों ने यह नवीन विधेयक प्रस्तुत किया है। इस तरह उन्होंने माननीय सदस्यों को विषय पर विवाद करने और दोनों विधेयकों को वस्तुतः एक ही विधेयक मानने का अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से शीघ्रता नहीं करूंगा।

इस विषय में पूर्वसूचना पर ध्यान न दे कर मैं अपनी स्वीकृति दूंगा। इसे स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने की बात मैं सदन पर छोड़ता हूं।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस के पूर्व भी नियम का निलम्बन किया गया था? चूंकि

यह बहुत ही गम्भीर विषय है, मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले कब और किन परिस्थितियों में ऐसी ही स्वीकृति दी गई थी ?

श्री गाडगिल : नियम की उपस्थिति ही वर्तमान परिस्थिति की द्योतक है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम ३०२ के अतिरिक्त, मैं यह कह सकता हूं कि यह प्रथम अवसर नहीं है। मैंने स्वयं सूचना का परित्याग किया है अथवा पहले वर्तमान नियम का निलम्बन किया है। मैं अब उक्त प्रस्ताव को सदन के समक्ष मत जानने के लिये रखूंगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब संशोधन रखे जा सकते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

A (i) In page 4, line 14, *for* "the Schedule" *substitute* "the First Schedule."

(ii) In page 4, line 18, *for* "the Schedule" *substitute* "the First Schedule."

(iii) In page 4, line 22, *for* "the Schedule" *substitute* "the First Schedule."

All these are verbal amendments, Sir.

अ.

(१) पृष्ठ ४, पंक्ति १४.

"अनुसूची" के स्थान पर "प्रथम अनुसूची"

(२) पृष्ठ ४, पंक्ति १८,

"अनुसूची' के स्थान पर "प्रथम अनसूची"

(३) पृष्ठ ४, पंक्ति २२,

"अनुसूची" के स्थान पर "प्रथम अनुसूची"

श्रीमान्, उक्त समस्त संशोधन मौखिक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय ने उपर्वर्णित संशोधन रखे। अ-सरकारी संशोधन पहले ही रखे जा चुके हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर): मैं यह मान लूं कि वाद विवाद संशोधनों के साथ ही खण्ड पर भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : खण्ड पांच में कुछ विषयों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। कृष्य-भूमि सहित समस्त सम्पदा पर संयुक्त सम्पदा शुल्क लगाया जाना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन संग्रहीत शुल्क को सरकार केन्द्र और विभिन्न राज्यों में किस तरह संविभाजित करेगी। यदि वह साधारण दर पद्धति के अनुसार है तो उस में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि विवरण लिखते समय हमारे पास दो विभिन्न लेखा रहेंगे--कृषि भूमि तथा कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पदा। किन्तु हमारे यहां अतिरिक्त राशि प्रणाली है। इस प्रणाली में शुल्क सम्पदा के कुल मूल्य के अनुसार परिवर्तनीय है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आजकल प्रचलित अतिरिक्त राशि प्रणाली के अंतर्गत वे कृषि-भूमि से प्राप्त करों को किस प्रकार अलग करेंगे जब कि संविधान के अनुसार उन्हें केन्द्र को सौंपना चाहिये।

श्री राघवाचारी : केन्द्र के पास कुछ नहीं जाता है। सब राज्यों को मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान के अंतर्गत केन्द्र केवल संग्रह करने वाला अभिकरण है। खर्च निकालकर पूरी आमदनी राज्यों को मिल जाती है।

वित्त उप मंत्री (श्री एम० सी० शाह): मैं यह संकेत कर दूं कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण के तृतीय पैराग्राफ में इस विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : अब मैं विधेयक की उस अनुसूची की ओर आता हूं जिस में उन राज्यों के नाम दिये गये हैं जिन के विधान मंडलों ने आवश्यक संकल्प स्वीकृत कर दिये हैं। मुझे मालूम हुआ है कि 'क' और 'ख' श्रेणी के कुछ राज्यों ने संकल्प स्वीकार नहीं किये हैं ?

श्री एम० सी० शाह : ज्यों ही विज्ञप्ति द्वारा यह राज्य उक्त संकल्पों को स्वीकार कर लेते हैं उन्हें अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जायगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: मुझे मालूम हुआ है कि कुछ राज्यों ने सम्पदा शुल्क के विचार से असहमति प्रकट कर दी है। ट्रावनकोर-कोचीन और पश्चिम बंगाल भी इन का उदाहरण है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय में उक्त राज्यों का क्या किया जायगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस में क्या कठिनाई है। यदि उक्त राज्य सहमत नहीं हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी राज्य कृषि-सम्पदा पर जिस सीमा तक कर नहीं लगाना चाहते हैं उसी अंश तक उन्हें वह नहीं मिलेगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यह सही है। किन्तु कोई ऐसा राज्य जहां कि सम्पदा-शुल्क अव्यहार्य है केन्द्र के पास आ कर यह मांग करे कि उसे विकास कार्यों के लिये रुपया चाहिये तब जनता की दृष्टि से करों के अनुपात में विषमता उत्पन्न हो जायगी। यदि उक्त राज्यों को केन्द्रीय सरकार विकास कार्यों के लिये अनुदान देने को तैयार हो जाती है तो इस का अर्थ है कि जो व्यक्ति सम्पदा शुल्क देने के लिये सहमत हो गये हैं उन पर इस का अनुपात अधिक होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान महत्वपूर्ण विषय में जब तक सब राज्य समान स्तर पर नहीं आ जाते विभिन्न राज्यों में करानुपात में विषमता होगी। मेरा विचार है इस दिशा में सरकार को अपनी सद्भावना का उपयोग करना चाहिये।

श्री वीरस्वामी (मयूरम–रक्षित–अनुसूचित–जातियां) : इस में कोई सन्देह नहीं कि सम्पदा शुल्क विधेयक प्रगतिशील वैधानिक विधि है किन्तु इस के साथ ही इस में अनेक त्रुटियां हैं। अधिक त्रुटियों में न जा कर मैं उतना ही कहूंगा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री सी० डी० देशमुख ने पूंजीपतियों को अत्यधिक संरक्षण तथा सुरक्षा प्रदान कर दी है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह पूंजीपतियों के मित्र हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री को गरीबों का मित्र होना चाहिये। उन्हें निर्धन तथा असहाय व्यक्ति और अनाथ बालकों से सहानुभूति रखना चाहिये।

हमारा देश धनी देश है। इस देश में अनन्त सम्पत्ति है किन्तु वह कुछ इने गिने व्यक्तियों के अधिकार में है। इसलिये मैं इसे गरीबों का देश कह सकता हूं। निर्धन व्यक्ति देश के धन का उपभोग नहीं कर रहे हैं।

विधेयक का कार्यक्षेत्र अत्यन्त सीमित है। यह बम्बई, सौराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हैदराबाद के अतिरिक्त अन्य राज्यों में व्यवहार्य नहीं है। अन्य राज्य इस में सम्मिलित नहीं है क्योंकि विषयों की संघ सूची के प्रवेश ८७ में कहा गया है : "कृषि-भूमि के अतिरिक्त सम्पत्ति के संबंध में सम्पदा शुल्क।"

हमारी सरकार गणतंत्रप्रणाली पर है किन्तु परिभाषा के सही अर्थ में वह ऐसी नहीं है। उस ने सब प्रभावपूर्ण सत्ताएं स्वयं को ही

अधिकारार्पित की हुई हैं। नगरपालिकाओं और ज़िला बोर्डों की नाईं राज्य राजनीतिक दृष्टि से नपुंसक हैं। राज्य सूची की ओर एक बार दृष्टिपात करने पर ही यह बात स्पष्ट हो जाती है। चूंकि यह व्यवस्था विकासोन्मुख है समस्त राज्यों को इस विधेयक में सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सूची में कुछ परिवर्तन आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या स्वयं संविधान में ही परिवर्तन आवश्यक है।

श्री वीरस्वामी : हां, सम्पदा शुल्क को व्यवहृत करने के मंतव्य से कृषि-भूमि को सम्मिलित करने के लिये। भारत में २६६ करोड़ भूमि है। ११.६ एकड़ भूमि कृषि-योग्य है और ५.८ करोड़ एकड़ भूमि बंजर है। यह सब जमीन बेकार पड़ी हुई है। करोड़ों एकड़ भूमि चन्द व्यक्तियों के हाथ में है। अतः यदि भूस्वामी की मृत्यु के बाद परावर्तित होने वाली भूमि पर सम्पदा शुल्क लगाया जाय तो राज्य को राजस्व के रूप में प्राप्त रकम को निर्धनों के उन्नति-कार्य में लगाया जा सकता है। निर्धनों के सहारे आज धनी वर्ग आराम के साथ रह रहा है। निर्धन व्यक्ति धन उत्पादन करते हैं लेकिन धनी व्यक्ति उस का उपभोग करते हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से शोषित और दलित हैं। वे अस्पृश्य हैं.....

उपाध्यक्ष महोदय : कृषि भूमि पर करारोपण विशुद्ध रूप से राज्य सूची में है। प्रत्येक राज्य की विधान सभा का अपना विधान है मद्रास राज्य के विधान की रचना इस सदन की रचना से सर्वथा भिन्न है। जो व्यक्ति निर्धन वर्ग के कल्याण में रुचि रखते हैं वे उस सदन में जा सकते हैं इस-सदन को कृषि-भूमि पर भी करारोप का अधिकार सम्भव है अथवा नहीं यह दूसरा विषय है। एक सुझाव रखा गया था कि संविधान में संशोधन होना चाहिये। अभी हम संविधान के अधीन कार्य कर रहें हैं। वर्तमान परिस्थितियों में माननीय सदस्य स्वयं को खण्ड पांच तक ही सीमित रखें।

श्री वीरस्वामी : व्याख्या के बतौर और मेरे संशोधन के समर्थन में मैं यह कहना चाहता था कि अनुसूचित जाति सामाजिक दृष्टि से शोषित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बार बार जब कभी भी अवसर मिलता है माननीय सदस्य यही कहते हैं कि अनुसूचित जाति दलित अवस्था में है। सम्पदा शुल्क अधिनियम के प्रसंगोचित ही उन्हें कहना चाहिये।

श्री वीरस्वामी : मेरा संशोधन है कि सम्पदा शुल्क का समाहरण अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिये निर्धारित कर दिया जाये। इस अधिनियम के व्यवहार्य होने के तुरन्त पश्चात ही संसद् अधिनियम द्वारा निर्णीत परिमाण में भिखारियों, सहायता केन्द्र और निराश्रित बालकों का पोषण करने वाली संस्थाओं को देशव्यापी सहायता दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य संशोधन रख रहे हैं?

श्री वीरस्वामी : मैं अपने संशोधन की पृष्ठभूमि के लिये तर्क गूंथ रहा था। यही कारण है कि मैं अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग और अनाथ बालकों की दशा का वर्णन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी आशंका है कि प्रस्तुत संशोधन इस समय अनुचित है।

श्री एस० एस० मोरे: औचित्य प्रश्न के विषय में, श्रीमान्। उस समय अध्यक्ष पद पर आसीन अध्यक्ष महोदय ने इसे रखने की अनुमति दे दी थी। इस तरह उन्हों ने इसे उचित ठहरा दिया है। क्या अब उपाध्यत के लिये यह उचित है कि वह इसे अनुचि

[श्री एस० एस० मोरे]

करार दें ? क्या आप परिशोधनकर्ता उत्तरदायी पदाधिकारी हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : विषय पर आगे बढ़ने के पूर्व मैं पहले श्री मोरे द्वारा उठाय गये औचित्य प्रश्न का उत्तर दूंगा ।

संविधान के अन्तर्गत राज्य के रुपये पैसे के वितरण तथा आवंटन का मामला उसी के हाथ में है । हम यह निदेश नहीं दे सकते कि अमुक कार्य के लिय या अमुक व्यक्तियों के लियें इतना रुपया अलग रख दिया जाय । अतः यह संशोधन (३७३) नियम के विरुद्ध है ।

अब मैं श्री सरमा से बोलन के लिये कहूंगा ।

श्री सर्मा : श्रीमान्, म अपने संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ यह माना जाये कि सब प्रकार की सम्पत्तियों पर मिताक्षरा क़ानून लागू होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को यह राय देना चाहता हूं कि वह अपना संशोधन खंड ७ के संबंध में रखें तो अधिक अच्छा होगा क्योंकि खंड ७ मिताक्षरा क़ानून के बारे में ही है ।

श्री सर्मा : चूंकि खंड ५ में कर लगाने की व्यवस्था है और कर सम्पत्ति पर लगाया जायेगा, अतः मैं ने इसे यहां प्रस्तुत किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु सम्पत्तियों का हस्तान्तरण भिन्न भिन्न रीति से होता है । इसीलिये मैं यह राय दे रहा था कि आप अपना संशोधन उचित खंड के सम्बन्ध में दें ।

श्री सर्मा : आप जो कह रहे हैं मैं उसे मानने के लिये तैयार हूं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि खंड ५, जहां तक इस का सम्बन्ध कृषि-सम्पत्ति से है, अवैध होगा । संघ सूची में एक मद है जिस में "कृषि भूमि के अलावा अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क" का ज़िक्र है । अब, आप देखेंगे कि विधेयक से सम्बद्ध अनुसूची में केवल सात राज्यों का नाम है । यह चीज़ संविधान के अनुच्छेद १५ (१) के विरुद्ध जाती है जिस में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इन में से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । राज्य में केवल केन्द्र ही शामिल नहीं है, सारे राज्य भी शामिल हैं । अब आप एक उदाहरण लीजिये । मान लीजिये क और ख दो नागरिक हैं । 'क' की मृत्यु बम्बई में होती है जहां उस की कृषिसम्पत्ति है, और 'ख' की त्रावणकोर में । अब क की सम्पत्ति पर तो कर वसूल कर लिया जायेगा परन्तु ख को कोई कर देना नहीं होगा । क्या यह विभेद नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि खंड ५ में कृषि भूमियों का शामिल किया जाना, जहां तक इन का सम्बन्ध विधेयक की अनुसूची में दिये गये राज्यों से ही है, संविधान के अनुच्छेद १५(१) के विरुद्ध है । यह ठीक है कि परिभाषा केन्द्र पर भी लागू होती है परन्तु संविधान के एक अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत यदि कुछ राज्य, समानरूपता के लिये या अन्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र से कोई क़ानून बनाने के लिये कहें तो केन्द्र को एसा क़ानून बनाने का अधिकार है और यह क़ानून उन सब राज्यों पर लागू होगा जिन्हों ने केन्द्र से इस के लिये प्रार्थना की हो । यह ज़रूरी नहीं कि सारे राज्य एक प्रकार ही का कर लगायें । जो राज्य किसी प्रकार का शुल्क

लगाना चाहते हैं वे लगा सकते हैं । केन्द्र तो वही कर रहा है जो कि एक राज्य स्वयं कर सकता है । अतः यह औचित्य प्रश्न अनावश्यक है ।

श्री रघुरामय्या : मेरा औचित्य प्रश्न खंड ५ के उप-खंड (२) के अन्तर्गत सम्पदा शुल्क लगाये जाने के बारे में है । मेरा कहना है कि यह चीज़ संविधान के अनुच्छेद २५२ के अनुकूल नहीं है । अनुच्छेद २५२ के अनुसार, यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत होता हो कि उन विषयों में से, जिन के बारे में संसद् को उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधानमंडलों के सब सदनों ने इस लिये संकल्पों का पारण किया है तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद् के लिये विधि संगत होगा । इस कानून के बनने से पहले किसी राज्य के लिये यह संकल्प पारित कर देना काफ़ी था कि संसद कृषि-भूमि पर सम्पदा शुल्क लगाने के बारे में क़ानून बनाये । राज्य पर इसे अधिनियम को बन्धनकारी बनाने के लिये इतना काफ़ी है । परन्तु उन राज्यों के बारे में जो अब यह चाहते हैं कि यह अधिनियम उन के यहां की कृषि भूमि पर भी लागू हो, एक संकल्प का होना आवश्यक है जिस के द्वारा यह विशिष्ट क़ानून स्वीकार किया गया हो । खंड ५ के उप-खंड (२) में इस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है । उस में यह लिखा जाना चाहिये कि जो राज्य इस विशिष्ट क़ानून को स्वीकार करेगा उसे ही अनुसूची में शामिल किया जायेगा । यह कहने से काम न चलेगा कि उस राज्य को जो यह संकल्प पारित करेगा कि संसद् अमुक विषय में क़ानून बना सकती है, अनुसूची में शामिल कर लिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप के तर्क में काफ़ी बल दिखाई देता है । मैं समझता हूं कि इस भाग में उचित रूप से संशोधन किया जा सकता है ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं खंड ५ के उप-खंड (१) में एक व्याख्या और जोड़ना चाहता हूं ।मैं चाहता हूं कि उस में यह जोड़ा जाये कि भूतपूर्व राजाओं की निजी सम्पत्तियों और उन की निजी थैलियों को भी सम्पत्ति गिना जाये और उन पर सम्पदा शुल्क वसूल किया जाये ।

'सम्पत्ति' शब्द के सम्बन्ध में, स्वार्थी पक्ष यह तर्क कर सकते हैं कि उन्होंने भारत सरकार से कुछ समझौते किये हुए हैं जिन के अन्तर्गत राजाओं की निजी थैलियों को 'सम्पत्ति' के अन्दर नहीं गिना जा सकता । मुझे यही सन्देह है कि ये लोग विगत काल में किये गये समझौतों का फ़ायदा उठा कर कह सकते हैं कि उन की निजी थैलियां और निजी सम्पत्तियां 'सम्पत्ति' में नहीं आ सकतीं और उन पर सम्पत्ति शुल्क नहीं लग सकता । मैं यह चाहता हूं कि विधेयक में कुछ ऐसा उपबन्ध कर दिया जाये ताकि इस प्रकार की बात का कोई डर न रहे । कुछ समय पहले वित्त मंत्री से निश्चित रूप से यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या उन का इन राजाओं के बारे में कोई रियायत करने का विचार है । उन्होंने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया था । मैं इस व्याख्या को इसलिये जोड़ना चाहता हूं कि राजाओं द्वारा क़ानून से बचने की कोई संभावना न रहे । बस मुझे इतना ही कहना है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्री मोरे के संशोधन में एक ग़लती है । हमारे संविधान में

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

'भूतपूर्व राजा' नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहां केवल 'राजाओं' का ज़िक्र है।

श्री एस० एस० मोरे : मैं ग़लती मानता हूं। हम 'भूतपूर्व राजाओं' के स्थान पर 'राजाओं' रखना होगा।

श्री वी० पो० नायर : मेरा संशोधन श्री मोरे के संशोधन से थोड़ा ही भिन्न है। अपने संशोधन के द्वारा मैं चाहता हूं कि "निजी थैलियों" के साथ "भारत के बाहर की निजी सम्पत्तियां" भी शामिल की जाये और उन पर सम्पदा शुल्क वसूल किया जाये। भूतपूर्व राजाओं की भारत के बाहर जितनी निजी सम्पत्तियां हैं उन्हें कर से युक्त न किया जाये। आप को याद होगा कि प्रवर समिति में भी हम ने इस प्रश्न को उठाने का प्रयत्न किया था और हम ने सरकार को कहा था कि वह हमें भूतपूर्व राजाओं की उस सम्पत्ति के बारे में कुछ सूचना दे जिसे वह इस कर से मुक्त रखना चाहती है। खंड ३२ के उप-खंड (२) में कहा गया है कि यदि केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को या किसी प्रकार की सम्पत्ति के बारे में कर सम्बन्धी रियायत करना चाहती है तो वह गज़ट में अधिसूचना निकाल कर ऐसा कर सकती है इसलिये हमें इस बात का डर है कि कहीं आगे चल कर सरकार भूतपूर्व राजाओं को सम्पदा शुल्क से छूट न दे दे।

सरकार की ओर से दिये गये कई वक्तव्यों ने हमारा डर और बढ़ा दिया है। डा० काटजू ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि जिन लोगों को निजी थैलियां मिल रही हैं, वे कर-मुक्त सम्पत्तियों के उत्तराधिकारी भी होंगे। श्रीमान्, आप को मालूम होगा कि राजाओं के साथ हुए समझौते में यह तय पाया गया था कि हरेक राजा अपनी चल व अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों की सूची सरकार को देगा। परन्तु इस के बावजूद भी निश्चित रूप से यह कह दिया गया है कि वह सम्पत्ति नहीं बताई जा सकती। डा० काटजू ने भी यही कहा कि देशी राजाओं और राजप्रमुखों की सम्पत्तियों तथा उन के साथ हुए समझौतों को विस्तार रूप से बताना लोक हित में न होगा। संसद् में भी इसी वजह से इस बारे म प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जाते। प्रवर समिति म भी हमें यह सूचना नहीं दी गई। तो इन्हीं सब बातों ने हमें यह डर दिला दिया है कि कहीं सरकार इन राजाओं को कर मे छूट न दे दे। 'लोक हित' शब्द कह कर सरकार बहुत सी बातों से बच जाती है। मैं पूछता हूं कि इस विषय में लोक-हित का प्रश्न कैसे उठता है? त्रावणकोर-कोचीन के राजप्रमुख के पास असीम सम्पत्ति है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह सब कर से मुक्त कर दी जायेगी। इसी प्रकार निज़ाम हैदराबाद के पास अतुल सम्पत्ति है। यदि आप इन धनी लोगों की सम्पत्ति पर कर वसूल करें तो आप को कर की जो राशि प्राप्त होगी उस में कई गुना वृद्धि हो सकती है।

श्री के० के० बसु: प्रस्तुत खंड का उस सम्पत्ति से सम्बन्ध है जिस पर कर वसूल किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद ३६२ व ३६३ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि 'सम्पत्ति' शब्द की कुछ व्याख्या दी जाये। जिस व्यक्ति के पास कोई सम्पत्ति होती है उस के उस सम्पत्ति के बारे में कुछ अधिकार होते हैं। संविधान के अनुच्छेद ३६२ के अनुसार, यदि देशी राजाओं के कुछ वैयक्तिक अधिकार या विशेषाधिकार ऐसे हैं जिन्हें वे भारत संघ में मिलने से पहले प्रयोग करते रहे हैं, तो उन का सम्यक

ध्यान रखा जायगा। यदि किसी राजा को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह बिना कर दिये कोई विशेष सम्पत्ति रख सकता है तो इस का मतलब यह है कि जब वह सम्पत्ति उत्तराधिकारी को हस्तान्तरित की जायेगी तो भी उस पर कर नहीं लगेगा। इस का यह अर्थ है कि केन्द्रीय सरकार राजाओं की उस विशेष सम्पत्ति पर कर नहीं लगा सकती। अनुच्छद ३६३ के अन्तर्गत इन सम्पत्तियों के बारे में उच्चतम न्यायालय में भी मामला पेश नहीं किया जा सकता। अतः यह बहुत आवश्यक है कि हम इस व्याख्या को यहां सम्मिलित करें ताकि इस क़िस्म की बातों को दूर किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अनुच्छेद २९१ के खड (१) से अलग नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे : अनुच्छेद २९१ में भी शब्द उचित रूप से नहीं रखे गये हैं। मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद २९१ में 'कर-मुक्त' शब्दों की भूतपूर्व राजाओं के पक्ष में व्याख्या की जा सकती है। यदि इन शब्दों को अनुच्छेद ३६६ के खंड (२८) में दी गई परिभाषा के साथ पढ़ने का प्रयत्न किया गया तो वे यही कहेंगे कि उन पर सम्पदा शुल्क या अन्य कोई प्रान्तीय क़ानून लागू नहीं हो सकता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिये यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हम ने संविधान के विभिन्न उपबन्धों पर, विशेषतः अनुच्छेद २९१ पर उचित ध्यान दिया है और उस के बाद ही यह उपबन्ध रखा है कि भूतपूर्व राजाओं की निजी थैलियों और निजी सम्पत्तियों पर यह कर वसूल किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं सारे संशोधनों का उत्तर दूंगा। एक वक्ता ने यह सामान्य प्रश्न उठाया था कि शुल्क का बटवारा किस प्रकार किया जायगा। इस का उत्तर उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में पैराग्राफ़ ३ में दे रखा है। उन्होंने यह भी पूछा कि उन राज्यों के विरुद्ध, जिन्होंने यह संकल्प पारित नहीं किया है, क्या प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे। तो इस का सम्बन्ध तो इस बात से है कि हरेक राज्य अपने यहां कितने कर लगाता है या कहिये उस के यहां कर का स्तर क्या है। यह प्रश्न हमारे पास लगभग रोज़ आता है जब हम सहायता के बारे में राज्यों से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करते हैं। इन परिस्थितियों में केवल एक ही सिद्धान्त को नहीं अपनाया जा सकता। सारी बातों को ध्यान में रखना होता है मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का यह सुझाव इतना सरल नहीं जितना वह समझते हैं कि जहां तक उन राज्यों का सम्बन्ध है जिन्हों ने सम्पदा शुल्क लगाना मंजूर नहीं किया है, उन्हें जो भी सहायता दी जाये उस में लगभग आनुपातिक कटौती कर दी जाये। इस प्रकार का सुझाव क्रियान्वित नहीं हो सकता।

श्री के० के० बसु : यह एक इशारा है।

श्री सी० डी० देशमुख : यह इशारा नहीं है। इस से केवल यही प्रकट होता है कि हमें बहुत से जटिल प्रश्नों को ध्यान में रखना होता है। चाहे किसी राज्य ने इस समय अनुसूची में अपने को शामिल करना पसन्द नहीं किया हो या लाभप्रद न समझा हो परन्तु हो सकता है कि उसे भी कई कारणों से सहायता मंजूर कर दी जाये। कुछ राज्यों के बारे में मुझे याद है, विशेषतः त्रावणकोर-कोचीन के बारे में, कि एक समय उन्हों ने कहा था कि चूंकि वे स्वयं एक कर लगा रहे हैं जिस की दर शायद ऊंची हो, इसलिए वे इस में शामिल नहीं होना चाहते। इस समय संकल्प पारित नहीं करने के कई उद्देश्य हो सकते हैं।

श्री रघुरामय्या ने एक संवैधानिक प्रश्न उठाया। यह बिल्कुल ठीक है कि जो राज्य

[श्री सी० डी० देशमुख]

अब शामिल होना चाहता है उस को हम से फिर से क़ानून बनाने के लिये कहने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । यह अधिनियम मौजूद है ही । केवल इस अधिनियम को एक संकल्प द्वारा मंजूर किये जाने की ज़रूरत है । इसलिये यदि आप की अनुमति हो, तो इस प्रारूप सम्बन्धी परिवर्तन के लिये मैं यह प्रस्ताव करूं कि 'संसद् क़ानून बनाय' इन शब्दों के स्थान पर "संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अन्तर्गत इस अधिनियम को स्वीकार कर के" शब्द आदिष्ट कर दिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५, पंक्ति २० में--

"that Parliament may legislate" ["संसद् क़ानून बनाये"] शब्दों के स्थान पर "adopting this Act under clause (1) of Article 252 of the Constitution." ["संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अन्तर्गत इस अधिनियम को स्वीकार कर के।"] शब्द आदिष्ट किये जायें ।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो ग़लती बताई है वह इस से दूर हो जायेगी।

अब मैं राजाओं के दायित्व के प्रश्न को लेता हूं । मैं पहले कह चुका हूं कि हम ने न तो पक्ष में न ही उन के विरुद्ध कोई विभेद करने का प्रयत्न किया है । बहुत से संशोधनों में यह सुझाव दिया गया है कि उन की कुछ सम्पत्ति तथा निजी थैलियों को इस क़ानून के अन्दर लाया जाये और उन पर कर वसूल किया जाये । जहां तक ऐसा किया जाना संविधान के अन्तर्गत संभव है, वर्तमान विधेयक उस को होने देने से नहीं रोकता । इस के विपरीत यदि संविधान के कुछ संगत अनुच्छेदों के निर्वचन के प्रयास का फल यह है कि हम सम्पदा शुल्क को नहीं लगा सकते तो हम अपने अधिनियम में किन्हीं भी शब्दों को रख कर सांविधानिक उपबन्धों के प्रभाव में परिवर्तन नहीं कर सकते । मुझे इस प्रक्रिया में खतरा दिखाई देता है कि इस अनुच्छेद विशेष के किसी निर्वचन की सम्भावना का पहले से ही प्रयास किया जाय । इस सम्बन्ध में अनुच्छेद संख्या २९१, ३६६ तथा 'शासक' की परिभाषा मौजूद है। इन सब मामलों की बड़े ध्यान से जांच की जानी चाहिये । उदाहरण से, एक मामला यह ह कि क्या किसी 'शासक' के दिवंगत हो जाने पर उस की सम्पत्ति का हस्तान्तरण हो जाता है या नहीं । इस सम्बन्ध में हम चाहे कुछ भी कहें, बहुत सम्भव है कि संविधान के अनुच्छेदों के अन्तर्गत निजी थैली (प्रिवी पर्स) का हस्तान्तरण न हो सके । अतएव यह बात सम्पदा शुल्क के लागू होने के अंतर्गत नहीं है । 'शासक' को मान्यता देनी ही पड़ेगी तथा यद्यपि हो सकता है कि सामान्य व्यवहार से उस के उत्तराधिकारी को--चाहे वह कोई भी हो--मान्यता देनी पड़े, फिर भी यह आवश्यक नहीं है । राष्ट्रपति के विवेक का अवसर एक शासक की मृत्यु तथा दूसरे की मान्यता के बीच का अवकाश होता है । दूसरी बात यह है कि 'निजी थैली' दूसरी सम्पत्ति के समान हस्तान्तरित नहीं होती है । उदाहरण से, यदि किसी शासक को १० लाख रुपये 'निजी थैली' के रूप में मिलते हैं तो यह राशि अपने आप उस की मृत्यु पर उस के उत्तराधिकारी को नहीं मिल जाती । यह एक और मामला है जो राष्ट्रपति के विवेक का विषय है । हो सकता है कि वह किसी विशेष मामले में निजी थैली को कम कर दें । वास्तव में माननीय

सदस्यों ने स्वयं निजी थैली के कम किए जाने का सुझाव दिया है। मैं नहीं कह सकता कि भविष्य में सरकार की नीति क्या हो। मैं तो आप को केवल यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि यह इस प्रकार की सम्पत्ति नहीं जो इस विधान के प्रयोजनों से हम सोच रहे हैं।

श्री एस० एस० मोरे : क्या उन का मतलब यह है कि इस प्रकार की सम्पत्ति इस विधान के क्षेत्र से बाहर है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन के कहने का मतलब यह है कि यह वैयक्तिक हो सकती है। यदि यह इकट्ठी होती जाय तो इस से अलग प्रकार का व्यवहार होता है। जहां तक निजी थैली का सम्बन्ध है, यह अर्थ लिया जा सकता है कि यह वैयक्तिक है, कारण यह कि 'शासक' को मान्यता देनी पड़ती है।

श्री एस० एस मोरे : ये अर्थ तो 'शासक' लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति की परिभाषा करते समय सरकार का इस बारे में क्या दृष्टि-कोण है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं नहीं समझ पाता कि इसी क्षण संविधान के निर्वचन की क्या आवश्यकता आ पड़ी है। मैं तो केवल विभिन्न सम्भावनाओं का वर्णन कर रहा हूं। मामले पर किसी विधि-न्यायालय में तर्क करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे कुछ नियंत्रक अधिकारियों का दृष्टिकोण यह हो कि निजी थैली पर शुल्क लग सकेगा तो सम्बन्धित शासक किसी विधि-न्यायालय में जा सकता है; उच्चतम न्यायालय तक पहुंच कर सकता है तथा वहां अपने अधिकार को जतला सकता है। मैं कोई कारण नहीं देखता कि हम यहां पर सरकार की ओर से इस के पक्ष या विरोध में सभी युक्तियों को क्यों उपस्थित करें। मेरा विचार है कि ऐसे मामले में जिस के सम्बन्ध में भविष्य में मुकदमा चल सकता हो, हमारे लिये पहले से किसी अर्थ का निकालना उचित नहीं है।

श्री एस० एस० मोरे : मैं एक औचित्य-प्रश्न रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने कहा है कि इस सम्बन्ध में विधि-न्यायालय में आन्दोलन करना पड़ेगा। परन्तु उन का कहना संविधान के अनुच्छेद ३६३ के विरुद्ध है जिस में यह उपबन्ध किया गया है कि इस संविधान से पहले के किए गए किसी क़रार, सन्धि, सनद् अथवा इसी प्रकार के किसी दस्तावेज़ के बारे में उच्चतम न्यायालय या किसी और न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा। सम्बन्धित पक्ष सरकार तथा शासक हैं। दोनों में से कोई पक्ष इस का निर्वचन कर सकता है तथा न्यायालयों का इस में कोई दखल नहीं है। मेरा औचित्य-प्रश्न यह है कि क्या वित्त मंत्री का यह कहना कि मामले का फैसला न्यायालय द्वारा किया जायगा, वैध है ?

श्री सी० डी० देशमुख : स्वयं अनुच्छेद ३६३ की प्रयुक्ति का विषय भी ऐसा है जिसे उच्चतम न्यायालय के सामने लाया जा सकता है। इस के बारे में भी प्रश्न उठ सकता है कि क्या इसे लागू किया जा सकता है अथवा क्या यह विवाद करार से संबंधित है। अथवा कि यह किसी और बात से उठा है। इस प्रश्न पर विधि न्यायालय में बहस हो सकती है। अस्तु, मैं ने यह विचार प्रकट किया कि राजाओं के लिए कुछ उपाय मौजूद हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें संविधान के अनुच्छेदों से किसी न किसी प्रकार से अर्थ निकालने तथा उन्हें अपने संविधान में उपबन्धित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। अगले दिन मैं ने कहा था कि हम राजाओं के लिए कोई छूट नहीं देंगे तथा वह स्थिति अब

[श्री सी० डी० देशमुख]

भी क़ायम है । व्यक्तिगत रूप से मेरा मत है कि निजी थैली इस के अन्तर्गत नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या इस पर शुल्क नहीं लग सकेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : परन्तु दूसरी सम्पत्ति के बारे में स्थिति और है ?

श्री एस० एस० मोरे : निजी सम्पत्ति ?

श्री सी० डी० देशमुख : दूसरी सम्पत्तियों के बारे में भी, कुछेक प्रकार की सम्पत्तियां ऐसी हैं जिन्हें प्रसंविदा के अन्तर्गत राजा लोग हस्तान्तरित नहीं कर सकते हैं । अब प्रश्न यह उठता है कि क्या संविधान के बन जाने के बाद, सम्पत्ति के हस्तान्तरण सम्बन्धी यह रोक लगी रहेगी या नहीं । यह एक विधि तथा तथ्य का प्रश्न है जिस का उचित समय पर उचित स्थान में निर्णय होगा । जहां तक निजी सम्पत्ति का शुद्ध रूप से सम्बन्ध है, मेरी जानकारी में निश्चय ही संविधान या विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जिस के अन्तर्गत इसे सम्पदा शुल्क से बचाया जा सकता है । अतएव यह इतना साधारण प्रश्न नहीं है । इसी कारण मैं किसी ऐसे संशोधन से सहमत होने को तैयार नहीं हूं जो इसे पहले ही से किसी निर्वचन विशेष से वचनबद्ध करता हो । राजाओं को इस सदन द्वारा पारित किए गए किसी विधान से छूट देने का हमारा कोई विचार नहीं है, परन्तु हमें न्यायालयों अथवा किन्हीं दूसरे प्राधिकारों द्वारा कुछेक हित-रक्षा सम्बन्धी उपबन्धों के निर्वचन का पहले से ही अनुमान नहीं कर लेना चाहिये । अतएव मैं किसी संशोधन को भी स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधनों पर सदन का मत लूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ ४, पंक्ति १४ में 'the Schedule' (अनुसूची) के स्थान पर 'the First Schedule' ['प्रथम अनुसूची'] शब्द रखे जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"पृष्ठ ४, पंक्ति १४ में 'the Schedule' ['अनुसूची'] के स्थान पर 'the first Schedule' ['प्रथम अनुसूची'] शब्द रखे जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"पृष्ठ ४, पंक्ति २२ में 'the Schedule' ['अनुसूची'] के स्थान पर 'the First Schedule' ['प्रथम अनुसूची'] शब्द रखे जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ३७३ को मैं ने अनियमित घोषित कर दिया है । इस के बाद संशोधन संख्या ४७५ तथा ५५३ ही सदन के मतदान के लिए रह जाते हैं जिन्हें इस अभिप्राय से अब मैं प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन संख्या ४७५ मतदान के लिए प्रस्तुत हुआ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ५५३ मतदान के लिए प्रस्तुत हुआ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फ़र्रुखाबाद —उत्तर) : श्रीमान, मेरे नाम में भी एक संशोधन है, संख्या ५५२ ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ध्यान रखें कि जभी किसी खण्ड पर विचार

हो तो उसी समय उन सभी संशोधनों को बतलाएं जिन्हें कि वे प्रस्तुत करना चाहते हों। इस से सदन को एक बार ही उन सारे संशोधनों का पता लग जायगा। मैं अब की बार तो अनुमति दे दूंगा, परन्तु आगे से नियम यही होगा। अब, प्रश्न यह है कि

"पृष्ठ ५, पंक्ति २० में 'That Parliament may legislate' ['संसद विधान बना सकती है'] के स्थान पर 'adopting this Act under clause (1) of article 252 of the Constitution.' ['इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद २५२ के खण्ड (१) के अन्तर्गत पारित करते हुए'] शब्द रखे जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द दुबे।

श्री मूलचन्द दुबे : मैं अपने संशोधन अर्थात संख्या ५५२ को प्रस्तुत करता हूं। इस का प्रभाव यह है कि जिन राज्यों में ज़मींदारी उन्मूलन हो चुका है, वहां पर कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क नहीं लग सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्वयं एक वकील हैं। वह जानते हैं कि कृषि भूमि का विषय राज्य सूची में है। अथवा यह मामला पूर्णतः राज्यों के क्षेत्राधिकार में है।

श्री बी० पी० सिन्हा (मुंगेर सदर बजमूई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन नम्बर ३०६ का समर्थन करता हूं। इस समय इस बिल का जो उद्देश्य है वह पार्लियामेंट में कबूल कर लिया गया है, और इस का उद्देश्य आर्थिक समता बतलाया जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस आर्थिक समता में विषमता हो जायगी। जिस समय इस बिल के समर्थन में श्री मन्नारायण अग्रवाल बोल रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि चूंकि किसानों पर, ऐग्रिकल्चरिस्ट्स पर बहुत तरह के टैक्स हैं, इस लिये यदि एस्टेट ड्यूटी बिल न लाया जायेगा तो दूसरे क्लास के लोग बच जायेंगे। लेकिन यह जो बिल है उस में किसानों की ऐग्रिकल्चरल लैंड भी नहीं छोड़ी जा रही है। १९४६ और १९४८ में जब डैथ ड्यूटी बिल का ढांचा तैयार हुआ था उस समय ऐग्रिकल्चरल लैंड का समावेश उस में नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री महोदय से बातें हुई थीं और उन्हों ने आश्वासन दिया था लोगों को कि इस बिल के सम्बन्ध में जहां तक ऐग्रिकल्चरल लैंड का सम्बन्ध है उस पर वह गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। इस लिये मेरा उन से यह नम्र निवेदन है। कि वह इस पर विचार करें।

इस के साथ ही साथ मेरी यह दलील है कि किसान, पूंजीपति और सरकारी कर्मचारी, इन तीनों में समता लाने में यह बिल किसानों की रीढ़ तोड़ देगा। आज देश में बहुत भ्रम फला हुआ है। लोग जमींदार और किसान का अन्तर नहीं समझते हैं लोग समझते ह कि जमींदार क्लास की जमींदारी खत्म होने का वह क्लास खत्म हो गया और वह सभी किसान हैं। आज तीन तरह के लोग हैं जिन के पास जमीन ह बड़े किसान, छोटे किसान और बटाई दार जिन को आप "टेनेन्ट्स एडं बिल" कहते हैं। इन में से आप देखेंगे कि इन्टर्मीडिअरी तो खत्म हो जाते हैं और जमींदारी खत्म होने के साथ ही अब छोटे छोटे किसान बच जाते हैं, जब तक आप की लैंड पालिसी अर्थात् भूमि नीति निर्धारित नहीं हो जाती तब तक एग्रिकल्चरल लैंड पर टैक्स लगाना उन के ऊपर बहुत भार स्वरूप होगा। मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्या समझूं। कभी कभी कहा जाता है कि फैमिली होल्डिंग

[श्री वी० पी० सिंह]

पांच एकड़ की होगी, इस लिय जो लोग सीलिंग जमीन रख सकेंग वह फैमिली होल्डिग की तीन गुणा ही रख सकेंगे । उस का क्या तरीका होगा यह आप समझायें । जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो पूंजीपति हैं, और जो किसान हैं, जिन्हें आप समान करना चाहते हैं, उन की आगे चल कर क्या अवस्था होगी, जब कि आप फैमिली होल्डिग की तीन गुणा सीलिंग मुकर्रर करने जा रहे हैं । मेरा यह कहना है कि जब यहां बृटिश राज्य था तब किसानों की जमीन पर और उन की प्रोड्यूस पर कोई भी टैक्स नहीं था, आज जब से स्वराज्य हमारे देश में हुआ है तब से ऐग्रिकल्चरल टैक्स के रूप में किसानों को भी टैक्स देना पड़ता है । यदि आप किसानों की जमीन को एस्टेट ड्यूटी बिल से बरी नहीं करेंगे तो किसानों की, जो कि देश की बैंक बोन हैं, रीढ़ हैं, उन की कमर टूट जायेगी । और आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे । आज हम पसा प्राप्त करना चाहते हैं, सरकार को पसे की बहुत ज़रूरत है इस को हम महसूस करते हैं । लेकिन साथ ही साथ आप को यह सोचना चाहिय कि मासेज का, हमारी जनत का विश्वास आप को प्राप्त करना चाहिये । उन को इस का विश्वास होना चाहिये कि जो पैसा आज जनता से लेते ह वह बरबाद नहीं होता, बल्कि ठीक ठीक जनता के कामों में उपयोग किया जाता है । अभी भूमि नीति तय नहीं की गई है । पार्लियामेंट को बराबर अधिकार है और वह कभी भी इस बिल में परिवर्त्तन कर सकती है । इस लिये मेरी यह अर्ज़ है कि जहां ऐग्रिकल्चरल लैंड का सवाल है उस को इस बिल से बरी कर दें । बाद में जब आवश्यकता समझी जाय, जब सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति निश्चित हो जाय उस समय यदि हम एग्रिकल्चरल लड का सवाल लावें तो मैं समझता हूं कि वह वांछनीय होगा और देश के हित में होगा । अगर आप अभी एग्रिकल्चरल लैंड पर टैक्स लगाते तो उस का प्रभाव प्रोडक्शन पर पड़ेगा । प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ सकेगा और आज जो मुख्य समस्या आप के सामने है वह गौण समया हो जायगी । आप बराबर जमीन बांटने की बात सोचते हैं । आप अभी नहीं सोचते हैं कि कितनी फैमिली होल्डिग रक्खेंगे, और कितनी क्या रक्खेंगे । इस लिये मेरा वित्त मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब तक वह भूमि की नीति निश्चित नहीं करते हैं तब तक एग्रिकल्चरल लेंड को इस बिल में से निकाल दें ।

क्या कारण था कि जब १९४६ में डैथ ड्यूटी बिल का ढांचा तैयार हुआ था, जब १९४८ में उस का ढांचा तैयार हुआ था उस में एग्रिकल्चरल लैंड को बरी रक्खा गया था । अब आप कोई भी साधन नहीं छोड़ना चाहते हैं जहां से पैसा आ सकता है । मैं कहता हूं कि इस की आवश्यकता नहीं है । इस बात को आप गम्भीरतापूर्वक सोंच सकते हैं और भूमि नीति को निर्धारित करने के बाद इस को लागू कर सकते हैं ।

मेरे इस सम्बन्ध में तीन निवेदन हैं पहला यह कि एग्रिकल्चरल लैंड भी छोड़ दी जाय, जब भूमि सम्बन्धी नीति निर्धारित हो जाय तब उस पर विचार करने का समय आयगा । दूसरा निवेदन यह है कि जब कि पिछले इतने सालों से एग्रिकल्चरल लैंड को छोड़े हुए हैं, सन् १९४६ में छोड़ा, सन् १९४८ में छोड़ा तो आगे के लिये भी अभी छोड़ रक्खा जाय । तीसरा मेरा निवेदन यह है कि जब तक भूमि सम्बन्धी नीति स्थिर नहीं हो जाती तब तक जिस जमीन का मूल्य पच्चीस हजार रुपया तक हो उस को आप टैक्स से बरी रक्खें और जिस स्टेट

में सीलिंग फिक्स हो गई है उस के मुताबिक आप जमीन पर कोई कर न लगावें ।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आज हम कोई काम जल्दबाजी में न करें । पहली सरकार की बराबर यह नीति रही कि एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस पर कोई टैक्स नहीं रहा और इस के पहले जो कानून भारत सरकार ने बनाया था उस में इस का समावेश नहीं था । प्राविंसेज में एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस पर एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स लगता है और अगर आप यह टैक्स भी लगावेंग तो किसानों की रीढ़ ही टूट जायगी । आप लोग कहते हैं कि टिलर्स आफ साइल के पास ज़मीन रहनी चाहिए । क्या आप उस का मतलब यह समझते हैं कि जो जोतता है वही किसान हो सकता है दूसरा किसान नहीं हो सकता है ।

श्री आर० बी० शाह (छिंदवाड़ा) : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न के हेतु, माननीय सदस्य की बात असंगत है क्योंकि वह कृषि की भूमि के बारे में कह रहे हैं । आपने इस प्रस्ताव को अभी इस कारण अनियमित बतलाया है कि यह विषय राज्य सूची से सम्बन्ध रखता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि कृषि की भूमि को वर्त्तमान विधेयक में शामिल किया गया है । माननीय सदस्य चाहते हैं कि कुछ सीमा तक इसे शामिल न किया जाय तथा एक निश्चित सीमा के बाद ही उन्हें शामिल किया जाय । श्री दुबे यह चाहते थे कि केवल उन्हीं ज़मीनों को शामिल किया जाय जिन पर ज़मीदारों आदि के अधिकार का अन्त नहीं हुआ ।

श्री बी० पी० सिंह : मेरा माननीय मंत्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस बात के सिलसिले में उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे । इसलिये मेरा उन से नम्र निवेदन है कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । चाहे वह ऐग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ दें और जब समय आवे तब उस पर कर लगावें और नहीं तो जो हमारा छोटा सा अमेंडमेंट है उसको स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री ऐस० ऐस० मोरे : श्रीमान्, आपने इस बात का फ़ैसला करना है कि यदि राज्य सरकारें ऐसा संकल्प पारित करें कि कृषि की ज़मीनों पर भी सम्पदा शुल्क लगे तो क्या केन्द्र फिर भी उन ज़मीनों को शामिल न करने में समर्थ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अपना विचार यही है कि चाहे किसी राज्य विशेष ने संकल्प पारित किया हो, इस बात पर विचार करना सदन का काम है कि क्या वह उस संकल्प को स्वीकार करे या यह कहे कि यह काम उस राज्य का है तथा वहीं ऐसा विधान बनाये । इस बारे में विवेक सदन का है ।

श्री सी० डी० देशमुख : आप ने ठीक कहा ।

श्री राघवाचारी : राज्यों ने ये संकल्प पारित किये हैं कि कृषि की ज़मीनों पर भी सम्पदा शुल्क लागू हो अतएव हम हम कृषि सम्पत्ति को कर से मुक्त नहीं कर सकते क्योंकि राज्य चाहते हैं कि हम ऐसा विधान पारित करें जिस में कृषि सम्पत्ति पर शुल्क के लगाये जाने की व्यवस्था की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा कहना भी ठीक यही है । हम यहां पर राज्यों के कहने से विधान पारित कर रहे हैं । राज्यों को अधिकार है कि वे छट दे सकें तथा उनके निर्णय के विरुद्ध अपने विवेक से काम लेते हुए हम यह कह सकते है कि कृषि की ज़मीनों पर कोई कर न लगे । यह काम सदन का है कि कृषि की ज़मीनों को

[उपाध्यक्ष महोदय]

शामिल करे या न करे अथवा यदि करे तो किस प्रकार की ऐसी ज़मीनों को । एक विचार यह है कि हमें ब्यौरों में नहीं जाना चाहिये तथा हमें संकल्प को या तो स्वीकार कर लेना चाहिये अथवा रद्द कर देना चाहिये । इसी विचार से मैं ने श्री दुबे के संशोधन को उचित नहीं समझा था तथा वही विचार इस संशोधन विशेष के बारे में भी है माननीय मंत्री का क्या कहना है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक श्री दुबे के संशोधन का सम्बन्ध है, मुझे वास्तव में वह अनियमित जान पड़ता है । उनके कथनानुसार कृषि की ज़मीनें केवल वे ज़मीने समझी जानी चाहियें जिन के सम्बन्ध में ज़मीदारी अथवा मध्यम व्यक्ति के अधिकार अभी क़ायम हों । इसके अर्थ यह हुए कि मद्रास तथा बम्बई जैसे राज्यों में जहां भूधारण की ज़मींदारी प्रथा नहीं है, कृषि की ज़मींनों पर कोई सम्पदा शुल्क नहीं लग सकेगा । निश्चय ही यह बात संविधान से संगत नहीं है । बम्बई तथा मद्रास राज्यों ने हमें कृषि सम्बन्धी ज़मीनों पर भी सम्पदा शुल्क लगाने के लिये कहा है ।

जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि यदि बम्बई सरकार ने इस प्रकार का कोई विधान पारित किया होता तो वह ठीक ही कृषि की ज़मीनों तक ही सीमित रह सकते थे तथा कह सकते थे कि प्रथम २५,००० रुपये मूल्य की ऐसी ज़मीन पर कर नहीं लगेगा । परन्तु इस समय हम एक व्यापक विधान बना रहे हैं । अतएव मैं इस बात पर इसके गुणावगुणों के विचार से बहस करना चाहता हूं तथा दरों के मामले के सिवाय, जिसे हम शीघ्र ही लेंगे, इस विधान के प्रयोजनों से . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे अनुसूची में यह शामिल भी क्यों न हो, हम कह सकते हैं कि कृषि सम्बन्धी ज़मीन के अमुक भाग पर कर नहीं लग सकेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख: अतएव मैं समझता हूं कि इस प्रकार की किसी रियायत पर बहस करने का उचित अवसर बाद के खण्डों पर चर्चा का है तथा हमें इस स्थान पर करारोपण सम्बन्धी सामान्य खण्ड अर्थात् खण्ड ५ में इस विषय को नहीं लाना चाहिये इसके अतिरिक्त यदि मैं बाद की बहस का कुछ पूर्वानुमान कर सकता हूं तो मैं कह सकता हूं कि क्योंकि हम सम्पत्ति के सम्बन्ध में ७५,००० रुपये की सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं—तथा इस में कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति मकान सम्पत्ति (मकानों को छूट देने का प्रश्न भी उठाया गया है), भूषण आदि की सम्पत्ति शामिल है—और उस प्रश्न का बाद में फ़ैसला किया जायगा तो उस अवसर पर हम यह फ़ैसला कर सकते हैं कि सीमा सभी प्रयोजनों से एक ही रखी जाय या कि विशेष प्रकार की सम्पत्ति के बारे में निश्चित रियायतों की व्यवस्था की जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि हमें इस संशोधन को इस अवसर पर कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

इसके बाद श्री बी० पी० सिंह तथा श्री दुबे ने अपने संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

" खण्ड ५, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया

खंड ६—(सम्पत्ति की वित्तीय-सीमा)

श्री यू० एम० त्रिवेदी : म प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४ में

पंक्ति २७ के बाद निम्नलिखित जोड़िये :

"Provided that such competency shall not be presumed in the case of a Hindu Joint Mitakshara family, if the intention to separate had not been expressed by the deceased before his death."

[" परन्तु यदि दिवंगत व्यक्ति ने मृत्यु से पहले अलग होने के इरादे को व्यक्त न किया हो तो हिन्दू अविभक्त मिताक्षरा परिवार के सम्बन्ध में इस क्षमता की कल्पना नहीं की जा सकेगी ।"]

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : जहां तक इस खण्ड का सम्बन्ध है, अविभक्त हिन्दू परिवार को इससे बहुत कठोरता का सामना होगा । मिताक्षरा सम्प्रदाय के अतिरिक्त और किसी सम्प्रदाय के युवक को जिसकी आयु १८, १९, २० हो चुकी हो, इस खण्ड के अन्तर्गत कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं रहेगी । मिताक्षरा परिवार के बारे में स्थिति यह होगी कि १८ वर्ष की आयु होने पर किसी युवक को अपनी सम्पत्ति के बेचने का अधिकार होगा, जिस कारण उसपर कर लग सकेगा । हिन्दू विधि के अन्तर्गत स्थिति यह है कि वह किसी सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति नहीं कह सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक में इस बात को निष्प्रभाव करने की निश्चित व्यवस्था की गई है । क्या माननीय सदस्य इस प्रश्न को खण्ड ७ पर चर्चा के समय नहीं उठा सकते ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : श्रीमान, मैं समझता हूं कि खण्ड ६ को संशोधित किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी खण्डों एक साथ लेना चाहिये । क्या सदन यह नहीं कह सकता कि खण्ड ७ या बाद के खण्डों में ऐसी किसी सम्पत्ति को शामिल नहीं किया जायेगा जो अविभक्त हिन्दू परिवार के किसी सदस्य के पास मरते समय थी ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरा संशोधन एक सिद्धान्त से सम्बन्ध रखता है । यदि उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया तो दूसरी बातें अपनेआप हो जायेंगी तथा खण्ड ७ में कुछ शाब्दिक परिवर्त्तन करने पड़ेंगे ।

मैं अभी कह रहा था कि किस प्रकार मिताक्षरा परिवार के १८ वर्ष के युवक को सम्पत्ति के बेचने का अधिकार होगा तथा उस सम्पत्ति पर कर लग सकेगा । परन्तु अविभक्त परिवार का सदस्य होने से वह उस सम्पत्ति को नहीं बेचेगा । एक और रुकावट भी है । हमने अनुवर्ती खण्डों में सुझाव दिया है कि सम्पत्ति को भेंट रूप से देने की अवस्था में यदि भेंट मृत्यु से दो वष पहले की गई हो तो उसका कोई मूल्य नहीं समझा जायगा । दूसरे विषय में जहां तक हिन्दू युवक का सम्बन्ध है, वह अपनी सम्पत्ति का विक्रय आदि नहीं कर सकेगा जिससे वह घाटे में रहेगा । इस प्रकार से एक सम्प्रदाय विशेष का सदस्य होने मात्र से ही उसे एक प्रकार का दण्ड मिल जाता है ।

१८ वर्ष से पहले मृत्यु हो जाने की अवस्था में छूट दी गई है । मेरा सुझाव कि यही रियायत २१ वर्ष तक के यवक को दी

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

जाये ताकि वह अपनी सम्पत्ति को उपहार रूप से दे सके । प्रत्येक अवस्था में उसकी कोई सम्पत्ति नहीं होगी । केवल एक ही व्यक्ति पर इस खण्ड का प्रभाव है और वह है अविभक्त हिन्दू परिवार का १८ वर्षीय युवक । इस आयु पर न तो वह सम्पत्ति का विक्रय आदि करने की, न ही अलग होने की इच्छा को व्यक्त करता है । यदि इस स्थिति को स्वीकार कर लिया जाय तो हम कह सकते हैं कि अलग होने की इच्छा प्रकट करने पर निश्चय ही उस पर कर लगाना चाहिये । परन्तु यदि ऐसी इच्छा के प्रकट न करने पर भी उस पर आप कर लगाना चाहते हैं तो यह अन्याय होगा । दूसरी व्यवस्था हम ने यह की है कि यदि उसने मृत्यु से दो वर्ष पहले अपनी सम्पत्ति का विक्रय आदि किया है तो इस बात पर कुछ विचार हो सकता है अन्यथा नहीं अतएव आप भारत के एक नागरिक विशेष को उसके ऐसे अधिकार से वंचित कर रहे हैं जिसे आपने और सभी विषयों में स्वीकार कर लिया है । इसी कारण मैं ने यह संशोधन रखा है कि यदि उसन अलग होने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की तो उस पर कोई कर न लगाया जाय ।

श्री आर० के० चौधरी: श्रीमान्, खण्ड ६ में उपबन्धित है कि :

> "वह सम्पत्ति, जिसका किसी व्यक्ति को मृत्यु के समय बेचने आदि का अधिकार हो, हस्तान्तरित हो सकेगी" ।

अब मैं हिन्दू विधवा स्त्रियों के बारे में सोच रहा हूं जो सामान्यतः सम्पत्ति को बेचने आदि में असमर्थ हैं । कोई हिन्दू विधवा स्त्री केवल कुछ निश्चित शर्तों के साथ ही अपने पति की सम्पत्ति को हस्तान्तरित कर सकती है अतएव इस खण्ड के अन्तर्गत कोई सम्पत्ति भी प्रत्यागामी उत्तराधिकारियों को नहीं मिल सकेगी क्योंकि विधवा को सम्पत्ति के बेचने या अन्यथा हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा तथा उत्तराधिकार प्राप्ति के समय उसके लिये सम्पदा शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात धारा ७ (१) में मौजूद है तथा बाद के खण्डों में भी है । यह बात "सम्पत्ति जिसे हस्तान्तरनीय समझा जा सकता है" शीर्षक के अन्तर्गत है ।

श्री आर० के० चौधरी : परन्तु आप इस खण्ड की व्याख्या कैसे करेंगे ?

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : खण्ड ६ में 'निपटारा करने के लिये सक्षम' इन शब्दों का बारीकी से पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह एक विशेष प्रकार की सम्पत्ति करानुपात से बच जायेंगी । उदाहरणतया उस व्यक्ति की सम्पत्ति जो कि मरने से तुरन्त पूर्व अस्थायी रूप से पागल हो जाता है, बच जायेगी । प्रश्न यह है कि क्या उस व्यक्ति की सम्पत्ति जो कि पहले मतिमान था किन्तु मरने से कुछ देर पहले पागल हो जाता है, इस कारण कर से बचने दी जायेगी कि वह सम्पत्ति का निपटारा करने के लिये सक्षम नहीं था ? एक ऐसे बालिग़ की, जो कि पागल है, मत्यु पर यह कठिनाई उत्पन्न होगी । अतः मेरा निवेदन है कि जब तक यह ....

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह व्यक्ति पागल है, तो वह अपनी सम्पत्ति का निपटारा करने के लिये सक्षम नहीं है । अतः माननीय सदस्य के लिये बहस करना अनावश्यक है । उन्होंने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है ।

श्री टेकचन्द : यह और बात है। मेरा निवेदन यह है कि यदि इस प्रश्न पर सहमति हो कि यह वास्तव में एक ग़लती है तो इस कठिनाई को इस अवस्था पर दूर किया जा सकता है ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : श्री त्रिवेदी का संशोधन विधेयक के उद्देश्यों के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि किसी समांशी के अलग हो जाने की इच्छा प्रकट करने से संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति विभाजित हो जाती है और उस पर सम्पदा शुल्क नहीं लग सकता ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्री त्रिवेदी का संशोधन हिन्दू विधि के सिद्धांतों के विरुद्ध है । हिन्दू मिताक्षर विधि के अनुसार एक समांशी अपने अधिकार हस्तांतरित कर सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह दान दे सकता है ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : जी हां । यह संशोधन इन अधिकारों के बिल्कुल विरुद्ध है । इस आधार पर मेरा निवेदन है कि इसे अवश्य अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिये ।

श्री बर्मन: मेरे विचार में श्री त्रिवेदी का संशोधन उचित नहीं है । उन्होंने कहा है कि एक संयुक्त मिताक्षर कुटुम्ब में यदि पिता जीवित हो और उसका बेटा १८ वर्ष की आयु के बाद मर जाये, तो उस की सम्पत्ति के अंश पर कर लग सकेगा, किन्तु दायभाग के अन्तर्गत ऐसा नहीं हो सकेगा ।

खण्ड ७ के उपखंड (२) के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने जो संशोधन दिया है, उस से स्पष्ट है कि यदि पिता जीवित हो और बेटा १८ वर्ष से कम आयु का हो, तो उस अवस्था में उसकी सम्पत्ति पर कर नहीं लगेगा । यदि श्री त्रिवेदी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो पिता की मत्यु पर भी इस पर कर नहीं लग सकेगा । अतः मेरा सुझाव यही है कि इस संशोधन को किसी हालत में स्वीकार न किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय: द्वारा संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"खंड ६ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ७—(मृत्यु पर खत्म हो जाने वाली सम्पत्तियां)

श्री एस० वी० रामस्वामी : श्री टेकचन्द, श्री सर्मा, श्री एन० सोमना, श्री एस० एस० मोरे, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री बर्मन और श्री एच० एल० अग्रवाल ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पष्ठ ९ में पंक्ति ३५ से ४० तक के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाय :

"(2) if a member of a Hindu Co-parcenary governed by the Mitakshara school of law dies then the provisions of sub-section (1) shall apply with respect to the interest of the deceased in the co-parcenary property only—

(a) if the deceased had completed his eighteenth year at the time of his death,

[श्री० सी डी० देशमुख]

(b) where he had completed his eighteenth year at the time of death; if his father or other male ascendant in the male line was not a co-parcener of the same family at the time of his death."

[" यदि मिताक्षरा विधान-सम्प्रदाय का अनुसरण करने वाले हिन्दू समांशी परिवार का कोई सदस्य मर जाये, तो उप-धारा (१) के उप-बन्ध मृत व्यक्ति के समांशी सम्पत्ति सम्बन्धी हितों को तभी लागू होंगे—

(क) यदि मृत व्यक्ति न मत्यु के समय १८ वर्ष पूरे कर लिये हों, या

(ख) यदि अपनी मृत्यु के समय उसने १८ वर्ष पूरे न किये हों, तो यदि उसका पिता या उसके पुरुष पूर्वजों में से कोई अन्य पुरुष पूर्वज उसकी मृत्यु के समय उसी परिवार का समांशभागी न रहा हो ।"]

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्री सर्मा : मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि एक कर सम्बन्धी विधेयक में भारत के नागरिकों में कोई विभेद नहीं होना चाहिये। दूसरे शब्दों में हर एक व्यक्ति पर समान करानुपात होना चाहिये। किन्तु ये विधेयक विभेदकारी है। मेरा संशोधन जो एक साधारण सा संशोधन है यह है : "इस अधिनियम के सम्बन्ध में सब सम्पत्तियों पर मिताक्षर विधि को लागू माना जायेगा " । चूंकि भारत के अधिकांश लोग इस विधि का अनुसरण करते हैं, मेरे विचार में यह अधिक अच्छा और सुविधाजनक होगा यदि सब लोगों पर कर का एक ही अधिनियम लागू हो और करानुपात सब पर बराबर हो । यदि माननीय वित्त मंत्री यह सुझाव दें कि भारत के सब लोगों पर दायभाग विधि लागू होनी चाहिये, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । मेरा उदेश्य केवल यह है कि करानुपात बराबर हों ।

मैं आप के सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा । मान लीजिये कि कलकत्ता में दो परिवार रहते हैं जिन में से एक पर मिताक्षर लागू होता है और दूसरे पर दायभाग । दोनों पिताओं के दो दो लड़के हैं । और कुछ सम्पत्ति है । दोनों की मृत्यु हो जाती है । दायभाग वाले पिता के मरने पर, उस की एक लाख रुपये की सम्पति पर उत्तराधिकारियों,— दो लड़कों को—१,२५० रुपये देने पड़ेंगे किन्तु मिताक्षर समांशी दो लड़कों को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा । अब मान लीजिये वह तीन तीन लाख रुपये की सम्पत्ति छोड़ते हैं । मिताक्षर परिवार को २,५०० रुपये देन पड़ेंगे किन्तु दायभाग परिवार को २२,५०० रुपये देने पड़ेंगे । यदि सम्पत्ति पांच लाख की हो, तो मिताक्षर परिवार पर ६,६६६ — रुपये कर लगेगा किन्तु दायभाग परिवार पर ५२,५०० रुपये लगेगा । यदि यह विभेद नहीं है तो और क्या है, यदि इस विभेद को जारी रखा गया, तो क्या बंगाल, और बिहार, उड़ीसा, तथा आसाम के कुछ भागों के मध्यम श्रेणी के लोग जिन पर दायभाग लागू होता है, बरबाद नहीं हो जायेंगे ? दो परिवार साथ साथ रहते हैं । उन में से एक तो थोड़ा सा कर दे कर बच जायेगा, किन्तु दूसरा कंगाल हो जायेगा । निजी तौर पर मुझ पर इस विधेयक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु यदि एक ओर दायभाग का अनुसरण करने वालों, मुसलमानों और ईसाइयों और दूसरी ओर मिताक्षर का अनुसरण करने वाले भारत के अन्य बहुत से लोगों के बीच, यह विभेद

जारी रखा गया तो, धीरे धीरे परस्पर विरोध की धारणा प्रचलित होगी और बढ़ेगी और इस से भारत की एकता को बहुत धक्का लगेगा। आप चाहते हैं कि भारत में संगठन और एकता की भावना बढ़े परन्तु यदि साथ साथ रहने वाले दो परिवारों में एक तो कंगाल हो जाये और दूसरे पर कुछ प्रभाव ही न पड़े, क्या इस से एकता और समानता की भावना उत्पन्न होगी ? जब एक देखेगा कि उस की सम्पत्ति छिन गई है किन्तु दूसरे परिवार की कायम है, तो उसके मन में क्या विचार उत्पन्न होंगे ? जब लोग बंगाल और स्थानों पर हिंसात्मक प्रचार करेंगे तो हम उन्हें क्या उत्तर दे सकेंगे ?

श्री गाडगिल ने कहा था कि हम धनवानों का धन बेकार कर देना चाहते हैं। क्या इस विधान से धनवानों का धन बेकार हो जायेगा या बंगाल, बिहार और आसाम के मध्यम श्रेणी के लोग कंगाल हो जायेंगे ? मैं श्री गाडगिल से सीधा सा उत्तर लेना चाहूंगा।

जैसा कि मैं ने कहा था छूट की सीमाओं से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि विभेद नहीं होना चाहिये। यदि यह समय पर दूर न किया गया, तो इस से भारत की बुनियादें हिल जायेंगी।

श्री ए० एम० टामस उठे——

श्री आर० के० चौधरी : सात बज चुके हैं। अब बैठक स्थगित होनी चाहिये।

सभापति महोदय : यदि सदन की यही इच्छा है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान, मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय : अब सदन की बैठक कल सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित होगी और श्री ए० एम० टामस अपना भाषण कल आरम्भ करेंग।

इस के पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थागित हो गई।